



कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२५-२०२६

गृह विभाग

(भाग - १)

(सर्वसाधारण)

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे-४११ ००६

२०२५

कार्यक्रम अंदाजपत्रक

२०२५-२०२६

गृह विभाग

(भाग १)

(सर्वसाधारण)

गृह विभागाने तयार केलेल्या कार्यक्रम अंदाजपत्रकांची यादी

| कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचा क्रमांक | कार्यक्रम अंदाजपत्रकाचे नाव |
|---------------------------------|---------------------------------|
| १ | गृह विभाग (सर्वसाधारण) |
| २ | गृह विभाग (राज्य उत्पादन शुल्क) |
| ३ | गृह विभाग (परिवहन) |
| ४ | गृह विभाग (पोलीस) |
| ५ | गृह विभाग (तुरंग) |

(दोन)

अनुक्रमणिका

| | पृष्ठ |
|---|--------|
| प्रस्तावना व समग्र कार्यक्रम | .. १ |
| एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमनिहाय तपशील – विवरणपत्र | .. ८ |
| एकूण अर्थसंकल्पाचा प्रधानशीर्ष-नि-कार्यक्रमनिहाय तपशील – विवरणपत्र | .. ६ |
| कार्यक्रम – | |
| १. राज्य मानवी हक्क आयोग | .. ७ |
| २. विधी सल्लागार व समुपदेशी (सरकारी अभियोग संचालनालय) | .. १२ |
| ३. विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी | .. २५ |
| ४. गृह विभाग, मंत्रालय | .. ३२ |
| ५. नागरी संरक्षण | .. ४३ |
| ६. होमगार्ड्स | .. ५८ |
| ७. इतर खर्च – प्रादेशिक सेनेतील सैनिकांना पुरस्कार | .. ८३ |
| ८. धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणग्या (संरथांना देणग्या) | .. ८८ |
| ९. ठेव संलग्न विमा योजना-शासन भविष्य निर्वाह निधी | .. ८९ |
| १०. घरबांधणी अग्रिम | .. ९२ |
| ११. मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी/इतर वाहनांसाठी आगाऊ रकमा | .. ९७ |
| १२. वैयक्तिक संगणकासाठी आगाऊ रकमा | .. ९९ |
| १३. राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करणे | .. १०० |
| १४. नागरिकत्व प्रमाणपत्रे | .. १०२ |
| १५. राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण | .. १०७ |

(तीन)

प्रस्तावना

पोलीस, होमगार्ड, नागरी संरक्षण संघटना, तुरुंग, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन (बंदरे, मार्ग परिवहन, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ) आणि सरकारी अभियोग संचालनालय हे गृह विभागाच्या प्रशासनिक नियंत्रणाखाली आहेत. हा विभाग २४ मुख्य शीर्षांचे व ८ महसुली जमाशीर्षांचे नियंत्रण करतो. या २४ मुख्य शीर्षांपैकी १९ शीर्ष महसुली लेख्यांवरील खर्चाकरिता, ४ शीर्ष भांडवली लेख्यांवरील खर्चाकरिता व १ ऋण शीर्षाखालील खर्चाकरिता आहेत. गृह विभागांतर्गत या सर्व लेख्याशीर्षांचे कार्यक्रम अंदाजपत्रकासाठी खालील प्रमुख गट केलेले आहेत :—

- (१) सर्वसाधारण (न्यायदान, होमगार्ड, नागरी संरक्षण, नागरिकत्व आणि राज्य मानवी हक्क आयोग यांसहित)
- (२) राज्य उत्पादन शुल्क
- (३) परिवहन
- (४) पोलीस
- (५) तुरुंग

२. या कार्यालयाची कार्यक्रम अंदाजपत्रके स्वतंत्रपणे तयार केली आहेत. गृह विभाग, सरकारी अभियोग, न्यायदान, होमगार्ड, नागरी संरक्षण व नागरिकत्व यांची कार्यक्रम अंदाजपत्रके या भागामध्ये सादर करण्यात आली आहेत.

३. कार्यक्रम अंदाजपत्रक तंत्रानुसार प्रत्येक कार्यक्रम चार भागांमध्ये सादर करण्यात आला आहे. पहिल्या भागात प्रस्तावना, दुसऱ्या भागात वित्तीय आवश्यकता, तिसऱ्या भागात कार्यक्रमाचा सारांश आणि वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण व चौथ्या भागात कर्मचारीविषयक सारांश दिला आहे. दुसऱ्या भागात कार्याचे वर्गीकरण, उद्दिष्टनिहाय वर्गीकरण व वित्त व्यवस्थेची साधने अशा तीन भागांत आणखी विभागाणी झाली आहे. कार्याचे वर्गीकरण खर्चाचा हेतू दर्शविते, उद्दिष्टनिहाय वर्गीकरण खर्च कोणत्या पद्धतीने वा मार्फत केला जातो, हे दर्शविते आणि वित्त व्यवस्थेची साधने विधिमंडळाच्या संमतीनुसार कोणत्या प्रधान शीर्षाखाली तरतूद करण्यात आली आहे हे दर्शविते.

४. कार्यक्रम अंदाजपत्रक हा मूल्यमापनाचा अहवाल नाही हे सर्वमान्य आहे. तरीसुद्धा गृह विभाग पार पाडत असलेले कार्य लक्षात घेऊन मिळालेल्या शक्य तितक्या अद्यावत माहितीच्या आधारे विभिन्न कार्याची स्थिती दाखविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

समग्र कार्यक्रम

या विभागाचे कार्यक्रम अंदाजपत्रक पाच वेगवेगळ्या भागांमध्ये तयार करून सादर करण्यात येते. म्हणून समग्र कार्यक्रमसुद्धा पाच वेगवेगळ्या भागांमध्ये तयार करून सादर करण्यात येत आहे.

गृह विभाग, न्यायदान, सरकारी अभियोग संचालनालय, नागरी संरक्षण, होमगार्ड्स आणि नागरिकत्व व अधिवास प्रमाणपत्रे यांचा समग्र कार्यक्रम या भागामध्ये सादर करण्यात आला आहे.

गृह विभाग (खुद्द)

(अ) या विभागातील कामकाज ५२ कार्यासनांमध्ये विभागण्यात आले आहे. या कार्यासनांच्या प्रमुखपदी कक्ष अधिकारी किंवा अवर सचिव आहेत. ही कार्यासने १० उपसचिव, ४ सहसचिव, २ प्रधान सचिव आणि २ अपर मुख्य सचिव यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली आहेत.

(ब) अभियोग संचालनालय, २०१४-न्यायदान, १९४-विधी सल्लागार व समुद्रेशी.—अभियोग संचालनालय या कार्यालयाची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. संचालक यांची नेमणूक पूर्वी भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस महानिरीक्षक दर्जावरील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्तीने करण्यात येत होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दिनांक २० मे १९१७ च्या शासन निर्णयान्वये अभियोग संचालनालयाची पुनर्रचना करून राज्यातील सर्व अभियोक्त्यांना या संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली आणले गेले आहे. संचालक पदाचे सेवाप्रवेश नियम, १९१७ मधील नियम ३ (अ) अन्वये कार्यरत उपसंचालकास पदोन्नतीने संचालकपदी नेमता येते अथवा नियम ३ (ब) अनुसार संचालकपदी उच्च न्यायालयाच्या संमतीने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वर्गातील न्यायाधीशांची नेमणूक वर्ग करून करण्यात येते.

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. डीपीपी ०९२४/प्र.क्र.१४२/पोल-१०, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ अन्वये महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अभियोग संचालनालयाचे ‘विभाग प्रमुख’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

राज्यातील सहायक सरकारी अभियोक्ता प्रवर्गाचे प्रशासन हे प्रमुख कार्य संचालनालय पार पाडीत आहे. तसेच सत्र न्यायालयात गुन्ह्याचे तपासाकामी किंवा न्यायालयात केस चालविताना काही दोषामुळे आरोपीची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते निर्दर्शनास आणणे हे या संचालनालयाचे

मुख्य काम आहे. ज्या केसमध्ये आरोपीची मुक्तता झाली असेल त्या सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्राची या संचालनालयात छाननी केली जाते. एखाद्या प्रकरणात योग्य वाटल्यास अपिलाचीही शिफारस या कार्यालयातर्फ केली जाते.

(क) नागरी संरक्षण.— नागरी संरक्षण राष्ट्राच्या अंतर्गत संरक्षण योजनेमधील एक अविभाज्य अंग आहे. नागरी संरक्षण हालचाली अंतर्गत शत्रूंची उद्दिष्टे सफल होऊ न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो. नागरी संरक्षण दलाचा मुख्य उद्देश शत्रूच्या हल्त्यामुळे होणाऱ्या परिणामाची तीव्रता कमी करणे, जीवित व मालमत्तेची हानी कमीत कमी होण्यासाठी प्रयत्न करणे, उत्पादन खंड न पडू देणे व सर्व जनतेचे मनोधृष्टीय कायम राखणे तसेच देनंदिन जीवन त्वरित पूर्वस्थितीत आणणे असे आहेत. सदर उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी शांततेच्या काळात स्वयंसेवकांची भरती करणे व प्रशिक्षण देणे इत्यादींचे जोरदार प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच निष्क्रिय स्वयंसेवकांना कमी करण्यात आले आहे. मा. संचालकांच्या आदेशानुसार नागरी संरक्षण जनजागृती प्रशिक्षण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमात शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी, शाळा-महाविद्यालयातील शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी, औद्योगिक घटकांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांचा समावेश आहे. नागरी संरक्षण कार्यालयाकडून माहे एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ पर्यंत एकूण १,१४,०८८ नागरिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नागरी संरक्षण दलातर्फ आयोजित केलेल्या जनजागृती प्रशिक्षणामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन, अग्निशमन, प्रथमोपचार विमोचन प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत.

नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय

नागरी संरक्षण स्वयंसेवक, शाळा, कॉलेज यांचे विद्यार्थी, शहरातील औद्योगिक नागरी संरक्षण घटक, वाणिज्य नागरी संरक्षण घटक, मर्मरथ प्रतिष्ठापने, शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील कर्मचारी व नागरी संरक्षण अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी इत्यादींना राज्य स्तरावरील नागरी संरक्षणाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यासाठी बृहन्मुंबईमध्ये सन १९६३ मध्ये नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाची स्थापना करण्यात आली.

राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ

२. पुढील वर्षात हाती घेण्यात येणारी कामे.— नागरी संरक्षण सेवा उभारणे, स्वयंसेवकांची नोंदणी करणे आणि प्रशिक्षण देणे, नागरी संरक्षण शहरातील औद्योगिक क्षेत्रात जास्तीत जास्त नागरी संरक्षण पथके स्थापन करण्यात प्रोत्साहन देणे इत्यादी नागरी संरक्षण उपाययोजनांबाबतचे कार्य हाती घेण्यात येईल. जास्तीत जास्त नागरिकांना नागरी संरक्षण प्रशिक्षण देऊन आपदव्यवस्थापनेबाबत जागरूकता निर्माण करणे हे नागरी संरक्षण दलाचे उद्दिष्ट आहे.

(ड) होमगार्ड्स.— जनसेवेच्या भावनेने प्रेरित होऊन स्वेच्छेने पुढे येणाऱ्या समाजातील सर्व स्तरातील पात्र उमेदवारांना त्यांच्या क्षेत्रात होमगार्ड संघटनेत भरती करून घेतले जाते. त्यांना प्राथमिक, उजळणी व प्रगत प्रशिक्षण दिले जाते. प्राथमिक व उजळणी प्रशिक्षण जिल्हा स्तरावर दिले जाते. मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, घाटकोपर, मुंबई येथे वेगवेगळ्या प्रकारचे होमगार्ड प्रशिक्षण दिले जाते.

पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकाऱ्यांची महासमादेशक, होमगार्ड या पदावर (शासनाकडून) प्रतिनियुक्तीवर नेमणूक केली जाते व ते होमगार्ड संघटनेचे प्रमुख असतात. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यात जिल्हा समादेशकांची पदे वेतनी करण्यात आलेली आहेत. अधिनिर्स्त पथक, उपपथक ही मानसेवी अधिकाऱ्यांची कार्यालये असतात.

होमगार्ड वेतनी कर्मचारी नसून मानसेवी स्वयंसेवक आहेत. त्यांना प्रशिक्षण कर्तव्य कालावधीत अनुज्ञेय मानधन दिले जातात.

२. नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी होमगार्ड संघटना ही नागरी संरक्षण संघटनेचे केंद्र (Nucleus) म्हणून कार्य करते. याचवेळी परिवहन, दलवाळण, पाणीपुरवठा व इतर आवश्यक सेवा खंडित झाल्यास त्या पूर्ववत चालू करण्यासाठी होमगार्ड साहाय्य करतात. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, तसेच सालाबादप्रमाणे येणारे सण/उत्सव जिल्ह्यामधील स्थानिक यात्रांप्रसंगी होमगार्ड पोलिसांना मदत करतात. विनाशुल्क रुग्णसेवा, नेत्र शिविरे, श्रमदान, रक्तदान, रोगनिदान शिविरे, वन महोत्सव, सामाजिक वनीकरण इत्यादीसाठीदेखील होमगार्ड्सच्या सेवेचा समाजोपयोगासाठी उपयोग करून घेतला जातो. याप्रकारे होमगार्ड संघटना, वन, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमक दल, पोलीस इत्यादी विभागांना आवश्यक ती सर्व मदत करीत असते. भारत सरकारने अधिकृत केलेल्या एकूण ५३,८५६ च्या लक्ष्य संख्येच्या संदर्भात राज्यातील होमगार्ड्सची ऑक्टोबर २०२४ अखेर एकूण पटावरील संख्या ४३,९१३ आहे. यापैकी ३६,९१८ पुरुष व ६,९९५ महिला होमगार्ड्स आहेत.

४. होमगार्ड हे मानसेवी सदस्य असून त्यांचे हिताच्या काही योजना आहेत. त्यानुसार सलग ३ वर्षे कार्यरत होमगार्ड सदस्यास पोलीस शिपाई, वनरक्षक, फायरमन या पदावर नियुक्तीकरिता ते विहित पात्रता पूर्ण करीत असल्यास ५ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. या होमगार्ड्स संघटनेतील सर्व होमगार्ड्सना आपली सेवा विविध क्षेत्रांना देण्याची संधी मिळावी. प्रामुख्याने हा उद्देश समोर ठेवून होमगार्ड सुरक्षा रक्षक सेवा योजना शासन मान्यतेनुसार सर्व जिल्हा स्तरांवर कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे. या योजनेत पात्र माजी सैनिकांनाही प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत होमगार्ड्सना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रशिक्षित होमगार्ड्सची सेवा शासकीय/निमशासकीय महामंडळे, कार्यालये, खाजगी कंपन्या/संस्था व बँका यांना त्यांचे मागणीनुसार पुरवण्यात येते. या योजनेअंतर्गत आता होमगार्ड्सना सुरक्षारक्षक म्हणून सेवा पुरविण्याची संधी आढीपाळीने मिळत असून, या सेवेच्या मोबदल्यात त्यांना आर्थिक लाभ मिळत आहेत. या सेवेस उत्तम प्रतिसाद मिळण्यासाठी या संघटनेचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे.

विवरणपत्र / STATEMENT

एकूण अर्थसंकल्पाचा कार्यक्रमनिहाय ते *Programmewise details of Total Budget*

(रुपये हजारात/RS. in thousands)

Programmewise details of Total Budget Estimates

| असु- क्रमांक Sr. No. | कार्यक्रम No. | प्रत्यक्ष रकमा Actual 2023-2024 | अधिकारीय अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अधिकारीय अंदाज Budget Estimate 2025-2026 | अधिकारीय अंदाज Programme 2025-2026 |
|-------------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| 9. | गृह विभाग माणणी क्रमांक बी-१ प्रथम शीर्ष 2014 न्यायदान, (११४) विधी सल्लागार व समुदेशी (००) (०१)(अभियोग संचालनालय)- (२०१८००२९) | भारित .. | - | - | - | I. Home Dept. Demand No. B-1, Major Head 2014 Administration of Justice (114) Legal Advisors and Counsels (00) (01) (Directorate of Prosecutions)-(20140029) |
| 2. | ८०० इतर खर्च (विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व फररी तस्करांच्या मात्रमत्रे व्यवस्थापन) भारित (२०१८००४७) | दत्तमत .. | 1585456 | 2267159 | 1721836 | II. ८०० इतर खर्च (विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी व फररी तस्करांच्या मात्रमत्रे व्यवस्थापन) भारित (20140047) |
| 3. | बी-४, २०५२ सचिवालय - सर्वसाधारण सेवा ०९०-सोकेटरिएट-(गृह विभाग)-(२०५२००१९) | भारित .. | - | - | 27541 | III. B-4, 2052-Secretariat General Services ०९० Secretariat (Home Department). (20520179) |
| | | दत्तमत .. | 27040 | 32480 | - | Voted |
| | | भारित .. | - | - | - | Charged |
| | | दत्तमत .. | 366224 | 431381 | - | Charged |
| | | भारित .. | - | - | 410606 | Voted |

| | | | | | |
|---|-------|-------|---------|---------|---|
| ४. १०६ नागरी संरक्षण-भारित | भारित | .. | — | — | IV. 106 Civil Defence--Charged |
| दतमत | दतमत | .. | 180937 | 281189 | Voted |
| बी-१,२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा | | | | | B-1 2070-Other Administrative Services. |
| ५. १०७ होमगार्ड— | | | | | V. B-107 Home Guards |
| भारित | भारित | .. | — | — | |
| दतमत | दतमत | .. | 2817242 | 4002337 | Charged |
| | | | 50 | 35 | Voted |
| | | | 5950609 | 4044754 | B-4 2075-Miscellaneous General Expenses |
| ६. ८०० इतर खर्च (ग्रादेशिक सेनेटील कर्मचार्यांना पुरस्कार) — (२०७५०९८९) | | 226 | 489 | — | VI. 800 Other Expenditure—(Awards to the Personnel of Territorial Army). (20750187) |
| २०७६, संकीर्ण सर्वसाधारण सेवा | | | | | |
| ७. बी-५ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | | 1600 | 489 | | VII. B-6 2235-Social Security and Welfare |
| १०८ योजनेशी संलग्न ठेव—शासन भविष्य निर्वाह निधी— (२२३५०६८४) | | 24600 | 36916 | 36916 | 104 Deposit Linked Insurance Schedule Government Provident Fund. (22351684) |
| ८. बी-६, २२५०-इतर सामाजिक सेवा | | 29533 | | | VIII. B-6, 2250 Other Social Services |
| ३. १०१ घर्मावाय प्रयोजनासाठी देणरया (संस्थाना देणरया)— (२२५००२८) | | 10000 | 10000 | 10000 | 2. 101 Donations for Charitable purposes (Donations to Institutions). (22500228) |

विवरणपत्र / STATEMENT

एकूण अर्थसंकल्पाचा प्रधानशीर्ष-नि-कार्यक्रम निहाय तपशील

(रुपये हजारात/Rs. in thousands)

| अनु- क्रमांक Sr. No. | कार्यक्रम Programme | प्रत्यक्ष रकमा Actuals 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimate 2025-2026 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

२२३५—सामाजिक सुरक्षा व कल्याण

2235—Social Security and Welfare

**IX. 104 Deposit Linked
Insurance Scheme
Government
Provident Fund
(22351684)**

36916

5

१०४ विमा योजनेशी संलग्न ..
ठेव शासन भविष्य निर्वह निधि
(३२३५५६८४)

राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई

प्रस्तावना

मानवी हक्क संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम २१ च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्यात राज्य मानवी हक्क आयोगाची दिनांक १५ जानेवारी २००० रोजी स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दिनांक १३ मार्च २००१ पासून आयोगाचे कामकाज सुरु झाले आहे. आयोगावर एक अध्यक्ष व दोन सदस्य आहेत. आयोगाकडे एक सचिव, एक विशेष पोलीस महानिरीक्षक व एक प्रबंधक आहेत. आयोगाचे पुढीलप्रमाणे तीन विभाग आहेत :-- (१) विधी विभाग, (२) प्रशासन विभाग, (३) अन्वेषण विभाग.

आयोगाकरिता नियमित ५४ पदे मंजूर असून याशिवाय दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी १५ कात्पनिक पदे मंजूर केली आहेत. अशाप्रकारे ६९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत.

आयोगाचे कार्यालय प्रशासकीय अधिकारी महाविद्यालय आवार, ९, हजारीमल सोमाणी मार्ग, सी. एस. टी. समोर, मुंबई-४०० ००९ येथे कार्यरत आहे.

आयोगाचे कार्यालय शासनाच्या गृह विभागाच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असून, आयोगाची कार्य खालीलप्रमाणे निर्धारित करण्यात आलेली आहेत :--


- (१) लोकसेवकाकडून मानवी हक्क भंग झाला आहे वा त्या बाबतीत त्यांनी अपप्रेरणा दिली आहे वा मानवी हक्क भंगाचा प्रतिबंध करण्यात दुर्लक्ष केले आहे, अशा प्रकरणी स्वप्रेरणेने वा ग्रस्त व्यक्तीकडून तक्रार आल्यावर चौकशी करणे.
- (२) न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या कार्यवाहीबाबत मानवी हक्क भंग झाल्याची तक्रार असेल, तर अशा बाबतीत संबंधित न्यायालयाच्या मान्यतेने हस्तक्षेप करणे.
- (३) कैद्यांच्या राहणीमानाची पाहणी व अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना देऊन, तुरळगांना वा ज्या संस्थेत कैद्यांना उपचारार्थ वा सुधारण्यासाठी वा संरक्षणाखाली ठेवले असेल, अशा ठिकाणांना भेटी देणे.
- (४) मानवी हक्क संरक्षणार्थ राज्यघटना वा कोणत्याही विद्यमान कायदाखाली पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षिततेसंबंधीच्या तरतुदीचा आढावा घेणे व अशा तरतुदीच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
- (५) मानवी हक्कांचा संकोच करणाऱ्या अतिरेकी व इतर घटकांचा आढावा घेणे व योग्य ती उपाययोजना सुचविणे.
- (६) मानवी हक्कांवरील प्रबंध व आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर शोधग्रंथांचा अभ्यास करणे व त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
- (७) मानवी हक्कांसंबंधी संशोधनाचे काम हाती घेणे व प्रोत्साहन देणे.
- (८) समाजातील विविध प्रवर्गात मानवीहक्कांविषयी जाणीव निर्माण करणे आणि प्रसिद्धी व प्रसार माध्यमे, संमेलने व अन्य उपलब्ध साधनांद्वारे मानवीहक्क संरक्षणाच्या उपलब्ध तरतुदीविषयी जागृती वाढावी म्हणून प्रयत्न करणे.
- (९) मानवी हक्क क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या अशासकीय संघटना व संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.
- (१०) मानवी हक्क संवर्धनासाठी आवश्यक वाटेल असे अन्य कार्य पार पाडणे.

आयोगाकरिता आर्थिक वर्ष सन २०२४-२०२५ करिता एकूण रुपये ८६४.९० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे.

आयोगाकडे (सन २०२४-२०२५) मधील शिल्लक प्रकरणे ८,४३८ व चालू वर्ष डिसेंबर २०२४ पर्यंत एकूण ५,८०८ प्रकरणे अशी एकूण १४,२४६ प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून, त्यापैकी डिसेंबर २०२४ अखेर ७,१३७ प्रकरणे निकालात काढण्यात आलेली आहेत.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई

संरचना



३. कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण—

(iii) Programme work-load summary and explanation of financial requirements

आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीवर मुख्यतः आयोगाचे विधी शाखेकडून कार्यवाही करण्यात येते तसेच मा. आयोगाने निर्देश दिल्यानंतर व तपासीदलाकडून कार्यवाही करण्यात येते. या दोन्ही शाखांद्वारे केलेल्या कामाची आकडेवारी खालील तक्त्यात देण्यात येत आहे.

Following is the status of action taken by the Legal wing and Investigation wing on the complaint received by the Commission.

तक्ता १

Table 1

आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीवर केलेल्या कार्यवाहीबाबतची संख्या दर्शविणारा तक्ता

Status of Complaints received by the Commission

| अ. क्र. | वर्ष | आरंभीची शिल्लक Opening Balance | प्राप्त झालेल्या तक्रारांची संख्या Total No. of cases received | निकालात काढलेल्या तक्रारींची संख्या Total No. of cases Disposed | वर्ष अखेर शिल्लक तक्रारी Pendency | शेरा Remarks |
|---------|-----------|---|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2022-2023 | .. | 24583 | 5643 | 6767 | 23459 |
| 2 | 2022-2023 | .. | 23459 | 5597 | 15685 | 8437 |
| 3 | 2024-2025 | .. | 8438 | 5808 | 7137 | 7036 डिसेंबर २०२४ पर्यंत upto December 2024. |

तक्ता २

Table 2

पोलीस ठाण्यांची व कारागृहांची तपासणी दर्शविणारा तक्ता

Police Stations and Jails visits during the year

| अ. क्र. | वर्ष | वर्षभरात तपासणी केलेल्या पोलीस ठाण्यांची संख्या Police Stations Visits | मानवी कोठडीचा ताबा असलेल्या संख्या Custodial Institution | वर्षभरात तपासणी केलेल्या कारागृहांची संख्या Jails Visits | शेरा Remarks |
|---------|-----------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2022-2023 | 17 | 13 | 9 | - |
| 2 | 2023-2024 | 15 | 12 | 9 | |
| 3 | 2024-2025 | 18 | 12 | 11 | डिसेंबर २०२४ पर्यंत upto December 2024. |

Table 3
तपासणी दलाने केलेले तपासणी काम दर्शविणारा तक्ता
Work done by Investigation Wing

| अ. क्र. | वर्ष Sr. No. | आरंभीची शिल्लक Opening Balance | तपासणीसाठी प्राप्त झालेल्या प्रकरणांची संख्या Total No. of cases received by Investigation | तपासणी केलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of Case Investigated | शिल्लक प्रकरणांची संख्या Pendency | शेरा Remarks |
|---------|-----------------|---|--|---|---|---------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2022-2023 | .. | 10 | 488 | 454 | 44 |
| 2 | 2023-2024 | .. | 44 | 369 | 380 | 33 |
| 3 | 2024-2025 | .. | 33 | 169 | 172 | 30 31-10-2024 पर्यंत |

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा

(iv) Personnel Summary

| अ. क्र. Sr. No. | पदाचे नाव | वेतनश्रेणी Pay Scale | सुधारित वेतन मॅटक्समधील वेतन स्तर ७ व्या वेतन आयोगानुसार | पदांची संख्या Posts | No. of Posts | Designation |
|--------------------------|--|---|--|---------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
| १ | अध्यक्ष | .. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते Pay and allowances as are admissible to the Honourable Chief Justice of the Highcourt | Pay in Judicial Service | 1 | 1 | Chairperson |
| २ | सदस्य | .. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश Pay in Judicial Service यांना अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते Pay and allowances are as admissible to sitting Judge of the Highcourt | | 2 | 2 | Member |
| ३ | सचिव | .. Rs. 37,400-67000 | .. S-30 : 1,44,200 - 2,18,200 | 1 | 1 | Secretary |
| ४ | विशेष पोलीस महानिरीक्षक | .. Rs. 37,400-67000 | .. S-30 : 1,44,200 - 2,18,200 | 1 | 1 | Special Inspector General of Police |
| ५ | पोलीस अधीक्षक | .. Rs. 15,600-39,100 | .. S-23 : 67,700 - 2,08,700 | 1 | 1 | Supdt. of Police |
| ६ | प्रबंधक | .. Rs. | .. Pay in Judicial Service | 1 | 1 | Registrar |
| ७ | सहायक प्रबंधक | .. Rs. | .. Pay in Judicial Service | 1 | 1 | Assistant Registrar |
| ८ | कक्ष अधिकारी | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-15 : 41,800 - 1,32,300 | 1 | 1 | Section Officer |
| ९ | लेखा अधिकारी | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-16 : 44,900 - 1,42,400 | 1 | 1 | Account Officer |
| १० | अधीक्षक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-15 : 41,800 - 1,32,300 | 1 | 1 | Superintendent |
| ११ | पोलीस निरीक्षक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-18 : 49,100 - 1,55,800 | 2 | 2 | Police Inspector |
| १२ | स्वीय सहायक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-16 : 44,900 - 1,42,400 | 4 | 4 | Personal Assistant |
| १३ | प्रशिक्षण अधिकारी | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-15 : 41,800 - 1,32,300 | 1 | 1 | Research Officer |
| १४ | लेखापाल | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-15 : 41,800 - 1,32,300 | 1 | 1 | Accountant |
| १५ | उच्चश्रेणी लघुलेखक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-15 : 41,800 - 1,32,300 | 2 | 2 | Stenographer (H.G) |
| १६ | विधी सहायक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-14 : 38,600 - 1,22,800 | 1 | 1 | Legal Assistant |
| १७ | सहायक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-14 : 38,600 - 1,22,800 | 2 | 2 | Assistant |
| १८ | निम्नश्रेणी लघुलेखक | .. Rs. 9,300-34,800 | .. S-14 : 38,600 - 1,22,800 | 2 | 2 | Stenographer (L.G) |
| १९ | लिपिक-टंकलेखक | .. Rs. 5,200-20,200 | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | 9 | 9 | Clerk |
| २० | देयक लिपिक | .. Rs. 5,200-20,200 | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | 1 | 1 | Bill Clerk |
| २१ | वाहनचालक | .. Rs. 5,200-20,200 | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | 6 | 6 | Driver |
| २२ | पोलीस वाहनचालक | .. Rs. 5,200-20,200 | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | 1 | 1 | Police Driver |
| २३ | पोलीस शिपाई | .. Rs. 5,200-20,200 | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | 4 | 4 | Police Constable |
| २४ | शिपाई | .. Rs. 4,440-7,440 | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | 7 | 7 | Peon |
| २५ | डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (लिपिक, काल्पनिक पदे) | .. | | 3 | 0 | Data Entry Operator (Clerk, Notional Posts) |
| २६ | काल्पनिक पदे (लिपिक-टंकलेखक, विधी सहा., लघु टं.ले., लघु ले.) | | | 0 | 15 | Notional Posts (Clerk-Typist, Legal Asst., Lower grade Steno, Stenographer) for 2 years. |
| २ वर्षांकिता | | | | | | |
| एकूण पदे .. | | | | 57 | 69 | Total Posts |

कार्यक्रम-२

विधी सल्लागार व समुपदेशी

(Legal Adviser and Councils)

अभियोग संचालनालय

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्यांना अभियोग संचालनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणले गेले आहे. सत्र न्यायालयात गुन्ह्याच्या तपासकामी किंवा सत्र न्यायालयात केस चालविताना झालेल्या काही दोषामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते दोष निर्दर्शनास आणणे हे या संचालनालयाचे मुख्य कार्य आहे. ज्या प्रकरणी आरोपींची मुक्तता झाली असेल त्या निकालपत्रांची या संचालनालयात छाननी केली जाते. एखाद्या केसमध्ये योग्य वाटल्यास अपिलाची शिफारसही या संचालनालयातर्फे केली जाते.

वरील कामाशिवाय महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हांमधील गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासकामी होणारे दोष दूर करण्याच्या हेतूने गुन्ह्याच्या कागदपत्रांची तपासपूर्व छाननी करण्यात येते व योग्य ते मार्गदर्शन तपास अंमलदारांना करण्यात येते. या कारणासाठी विभागीय मुख्यालयांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हांच्या ठिकाणी अन्वेषण अधिकाऱ्यांच्या परिषदाही घेण्यात येतात. तसेच नवनिर्वाचित सहायक सरकारी अभियोक्ते, पोलीस अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणेकरिता महाराष्ट्र पोलीस ॲकेडमी व पोलीस ट्रेनिंग स्कूल येथेही भेट देतात. शासनाने मागितल्यास महत्त्वाचे प्रकरणी आपले अभिप्राय/मार्गदर्शन देतात.

अभियोग संचालनालय

संचालक, अभियोग संचालनालय या कार्यालयाची स्थापना १९५८ मध्ये झाली. संचालकास सत्र न्यायालयाच्या केसेस चालवण्याचा अनुभव असणे जरुरी असते. म्हणून संचालक यांची नेमणूक उच्च न्यायालयाच्या संमतीने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश वर्गातील न्यायाधीशातून वर्ग करून करण्यात येत होती. परंतु शासनाने त्यानंतर संचालकपदी भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस महानिरीक्षक दर्जावरील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला उपसंचालक या पदावर पदोन्नतीने सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता संवर्गातील अधिकारी उपलब्ध नसल्याने शासनाने सेवा प्रवेश नियम ३ (ब) प्रमाणे न्यायिक सेवेतील अधिकारी संचालक पदावर आणले होते परंतु जर उपसंचालक या पदावर अधिकारी कार्यरत असतील तर संचालक पदाच्या सेवा प्रवेश नियम ३ (अ) नुसार उपसंचालक पदांपैकी एक अधिकारी संचालक पदी नेमला जाईल व उपसंचालक पदावर कोणी उपलब्ध नसल्यास ३ (ब) अन्वये न्यायिक सेवेतील अधिकारी नेमला जातो.

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. डीपीपी ०९२४/प्र.क्र.१४२/पोल-१०, दिनांक १६ सप्टेंबर २०२४ अन्वये महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना अभियोग संचालनालयाचे ‘विभाग प्रमुख’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

सत्र न्यायालयात गुन्ह्यांचे तपासकामी किंवा न्यायालयात केस चालविताना काही दोषामुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाली असल्यास ते निर्दर्शनास आणणे हे या संचालनालयाचे मुख्य काम आहे. ज्या केसमध्ये आरोपीची मुक्तता झाली असेल, त्या सत्र न्यायालयाच्या निकालपत्राची या संचालनालयात छाननी केली जाते. एखाद्या केसमध्ये योग्य वाटल्यास अपिलाचीही शिफारस या संचालनालयातर्फे केली जाते.

दिनांक १ जुलै २०२४ रोजीपासून ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३’ या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २० (७) अन्वये ज्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा ही १० वर्षे किंवा १० वर्षांपेक्षा जास्त आहे किंवा जन्मठेप आहे किंवा मृत्युंदंड आहे, अशा खटल्यावर मा. संचालक हे मॉनिटरिंग/देखरेख करतील आणि न्यायनिवाड्यांची छाननी करून प्रकरण अपील करण्यास योग्य आहे किंवा कसे, याबाबत आपले मत देतील. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २० (८) अन्वये ज्या गुन्ह्यामध्ये शिक्षा ही ७ ते १० वर्षे आहे, अशा खटल्यावर उपसंचालक हे मॉनिटरिंग/देखरेख करतील आणि न्यायनिवाड्यांची छाननी करून प्रकरण अपील करण्यास योग्य आहे किंवा कसे, याबाबत आपले मत देतील. तसेच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम २० (९) अन्वये गुन्ह्यामध्ये शिक्षा ही ७ वर्षांपर्यंत आहे, अशा खटल्यावर सहायक संचालक हे मॉनिटरिंग/देखरेख करतील आणि न्यायनिवाड्यांची छाननी करून प्रकरण अपील करण्यास योग्य आहे किंवा कसे, याबाबत आपले मत देतील.

वरील छाननीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हांतील सरकारी अभियोक्ते जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांमार्फत अशी सत्र न्यायालयांची निकालपत्रे या कार्यालयास पाठवितात. ही निकालपत्रे आल्यावर ती वाचून संचालक त्यावर ते निकालपत्र पूर्ण छाननीसाठी घ्यावयाचे किंवा नाही याचा निर्णय घेतात व त्या निर्णयानुसार छाननी करण्याचे ठरल्यास मूळ पोलीस तपासाची कागदपत्रे मागवण्यात येतात व ते आल्यावर संचालक ते सर्व कागदपत्र वाचून आपले टिप्पणी तयार करतात, त्या टिप्पणीत संचालक, आरोपीची मुक्तता सदोष तपासामुळे की सदोष केस चालविल्यामुळे झाली या विषयी त्यांची मते व्यक्त करतात व झालेल्या चुका पुढे टाळण्यासाठी योग्य ते मार्गदर्शनही अन्वेषण अधिकाऱ्यांना करतात. या टिप्पण्याची एक प्रत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना व एक प्रत गृह विभागाला व अभियोक्त्याने केस सदोषपणे चालविलेली असेल तर एक प्रत विधी व न्याय विभागाकडे पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी पाठविली जाते.

याशिवाय संचालनालयातर्फ महाराष्ट्रातील सर्व गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाच्या कामी दोष दूर करण्याच्या हेतूने गुन्ह्याच्या तपास कागदपत्रांची पूर्वछाननी करण्यात येते व योग्य ते मार्गदर्शन अधिकाऱ्यांना करण्यात येत असते. यासाठी विभागीय मुख्यालयांना वेळोवेळी, संचालक भेटी देतात. संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांच्या ठिकाणी अन्वेषण अधिकाऱ्यांच्या परिषदाही घेण्यात येतात.

वरील कामाशिवाय संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे राज्यातील पोलीस ट्रेनिंग स्कूल व महाराष्ट्र पोलीस अँडमीस भेट देऊन नवनिर्वाचित पोलीस अधिकारी, सहायक सरकारी अभियोक्ते यांना मार्गदर्शन करतात. सत्र प्रकरणे मागे घेणे किंवा मंजुरी देणे याबाबत शासनास अभिप्राय देतात. तसेच इतर महत्वाचे प्रकरणी शासनाने मागितल्यास अभिप्राय देतात.

पोलीस अभियोक्त्यांनी दाखल केलेल्या एका याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनास राज्यातील सर्व अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करून त्यांना पोलीस नियंत्रणातून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गृह विभागाच्या दिनांक २० मे १९९७ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व अभियोक्त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्यात आला असून त्यांना या संचालनालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यात आले आहे. राज्यातील अभियोक्ता प्रवर्गाच्या प्रशासकीय बाबी या संचालनालयामार्फत हाताळल्या जात आहेत. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. ११.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबत देण्यात आलेल्या सूचनानुसार अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण सुधारित १४३१ पदांचा आकृतिबंध गृह विभाग, शासन निर्णय, दि. १.०२.२०२२ अन्वये निश्चित करण्यात आलेला आहे. तथापि, शासनाच्या दिनांक ५ जुलै २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण ५७६ वर्ग-१ ते वर्ग-३ ची पदे निर्माण करण्यात आलेली आहेत. संचालनालयातील एकूण पदसंख्या सध्या २००७ एवढी आहे.

संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी सन २०२४-२०२५ मध्ये केलेल्या कामाची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे :--

| | | | |
|-----|--|----|------|
| (१) | मागील वर्षाची शिल्लक प्रकरणे | .. | १२५ |
| (२) | वर्षभरात मिळालेल्या निकालपत्रांची संख्या | .. | २२१२ |
| (३) | एकूण निकालपत्रांची संख्या | .. | २३३७ |
| (४) | सविस्तर छाननी करून दप्तरी दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्या | .. | २३१५ |
| (५) | सविस्तर छाननी करून दोष आढळलेल्या प्रकरणांची संख्या (या सर्व प्रकरणांतील न्यूनता संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या व शासनाच्या निर्दर्शनास आणली जाते) | .. | -- |
| (६) | पुढील वर्षाकरिता शिल्लक प्रकरणे | .. | २२ |
| (७) | निरनिराळ्या जिल्ह्यांना दिलेल्या भेटींची संख्या | .. | -- |
| (८) | छाननी केलेल्या प्रकरणांची संख्या | .. | -- |

(2) वित्तीय साहाय्य
(ii) Financial Requirements

तत्काला
Table

(रुपये हजारत/Rs. in thousands)

| कार्यक्रम | प्रत्यक्ष रकमा Actual 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज | | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-2025 Budget Estimate 2024-2025 | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-2026 Budget Estimate 2025-2026 | |
|--|------------------------------------|--------------------|---------|---|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| अ कार्याचे वर्गीकरण— | | | | | | | |
| विधी व सल्लागार भारित(२०१४०३१७) व समुपदेशी (२०१४००२१) दरमत अभियोग संचालनातय (अनिवार्य) | | | | | | | |
| ०१ वेतन | .. | 1263057 | 1911400 | 1433550 | 2021654 | 01 Salaries | |
| ०२ मरुसी | .. | 25 | 87 | 25 | 91 | 02 Wages | |
| ०६ दूरध्वनी वीज व पाणी शुल्क | 1206 | 2200 | 1320 | 1320 | 2200 | 06 Tel., Elect., Water ch. | |
| १० कंत्राटी सेवा | .. | 236044 | 310920 | 246132 | 310920 | 10 Contractual Services | |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च | .. | 2858 | 4321 | 3025 | 4451 | 11 Domestic Travel Expenses | |
| १३ कार्यालयीन खर्च | .. | 3561 | 4340 | 3227 | 4470 | 13 Office Expenses | |
| १४ भाडेपट्टी व कर | .. | 4701 | 5322 | 4258 | 5322 | 14 Rent, Rate and Taxes | |
| १६ प्रकाशने | .. | — | 5 | 4 | 5 | 16 Publications | |
| १७ संगणकावरील खर्च | .. | 339 | 948 | 664 | 976 | 17 Computer Expenses | |
| २८ व्यावसायिक सेवा | 728 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 28 Prof. Services | |
| ५१ मोटार वाहन | .. | — | 16 | 11 | 16 | 51 Motor Vehicles | |
| ५२ यंत्र सामग्री व साधन सामग्री | 72937 | 26600 | 18620 | 26600 | 26680 | 52 Machinery and Equipments | |
| भारित | .. | — | — | — | — | charged | |
| दरमत एकूण रक्तुल | .. | 1585456 | 2267159 | 1721836 | 2377905 | Voted Total Gross | |

(२) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

सत्र न्यायालयात निर्दोष सटलेल्या प्रकरणांच्या निकालपत्रांच्या उत्तर तपासणीबाबत माहिती दर्शविणारा तक्ता

(2) District work programme and explanation of financial needs.

Chart showing No. of cases scrutinized which ended in acquittal in Sessions Court

तक्ता २

TABLE II

| जिल्हा District | वर्ष Year | वर्षाच्या सुरुवातीची अनिर्णित प्रकरणे Matters pending at the beginning of year | वर्षभरात मिळालेल्या निकालपत्रांची एकूण संख्या No. of Cases received in the year | वर्षभरात छानीसाठी घेतलेल्या निकालपत्रांची No. of Cases taken up for scrutiny | वर्षभरात छानी करून दप्तरी दाखल प्रक्रिया केलेल्या निकाल- पत्रांची संख्या No. of Cases Filed after scrutiny | छानी करून तत्संबंधीचा अहवाल पोलीस महानिरीक्षक, संबंधित पोलीस अधीक्षक, विधी व न्याय विभाग यांना कळ- विलेल्या निकाल पत्रांची संख्या No. of Cases in which report sent to Director General of Police, concern Suptd. of Police, Law and Judiciary Dept. | वर्ष अखेरीस अनिर्णित असलेली प्रकरणे No. of Cases pending at the end of the year |
|----------------------------|--------------------|--|---|--|--|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 बृहन्मुंबई ^{..} | 2023-2024 | .. | — | 176 | 176 | 176 | — |
| Greater .. | 2024-2025 | .. | — | 61 | 61 | 61 | — |
| Mumbai .. | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 500 | 500 | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 2 ठाणे .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| Thane .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 100 | 100 | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 3 रायगड .. | 2023-2024 | .. | — | 37 | 37 | 37 | — |
| Raigad .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 50 | 50 | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 4 रत्नागिरी .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| Ratnagiri .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 30 | 30 | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 5 सिंधुदुर्ग .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| Sindhudurg.. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 30 | 30 | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |

तक्ता २--चालू

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------|----|-----------|-------------------------|----|-----|-----|-----|----|
| 6 नाशिक Nashik | .. | 2023-2024 | .. | — | 72 | 72 | 72 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 10 | 10 | 10 | — |
| 7 धुळे Dhule | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 5 | 5 | 5 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 10 | 10 | — | — |
| 8 जळगाव Jalgaon | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 10 | 10 | — | — |
| 9 अहिल्यानगर.. Ahilyanagar | .. | 2023-2024 | .. | — | 601 | 601 | 596 | 02 |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 3 | 436 | 439 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 1 | 200 | 201 | 01 |
| 10 पुणे Pune | .. | 2023-2024 | .. | — | 20 | 20 | 20 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 10 | 10 | 10 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 50 | 50 | — | — |
| 11 सातारा Satara | .. | 2023-2024 | .. | — | 319 | 319 | 319 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 182 | 182 | 182 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 200 | 200 | — | — |
| 12 सांगली Sangli | .. | 2023-2024 | .. | — | 248 | 248 | 248 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 237 | 237 | 237 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 100 | 100 | — | — |
| 13 सोलापूर Solapur | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 50 | 50 | — | — |
| 14 कोल्हापूर Kolhapur | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 100 | 100 | — | — |
| 15 छत्रपती संभाजीनगर | .. | 2023-2024 | .. | 40 | 785 | 825 | 825 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 571 | 571 | 571 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 150 | 150 | — | — |
| 16 जालना Jalna | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 100 | 100 | — | — |
| 17 परभणी Parbhani | .. | 2023-2024 | .. | 16 | 215 | 231 | 231 | — |
| | .. | 2024-2025 | .. | — | 83 | 83 | 83 | — |
| | .. | 2025-2026 | (अंदाजे) (Estimated) | .. | 100 | 100 | — | — |

तक्ता २--चालू

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|-----------|--------------|----------|-------------|-----|-----|-----|----|
| 18 | बीड | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Beed | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 50 | 50 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 19 | नांदेड | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Nanded | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 20 | 20 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 20 | धाराशिव | .. 2023-2024 | .. | - | 51 | 51 | 51 | - |
| | Dharashiv | 2024-2025 | .. | - | 117 | 117 | 117 | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 20 | 20 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 21 | लातूर | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Latur | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 30 | 30 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 22 | बुलढाणा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Buldhana | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 50 | 50 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 23 | अकोला | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Akola | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 50 | 50 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 24 | अमरावती | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Amravati | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 20 | 20 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 25 | यवतमाळ | .. 2023-2024 | .. | 42 | 136 | 178 | 178 | - |
| | Yavatmal | 2024-2025 | .. | - | 126 | 126 | 115 | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 11 | 300 | 311 | 11 |
| | | | | (Estimated) | | | - | - |
| 26 | वर्धा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Wardha | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 50 | 50 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 27 | नागपूर | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Nagpur | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 20 | 20 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |
| 28 | भंडारा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Bhandara | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 | (अंदाजे) | .. | 20 | 20 | - | - |
| | | | | (Estimated) | | | | |

तक्ता २--समाप्त

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|---|-----|
| 29 चंद्रपूर .. 2023-2024 | .. | — | 55 | 55 | 55 | — | — |
| Chandrapur 2024-2025 | .. | — | 312 | 312 | 312 | — | 10 |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | 10 | 100 | 110 | — | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 30 गडचिरोली .. 2023-2024 | .. | — | 166 | 166 | 44 | — | 122 |
| Gadchiroli 2024-2025 | .. | 122 | — | 122 | 122 | — | — |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 100 | 100 | — | — | — |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 31 हिंगोली .. 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — | — |
| Hingoli 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — | — |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 50 | 50 | — | — | — |
| | (Estimated) | .. | | | | | |
| 32 नंदुरबार .. 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — | — |
| Nandurbar 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — | — |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 20 | 20 | — | — | — |
| | (Estimated) | .. | | | | | |
| 33 वाशिम .. 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — | — |
| Washim 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — | — |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 20 | 20 | — | — | — |
| | (Estimated) | .. | | | | | |
| 34 गोंदिया .. 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — | — |
| Gondia 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — | — |
| 2025-2026 (अंदाजे) | .. | — | 10 | 10 | — | — | — |
| | (Estimated) | .. | | | | | |
| एकूण | | 2023-2024 .. 98 | 2809 | 2907 | 2780 | 2 | 125 |
| | | 2024-2025 (अंदाजे) .. 125 | 2212 | 2337 | 2315 | — | 22 |
| | | 2025-2026 (Estimated) .. 22 | 2720 | 2742 | — | — | — |

संचालक, अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी जिल्ह्यांना दिलेल्या भेटीच्या वेळी मार्गदर्शन केलेल्या तपासाधीन प्रकरणांचा तपशील दर्शविणारा तक्ता

Chart showing the No. of matters under investigation in which guidance is given by the Director of Prosecution, Maharashtra State, Mumbai at the time of his visit to District.

तक्ता ३

TABLE III

| | जिल्हा District | वर्ष Year | भेटींची संख्या No. of visits | | | विचारार्थ पाठविलेल्या व निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of matter disposed off which were sent for consideration | | |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------------|--|-----------|------------------------|
| | | | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 (अंदाजित) | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 (अंदाजित) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 बृहन्मुंबई | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | Greater | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | Mumbai | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |
| 2 ठाणे | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | Thane | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |
| 3 रायगड | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | Raigad | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 15 |
| 4 रत्नागिरी | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | Ratnagiri | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |
| 5 सिंधुदुर्ग | .. | 2023-2024 | .. | 1 | — | — | — | — |
| | Sindhudurg | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |
| 6 नाशिक | .. | 2023-2024 | .. | 1 | — | — | — | — |
| | Nashik | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 15 |
| 7 धुळे | .. | 2023-2024 | .. | — | — | — | — | — |
| | Dhule | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |
| 8 जळगाव | .. | 2023-2024 | .. | 1 | — | — | — | — |
| | Jalgaon | 2024-2025 | .. | — | — | — | — | — |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) (Estimated) | .. | — | — | 1 | — | 10 |

तक्ता ३--चालू

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 9 | अहिल्यानगर .. Ahilyanagar | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 10 | पुणे .. Pune | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | 2 -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 11 | सातारा .. Satara | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 12 | सांगली .. Sangli | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 13 | सोलापूर .. Solapur | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | 5 -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 14 | कोल्हापूर .. Kolhapur | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | 1 -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 15 |
| 15 | छत्रपती संभाजीनगर .. Chhatrapati Sambhajinagar | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 16 | जालना .. Jalna | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 17 | परभणी .. Parbhani | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 18 | बीड .. Beed | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 19 | नांदेड .. Nanded | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | -- -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |
| 20 | उस्मानाबाद .. Osmanabad | 2023-2024 2024-2025 2025-2026 | .. (अंदाजे) (Estimated) | 1 -- -- | -- 1 | -- -- -- | -- -- 10 |

तक्ता ३--चालू

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------------|--------------------|--------------|---|---|---|---|----|
| 21 | लातूर | .. 2023-2024 | .. | 1 | - | - | - | - |
| | Latur | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 22 | बुलढाणा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Buldhana | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 23 | अकोला | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Akola | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 24 | अमरावती | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Amravati | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 25 | यवतमाळ | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Yavatmal | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 26 | वर्धा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Wardha | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 27 | नागपूर | .. 2023-2024 | .. | 2 | - | - | - | - |
| | Nagpur | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 15 |
| | | | (Estimated). | | | | | |
| 28 | भंडारा | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Bhandara | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 29 | चंद्रपूर | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Chandrapur | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |
| 30 | गडचिरोली | .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - |
| | Gadchiroli | 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - |
| | | 2025-2026 (अंदाजे) | .. | - | - | 1 | - | 10 |
| | | | (Estimated) | | | | | |

તવक्ता ૩--ચાલૂ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------------------|-------------|----|---|----|---|---|-----|
| 31 હિંગોળી .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - | - |
| Hingoli 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 (અંદાજે) | .. | - | - | 1 | - | - | 10 |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 32 નંદુરબાર .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - | - |
| Nandurbar 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 (અંદાજે) | .. | - | - | 1 | - | - | 10 |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 33 વાશિમ .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - | - |
| Washim 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 (અંદાજે) | .. | - | - | 1 | - | - | 10 |
| | (Estimated) | | | | | | |
| 34 ગોંડિયા .. 2023-2024 | .. | - | - | - | - | - | - |
| Gondia 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 (અંદાજે) | .. | - | - | 1 | - | - | 10 |
| | (Estimated) | | | | | | |
| એક્ઝ્ટણ .. 2023-2024 | .. | 15 | - | - | - | - | - |
| 2024-2025 | .. | - | - | - | - | - | - |
| 2025-2026 (અંદાજે) | .. | - | - | 34 | - | - | 360 |
| | (Estimated) | | | | | | |

कायदेशीर मतप्रदर्शनासाठी शासनाकडून आलेली प्रकरणे दर्शविणारा तक्ता

Chart showing the Disposal of matters received from Government for the Legal Opinion

तक्ता ४

TABLE IV

| वर्ष Year | वर्षाच्या सुरुवातीची अनियमित प्रकरणे No. of matters pending at the beginning of the year | मत प्रदर्शनासाठी पाठविलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of cases received for giving opinion | निकालात काढलेल्या प्रकरणांची संख्या No. of matters disposed off | वर्षाच्या शेवटची अनिर्णित प्रकरणे No. of matters pending at the end of the year |
|----------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023-2024 | .. | — | 14 | 14 |
| 2024-2025 | .. | — | 11 | 11 |
| 2025-2026 | .. | — | 20 | 20 |
| (अंदाजे) (Estimated) | | | | |

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा

(IV) Personnel Summary

तक्ता ५

TABLE V

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम Pay Band (Grade Pay) | वेतन बँड (ग्रेड वेतन) Pay Band (Grade Pay) | पदसंख्या | | Designation |
|--------------------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
| | | | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| १ राजपत्रित-गट-आ | | | | | I. Gazetted--Class-I and II |
| संचालक, अभियोग संचालनालय | .. | Pay of District Judge (जिल्हा न्यायाधीश वेतन) | .. | 1 | Director of Prosecution |
| उपसंचालक | .. | S-25 : 78800 - 209200 | .. | 6 | Dy. Director |
| सहा. संचालक व सरकारी अभियोक्ता | .. | S-24 : 71100 - 211900 | .. | 35 | Asstt. Director & P. P. |
| अति सरकारी अभियोक्ता | .. | S-23 : 67700 - 208700 | .. | 489 | Addl. Public Prosecutor |
| सहा. सरकारी अभियोक्ता | .. | S-20 : 56100 - 177500 | .. | 879 | Asstt. Public Prosecutor |
| | | एकूण | .. | 1410 | 1410 |
| २ राजपत्रित-गट-ब | | | | | Total |
| लेखा अधिकारी | .. | S-15 : 41800 - 132300 | .. | 1 | II. Gazetted--Class-II |
| प्रशासकीय अधिकारी | .. | S-15 : 41800 - 132300 | .. | 1 | Accounts Officer |
| | | एकूण | .. | 2 | Admn. Officer |
| ३ अराजपत्रित-गट-ब | | | | | Total |
| अधीक्षक | .. | S-14 : 38600 - 122800 | .. | 38 | III. Non-Gazetted--Class-II |
| उच्च श्रेणी लघुलेखक | .. | S-16 : 44900 - 142400 | .. | 1 | Superintendent |
| निम्न श्रेणी लघुलेखक | .. | S-15 : 41800 - 132300 | .. | 44 | Higher Grade Stenographer |
| | | एकूण | .. | 83 | Lower Grade Stenographer |
| ४ अराजपत्रित-गट-क | | | | | Total |
| लघुंकलेखक | .. | S-8 : 25500 - 81100 | .. | 70 | IV. Non-Gazetted--Class-III |
| वरिष्ठ लिपिक | .. | S-8 : 25500 - 81100 | .. | 43 | Steno Typist |
| लिपिक, टंकलेखक | .. | S-6 : 19900 - 63200 | .. | 362 | Senior Clerk |
| रोखपाल | .. | S-6 : 19900 - 63200 | .. | 1 | Clerk-cum-Typist |
| वाहन चालक | .. | S-6 : 19900 - 63200 | .. | 1 | Cashier |
| | | एकूण | .. | 477 | Driver |
| | | | | | Total |

तक्ता ५--समाप्त

TABLE V--concl.

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम Pay Band (Grade Pay) | वेतन बँड (ग्रेड वेतन) Pay Band (Grade Pay) | पदसंख्या | | Designation |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| | | | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| ५ | अराजपत्रित-गट-ड | | | | |
| हवालदार | .. | S-3 : 16600 - 52400 | .. | 1 | Hawaldar |
| शिपाई | .. | S-1 : 15000 - 47600 | .. | 34 | Peons |
| | | एकूण | .. | 35 | Total |
| | | एकूण बेरीज | .. | 2007 | Grand Total |

कार्यक्रम-३

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

सन १९७३ च्या फौजदारी व्यवहार संहितेच्या कलम २० प्रमाणे राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, अपर अव्वल कारकून यांना त्यांच्या संबंधित कार्यक्षेत्रात कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून शासनाने नेमले आहे. त्यांच्या नेहमीच्या महसूल विभागाच्या कामाच्या व्यतिरिक्त, ते फौजदारी व्यवहार संहितेनुसार दिलेल्या अधिकाराचा वापर करतात. या व्यतिरिक्त सदरहू संहितेच्या कलम २१ नुसार शासनाने नाशिक, अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा, ठाणे, पुणे, सोलापूर व सांगली या ८ जिल्ह्यांत कार्यकारी दंडाधिकारांच्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी प्रत्येकी एक, असे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी नेमलेले आहेत. सदरहू संहितेच्या कलम १०७ प्रमाणे चॅप्टर प्रोसिडिंग चालविणे, कलम १२९, १३१ व १३३ नुसार बेकायदेशीर जमाव पांगविणे व कलम १४५ व १४७ नुसार जमीन किंवा पाण्याच्या मालकीसंबंधीच्या वादाचा निर्णय देणे असे अधिकार विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांना दिलेले आहेत. सदरहू फौजदारी व्यवहार संहितेच्या कलम ६ मध्ये दिलेल्या न्यायालयाच्या प्रकरणानुसार विशेष दंडाधिकारांसहित सर्व कार्यकारी दंडाधिकारांच्यांच्या न्यायालयास फौजदारी न्यायालय म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलेले आहे.

पुणे शहर उपविभाग, पुणे या क्षेत्रातील फौजदारी प्रक्रिया संहिता, मुंबई पोलीस अधिनियम, मुंबई मद्यपान निषेध नियम व अपघाती मृत्यू याबाबतची प्रकरणे हाताळण्याकरिता १ उपविभागीय दंडाधिकारी (राजपत्रित पद), १ लिपिक व २ शिपायांची अस्थायी पदे अस्तित्वात आहेत.

तत्काल TABLE

(रुपये हजारात/Rs. in thousands)

| कार्यक्रम | प्रत्यक्ष एकमा Actual 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2025-2026 Budget Estimate 2025-2026 |
|--|------------------------------------|--|-------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ब. उद्दिष्टनिहाय वर्गीकरण-- | | | | | | |
| (००) (०१) (विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी) (अग्निवार्य) भारित (२०१४००३८) दत्तमत (२०१४००४७) | | | | | | |
| ०१-वेतन | .. | 26880 | 27300 | 32300 | — | — |
| ०३-आतिकालिक भता | .. | — | 1 | 1 | — | — |
| ०६-दूरध्वनी वीज व पाणी शुल्क | .. | — | 1 | 1 | — | — |
| ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च | 18 | 61 | 43 | — | — | 11 Domestic Travel Expenses |
| १३-कार्यालयीन खर्च | 91 | 106 | 85 | — | — | 13 Office Expenses |
| १७-संगणक खर्च | 51 | 72 | 50 | — | — | 17 Computer Expenses |
| एकूण शूल दत्तमत | .. | 27040 | 27541 | 32480 | — | Voted Total Gross |

तपका २ TABLE II

(३) कार्यक्रमाचा कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण (iii) Programme work-load summary and explanations of financial requirements

विशेष कार्यकरी दंडाधिकरी यांच्याकडे आलेली व त्यांनी निकालात काढलेल्या चॉटर नोंदी व जमीन व पाणी ते इत्यादीबहलाची प्रकरणे दरशविणारा तपका

| अनु- क्रमांक Sr. No. | जिल्हा/ District | वर्ष/ Year | वर्षाच्या सुरुवातीस अनिर्णित असलेली प्रकरणे | | | | | | वर्षामध्ये | | | | | | वर्षामध्ये निकाली | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|-------------------|---------------|--|---------|---------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------|---------|---------------|-------------------|---------|---------------|---|---------|---------------|---|---|
| | | | No. of cases pending at the beginning of the year | | | No. of cases received during the year | | | Total No. of cases | | | काढलेली प्रकरणे | | | काढलेली प्रकरणे | | | वर्षाखेरीस अनिर्णित राहिलेली प्रकरणे | | | | |
| | | | चॉटर नोंदी | जमीन व पाणी ते | इतर Others | चॉटर नोंदी | पाणी ते | इतर Others | चॉटर नोंदी | पाणी ते | इतर Others | चॉटर नोंदी | पाणी ते | इतर Others | चॉटर नोंदी | पाणी ते | इतर Others | चॉटर नोंदी | पाणी ते | इतर Others | | |
| 1 | कोल्हापूर Kolhapur | 2023-2024 | .. | 2728 | - | 2985 | - | - | 5713 | - | - | 2745 | - | - | 2968 | - | - | 2968 | - | - | - | |
| | Kolhapur | 2024-2025 | .. | 2968 | - | 3879 | - | - | 6847 | - | - | 3766 | - | - | 3081 | - | - | 3081 | - | - | - | |
| 2 | ठाणे Thane | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 3081 | - | 2857 | - | - | 5938 | - | - | 3623 | - | - | 2315 | - | - | 2315 | - | - | - | |
| | Thane | 2023-2024 | .. | 630 | 36 | 1189 | 0 | - | 1819 | 36 | - | 755 | 0 | - | 1064 | 36 | - | 1064 | 36 | - | - | |
| | Thane | 2024-2025 | .. | 1064 | 36 | 1175 | 12 | - | 2239 | 48 | - | 1154 | 4 | - | 1085 | 44 | - | 1085 | 44 | - | - | |
| 3 | सांगली Sangli | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 1085 | 44 | 1293 | 14 | - | 2378 | 58 | - | 1269 | 27 | - | 1109 | 31 | - | 1109 | 31 | - | - | |
| | Sangli | 2023-2024 | .. | 738 | - | 1560 | - | - | 2298 | - | - | 1450 | - | - | 848 | - | - | 848 | - | - | - | |
| | Sangli | 2024-2025 | .. | 848 | - | 1450 | - | - | 2298 | - | - | 1400 | - | - | 898 | - | - | 898 | - | - | - | |
| | Sangli | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 963 | - | 1687 | - | - | 2650 | - | - | 1637 | - | - | 1013 | - | - | 1013 | - | - | - | |
| 4 | सोलापूर Solapur | 2023-2024 | .. | 1880 | - | 10567 | - | - | 12447 | - | - | 8265 | - | - | 0 | 4182 | - | 0 | 4182 | - | - | - |
| | Solapur | 2024-2025 | .. | 4182 | - | 8841 | - | - | 13023 | - | - | 9894 | - | - | 0 | 3129 | - | 0 | 3129 | - | - | - |
| | Solapur | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 3129 | - | 9002 | - | - | 12131 | - | - | 8245 | - | - | 0 | 3886 | - | 0 | 3886 | - | - | - |
| 5 | नाशिक Nashik | 2023-2024 | .. | 231 | - | 1164 | - | - | 1395 | - | - | 1120 | - | - | 275 | - | - | 275 | - | - | - | |
| | Nashik | 2024-2025 | .. | 275 | - | 1996 | - | - | 2271 | - | - | 1397 | - | - | 874 | - | - | 874 | - | - | - | |
| | Nashik | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 874 | - | 2789 | - | - | 3663 | - | - | 2715 | - | - | 948 | - | - | 948 | - | - | - | |
| 6 | अहमदनगर Ahmednagar | 2023-2024 | .. | 195 | - | 1750 | - | - | 1945 | - | - | 1213 | - | - | 732 | - | - | 732 | - | - | - | |
| | Ahmednagar | 2024-2025 | .. | 732 | - | 2906 | - | - | 3638 | - | - | 2521 | - | - | 1117 | - | - | 1117 | - | - | - | |
| 7 | सातारा Satara | 2023-2024 | .. | 1126 | - | 2500 | - | - | 3626 | - | - | 3000 | - | - | 626 | - | - | 626 | - | - | - | |
| | Satara | 2024-2025 | .. | 1699 | - | 4822 | - | - | 6521 | - | - | 3297 | - | - | 1699 | - | - | 1699 | - | - | - | |
| | Satara | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 3224 | - | 4500 | - | - | 7724 | - | - | 4815 | - | - | 2909 | - | - | 2909 | - | - | - | |
| 8 | पुणे Pune | 2023-2024 | .. | 619 | 5 | 3321 | 8 | - | 3940 | 13 | - | 3320 | 9 | - | 620 | 4 | - | 620 | 4 | - | - | |
| | Pune | 2024-2025 | .. | 620 | 4 | 3623 | 10 | - | 4243 | 14 | - | 3520 | 10 | - | 723 | 4 | - | 723 | 4 | - | - | |
| | Pune | 2025-2026 (अंदाजे)(Estimated) | .. | 723 | 4 | 3623 | 10 | - | 4346 | 14 | - | 3520 | 10 | - | 826 | 4 | - | 826 | 4 | - | - | |

तक्ता ३

TABLE 3

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, पुणे, ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व सातारा यांचेकडील प्रलंबित प्रकरणे

Pending Cases of Sub-Divisional Magistrate, Pune and Special Executive Magistrate, Pune, Thane, Nashik, Ahmednagar, Sangli, Kolhapur, Solapur and Satara as on 31st December 2021

| | फौजदारी (अंदाजे) कलम १०७, १०९, ११० प्रमाणे | फौजदारी (अंदाजे) कलम १४५ प्रमाणे | मुंबई मद्यपान निषेध कलम ९३ प्रमाणे | अपघाती मृत्यु प्रकरणे | एकूण |
|---------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| पुणे Pune | | | | | |
| 2023-2024 .. | 2745 | 2 | 76 | 391 | 3214 |
| 2024-2025 .. | 2945 | 2 | 82 | 431 | 3460 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 3012 | 2 | 81 | 410 | 3505 |
| ठाणे Thane-- | -- | | | | |
| 2023-2024 .. | 1064 | 36 | 0 | 0 | 1100 |
| 2024-2025 .. | 1085 | 44 | 0 | 0 | 1129 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 1109 | 31 | 0 | 0 | 1140 |
| अहिल्यानगर Ahilyanagar | | | | | |
| 2023-2024 .. | 195 | -- | -- | -- | 195 |
| 2024-2025 .. | 732 | -- | -- | -- | 732 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 1126 | -- | -- | -- | 1126 |
| सांगली Sangli | | | | | |
| 2023-2024 .. | 848 | -- | -- | -- | 848 |
| 2024-2025 .. | 989 | -- | -- | -- | 989 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 1013 | -- | -- | -- | 1013 |
| कोल्हापूर Kolhapur | | | | | |
| 2023-2024 .. | 2968 | -- | -- | -- | 2968 |
| 2024-2025 .. | 3081 | -- | -- | -- | 3081 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 2315 | -- | -- | -- | 2315 |
| सातारा Satara | | | | | |
| 2023-2024 .. | 1699 | -- | -- | -- | 1699 |
| 2024-2025 .. | 3224 | -- | -- | -- | 3224 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 2909 | -- | -- | -- | 2909 |
| सोलापूर Solapur | | | | | |
| 2023-2024 .. | 13018 | 15 | 463 | 1216 | 14712 |
| 2024-2025 .. | 10747 | 15 | 404 | 1028 | 12194 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 11042 | 21 | 904 | 1147 | 13114 |
| नाशिक Nashik | | | | | |
| 2023-2024 .. | 275 | -- | -- | -- | 275 |
| 2024-2025 .. | 1996 | -- | -- | -- | 1996 |
| 2025-2026(अंदाजे) .. | 2789 | -- | -- | -- | 2789 |

तक्ता ४

TABLE 4

दिनांक ३१ डिसेंबर २०२१ अखेर उपविभागीय दंडाधिकारी, पुणे, विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी, पुणे, ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर व सातारा यांचेकडील प्रलंबित प्रकरणे

Pending Cases of Sub-Divisional Magistrate, Pune and Special Executive Magistrate, Pune, Thane, Nashik, Ahmednagar, Sangli, Kolhapur, Solapur and Satara as on 31st December 2020

अधिवास प्रमाणपत्रे, नागरिकत्वाचे दाखले, प्रतिज्ञापत्रे आणि मुख्यारपत्रे इत्यादी कामे-निरंक

Domicile Certificate, Citizenship Certificate, Affidavit, Power of Attorney Other

पुणे

Pune

2023-2024 .. — 50

2024-2025 .. — 16

2025-2026 .. — 25

(अंदाजे)

ठाणे

-- Thane--

2023-2024 .. — —

2024-2025 .. — —

2025-2026 .. — —

(अंदाजे)

नाशिक

Nashik

2023-2024 .. — —

2024-2025 .. — —

2025-2026 .. — —

(अंदाजे)

अहिल्यानगर

Ahilyanagar

2023-2024 .. — —

2024-2025 .. — —

2025-2026 .. — —

(अंदाजे)

सांगली

Sangli

2023-2024 .. — —

2024-2025 .. — —

2025-2026 .. — —

(अंदाजे)

तक्ता ४-- समाप्त

TABLE 4 --concl

अधिवास प्रमाणपत्रे, नागरिकत्वाचे दाखले, प्रतिज्ञापत्रे आणि मुख्यारपत्रे, इत्यादी कामे-

Domicile Certificate, Citizenship Certificate, Affidavit, Power of Attorney, etc. work

| | | | | |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| कोल्हापूर Kolhapur | Domicile | Income Certificate | Affidavit | Other |
| 2023-2024 .. - - - - - - | | | | |
| 2024-2025 .. - - - - - - | | | | |
| 2025-2026 .. - - - - - - | | | | |
| (अंदाजे) | | | | |

| सोलापूर Solapur | Domicile | Income Certificate | Affidavit | Other |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 2023-2024 .. - - - - - - | | | | |
| 2024-2025 .. - - - - - - | | | | |
| 2025-2026 .. - - - - - - | | | | |

| सातारा Satara | Domicile | Income Certificate | Affidavit | Other |
|--------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 2023-2024 .. - - - - - - | | | | |
| 2024-2025 .. - - - - - - | | | | |
| 2025-2026 .. - - - - - - | | | | |
| (अंदाजे) | | | | |

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा
(iv) Personnel Summary

तक्ता ५

TABLE 5

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम Pay Scale | वेतनमान No. of Posts | पद संख्या (२०२४-२०२५) (2024-2025) | Designation (२०२५-२०२६) (2025-2026) |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| १ | राजपत्रित--वर्ग-१ | Rs. | | <i>I. Gazetted—Class-I</i> |
| | विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी .. | S-19 : 55,100 - 1,75,100 | .. 8 | Special Executive Magistrate |
| | | | एकूण .. | 8 |
| २ | अराजपत्रित--वर्ग-३ | | | <i>II. Non-Gazetted—Class-III</i> |
| | लिपिक .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | .. 12 | Awwal Karkun |
| | | | एकूण .. | 12 |
| ३ | अराजपत्रित--वर्ग-४ | | | <i>III. Non Gazetted—Class-IV</i> |
| | चपराशी .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 11 | Peon |
| | | | एकूण .. | 11 |
| | | | एकूण बेरीज .. | 31 |
| | | | | Grand Total |

कार्यक्रम-४

गृह विभाग, मंत्रालय

प्रस्तावना टिपणी

१. प्रशासनिक सोयी आणि कार्यक्षमतेसाठी गृह विभागाचे “कायदा व सुव्यवस्था” आणि “परिवहन” असे दोन विभाग करण्यात आले होते. नंतर परिवहन विभागाचे विभाजन करून दोन नवीन भाग (१) परिवहन व तुरुंग, (२) राज्य उत्पादन शुल्क असे दिनांक १६ डिसेंबर १९८५ पासून करण्यात आले आहेत. गुन्ह्यांचा प्रतिबंध व अन्वेषण, कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन, पोलीस, होमगार्ड व नागरी संरक्षण यांचे प्रशासन व नियंत्रण आणि न्याय, प्रशासन, तसेच गृह (मंत्रालय) विभागाची आस्थापना यांचा कार्यभार अपर मुख्य सचिव संभाळतात. परिवहन विभागात परिवहनाच्या पद्धती, म्हणजे मार्ग परिवहन, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांचा कार्यभार अपर मुख्य सचिव (परिवहन) हे संभाळतात. तुरुंग विभागाचा कार्यभार अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) हे संभाळतात. राज्य उत्पादन शुल्क या विभागाचा कार्यभार अपर मुख्य सचिव (राउश) यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. तसेच विदेशी नागरिक हा विषय दिनांक १ डिसेंबर १९९५ पासून गृह विभागाकडे सोपविण्यात आलेला आहे.
२. अपर मुख्य सचिव यांना त्यांच्या कामात उच्च पातळीवर मदत देण्यासाठी, तसेच त्यांच्याकडील काही कार्यभार विभागून घेण्यासाठी सप्टेंबर १९८० पासून अपर सचिव, गृह विभाग हे एक नवीन पद निर्माण करण्यात येऊन त्यावर ज्येष्ठ आय. पी. एस. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दिनांक १ जानेवारी १९८९ पासून हे पद सचिव (अपील व सुरक्षा) या पदनामात बदलण्यात आले. तदनंतर दिनांक २६ सप्टेंबर १९९० पासून हे पद प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) या पदनामात बदलण्यात आले. तदनंतर या पदाचे पदाभिधान विशेष कार्य अधिकारी असे करण्यात आले होते. दिनांक ३० एप्रिल १९९३ रोजी हे पदधारक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, या पदाचे पदनाम पुन्हा प्रधान सचिव (अपील व सुरक्षा) असे करण्यात येऊन त्यापदी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी नियुक्तीस आहेत.
३. राज्यातील व प्रामुख्याने मुंबई शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न व न्यायालयीन चौकशी संबंधात तातडीचे कामकाज याबाबत अपर मुख्य सचिवांना साहाय्य करण्यासाठी दिनांक ६ फेब्रुवारी १९९३ पासून सचिव (कायदा व सुव्यवस्था) गृह विभाग हे एक नवीन पद निर्माण करण्यात येऊन त्यावर ज्येष्ठ आय. पी. एस. अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिनांक ५ डिसेंबर १९९६ पासून हे पद प्रधान सचिव (विशेष) या पदनामात बदलण्यात आले आहे.
४. या विभागातील काम ५२ कार्यासनांत विभागण्यात आले आहे. कार्यासनाच्या प्रमुखपदी कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आहेत आणि ही कार्यासने १०-उपसचिव, ४-सहसचिव, २-प्रधान सचिव आणि २-अपर मुख्य सचिव यांच्या पर्यवेक्षीय नियंत्रणाखाली आहेत. दिनांक १६ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाच्याचे मान्यता दिलेल्या आकृतिबंधानुसार आता या विभागाच्या राजपत्रित व अराजपत्रित पदांची एकूण संख्या ४२९ आहे.

| | | | | |
|--------|----|---------------------------|----|----|
| सहसचिव | .. | एस-२७ : १,१८,५००-२,१४,१०० | .. | ४ |
| उपसचिव | .. | एस-२५ : ७८,८००-२,०९,२०० | .. | १० |

चौकशी आयोग

अशांततेचे प्रकार शमविण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारामध्ये ज्या ठिकाणी चौकशी आयोग नियुक्त करणे आवश्यक आहे, असे शासनास वाटते. त्या घटनांची चौकशी करण्याकरिता चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ मधील कलम ३ अन्वये शासन चौकशी आयोग नियुक्त करते. एखाद्या प्रकरणी विधानसभेने तसा ठराव केल्यासही चौकशी आयोग नियुक्त केला जातो. चौकशी आयोगापुढे जे कामकाज चालते ते चौकशी आयोग अधिनियमातील पोट-कलम (५) अन्वये, न्यायिक कार्यवाही समजली जाते. त्याचप्रमाणे चौकशी आयोग अधिनियमान्वये चौकशी आयोगाचे अधिकारही विहित करण्यात आले आहेत. चौकशी आयोगास पुढील अधिकार आहेत :-

(अ) भारतातील कुठल्याही भागात राहणाऱ्या व्यक्तीस समन्स काढून व त्याची अंमलबजावणी करून, त्या व्यक्तीची शपथेवर तपासणी करणे.

(ब) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध करण्यास व ते उपलब्ध करण्यास सांगणे.

(क) शपथपत्रावरून पुरावा गोळा करणे.

(ड) कोणत्याही न्यायालयातून वा कार्यालयातून कोणतीही कागदपत्रे किंवा त्याच्या प्रती मागविणे.

२. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराची चौकशी करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या आयोगावर शासनाने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांची नियुक्ती केली जाते. आयोगाची कामकाजाची पद्धत इत्यादी लक्षात घेता आयोगास चौकशी पूर्ण करण्यासंबंधी व अहवाल सादर करण्याबाबत विशिष्ट कालमर्यादा घालता येणे शक्य होत नाही. तथापि, ज्या हेतुसाठी चौकशी आयोग नियुक्त करण्यात आलेला आहे, तो लवकरात लवकर साध्य होण्यासाठी आयोगाने आपली चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी शासन, आयोगास प्रभावित करते.

३. शासनाने खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे त्या त्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी आयोग नियुक्त केले आहेत.

| आयोगाचे नाव | घटना | आयोगाच्या नियुक्तीचा दिनांक | अहवालाची सद्यास्थिती |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| मा. न्या. दामले आयोग | .. ऑगस्ट १९९० मध्ये एम. आय. डी. सी. हिंगणा (जिल्हा नागपूर) परिसरात पोलिसांनी केलेला गोळीबार. | ३ जून १९९१ | अहवाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. मंत्रालयात दि. २९/६/१२ रोजी लागलेल्या आगीमध्ये सदर अहवाल व मूळ नस्ती नष्ट झाली आहे. या नस्तीची पुनर्बाधणी करण्यात येत आहे. |
| मा. न्या. पाटील आयोग | .. २६ ऑक्टोबर २००१ रोजी मालेगाव शहरात उसळलेली दंगल आटोक्यात आणताना पोलिसांनी केलेला लाठीमार व गोळीबार. | २६ नोव्हेंबर २००१ | अहवाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. मंत्रालयात दि. २९/६/१२ रोजी लागलेल्या आगीमध्ये सदर अहवाल व मूळ नस्ती नष्ट झाली आहे. या नस्तीची पुनर्बाधणी करण्यात येत आहे. |
| मा. न्या. राणे चौकशी आयोग | .. दिनांक २५ जून २००१ रोजी पुणतांबा, तालुका राहता, जिल्हा अहमदनगर येथे आदिवासी भूमी हक्क समितीने आपल्या विविध मागण्यांसाठी आयोजित केलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी केलेला लाठीमार व गोळीबार. | ५ मार्च २००२ | अहवाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. |
| मा. न्या. कोचर चौकशी आयोग | .. दिनांक २५ जानेवारी २००५ रोजी मौजे मांढरदेवी, तालुका वाई, जिल्हा सातारा येथील काळेश्वरी देवीच्या यात्रा उत्सवात झालेली चेंगराचेंगरी. | १६ मार्च २००५ | अहवाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. |
| मा. न्या. एम. जी. गायकवाड चौकशी आयोग | .. बुडर, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे येथे दिनांक ९ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या पोलीस गोळीबाराची चौकशी. | १३ सप्टेंबर २०११ | महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर दि. १४ जून २०१४ रोजी ठेवण्यात आला. |

| | | |
|--|--|--|
| मा. न्या. झा. ना. भरगंडे चौकशी समिती | .. अंबड, जिल्हा जालना येथे दिनांक २५ जुलै २०११ रोजी झालेल्या गोळीबाराची माजी न्यायाधिशामार्फत चौकशी. | ३० नोव्हेंबर २०११ महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर दि. २८ फेब्रु. २०१४ रोजी ठेवण्यात आला. |
| मा. न्या. व्ही. एस. गायकवाड चौकशी समिती | .. मोवाड, तहसील नरखेड, जिल्हा नागपूर ३० सप्टेंबर २०११ येथे दिनांक ५ ऑगस्ट २०११ रोजी झालेल्या गोळीबाराची माजी न्यायाधीशामार्फत चौकशी. | अहवाल शासनाच्या विचाराधीन आहे. |
| मा. न्या. के. यू. चांदिवाल चौकशी समिती | .. धुळे शहरात दि. ६ जानेवारी २०१३ रोजी ३० मार्च २०१३ झालेल्या दंगलीयी न्यायालयीन चौकशी | सदर अहवालावर शासन स्तरावर कार्यवाही चालू आहे. |
| मा. न्या. जे. एन. पटेल चौकशी आयोग | .. कोरेगाव भीमा, जि. पुणे येथे दि. १ जानेवारी २०१८ रोजी घडलेल्या घटनेसंदर्भातील चौकशी. | आयोगाचा अंतिम अहवाल अद्याप शासनास अप्राप्त आहे. त्यासाठी आयोगास दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. |
| मा. न्या. दिलीप भोसले आयोग | .. दि. २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुंब्रा बायपास येथे झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी. | १ ऑक्टो. २०२४ आयोगाचा अहवाल अद्याप शासनास अप्राप्त आहे. त्यासाठी आयोगास दि. ३१.०३.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. |

सल्लागार मंडळे

(१) परकीय चलन संचय आणि चोरटी आयात प्रतिबंध अधिनियम, १९७४

१. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमाच्या कलम ८ (अ) अन्वये सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर सल्लागार मंडळावर न्यायसेवेकडील एक अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात. आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे या सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्यात येते. सध्याचे सल्लागार मंडळ, शासनाच्या गृह विभाग (विशेष) ची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०९२४/प्र. क्र.-१४७९/विशा-३ अ, दिनांक ३० सप्टेंबर २०२४ अन्वये पुनर्रचित करण्यात आले आहे.

२. राज्य शासनास स्थानबद्धतेचे प्रत्येक प्रकरण या अधिनियमाच्या कलम ८ (ब) च्या तरतुदीनुसार, संबंधित व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून पाच आठवड्यांच्या आत वरील सल्लागार मंडळापुढे ठेवावयाचे असते. सल्लागार मंडळ त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा विचार करून जरूर वाटल्यास त्या त्या प्रकरणासंबंधी अधिक माहिती मिळवून अधिनियमाच्या कलम ८ (क) मधील तरतुदीप्रमाणे सदर व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून अकरा आठवड्यांच्या आत त्या त्या प्रकरणासंबंधीचा त्यांचा अहवाल शासनास पाठविते. सल्लागार मंडळाच्या अहवालाशिवाय स्थानबद्धास तीन महिन्यांपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

तथापि, ज्या स्थानबद्धाच्या बाबतीत या अधिनियमाच्या कलम ९ (१) मधील तरतुदीप्रमाणे, केंद्र शासनाने किंवा या प्रयोजनार्थ खास अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अपर सचिवापेक्षा कमी दर्जा नसणाऱ्या केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्याने संबंधित व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून पाच आठवड्यांच्या आत घोषणापत्र जारी केले असेल अशा व्यक्तीस सल्लागार मंडळाचे मत न घेता सहा महिन्यांपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

सल्लागार मंडळाने ज्या प्रकरणात स्थानबद्ध व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण आहे असे मत दिले असेल त्या प्रकरणात त्या व्यक्तीची स्थानबद्धता शासन कायम करू शकते व ज्या प्रकरणी, सल्लागार मंडळ स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण नाही असे मत देते तेव्हा शासन अशा व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेचे आदेश रद्द करून सदर व्यक्तीची स्थानबद्धतेतून त्वरित सुटका करण्याचे आदेश देते.

या अधिनियमाच्या कलम १० मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीस जास्तीत जास्त १२ महिने स्थानबद्धतेत ठेवता येते. तथापि, ज्या व्यक्तीच्या बाबत कलम ९ (१) अन्वये घोषणापत्र जारी करण्यात येते त्या व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

(२) गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८

या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी या अधिनियमाच्या कलम ९ (अ) अन्वये सल्लागार मंडळाची स्थापना करण्यात येते. सदर मंडळावर न्याय सेवेकडील एक अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात. आवश्यकता भासेल त्याप्रमाणे सल्लागार मंडळाची पुनर्रचना करण्यात येते. सध्याचे सल्लागार मंडळ शासनाच्या गृह विभाग (विशेष) ची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०९२४/प्र. क्र.-१४७९/विशा-३ (अ), दि. ३० सप्टेंबर २०२४ अन्वये पुनर्रचित करण्यात आले आहे.

राज्य शासनास स्थानबद्धतेचे प्रत्येक प्रकरण या अधिनियमाच्या कलम ९ (ब) च्या तरतुदीनुसार, संबंधित व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून पाच आठवड्यांच्या आत वरील सल्लागार मंडळ त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा विचार करून जरूर वाटल्यास त्या प्रकरणासंबंधी अधिक माहिती मिळवून अधिनियमाच्या कलम ९ (ब) मधील तरतुदीप्रमाणे सदर व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून अकरा आठवड्यांच्या आत त्या त्या प्रकरणासंबंधीचा त्यांचा अहवाल शासनास पाठविते. सल्लागार मंडळाच्या अहवालाशिवाय स्थानबद्धास तीन महिन्यांपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

तथापि, ज्या स्थानबद्धांच्या बाबतीत या अधिनियमाच्या कलम १० (१) मधील तरतुदीप्रमाणे केंद्र शासनाने किंवा या प्रयोजनार्थ खास अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या केंद्र शासनाच्या अपर सचिवापेक्षा कमी दर्जा नसणाऱ्या केंद्र शासनाच्या अधिकाऱ्याने संबंधित व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून पाच आठवड्यांच्या आत घोषणापत्र जारी केले असेल त्या व्यक्तीस सल्लागार मंडळाचे मत न घेता, सहा महिन्यांपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येईल.

सल्लागार मंडळाने ज्या प्रकरणात स्थानबद्ध व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण आहे असे मत दिले असेल त्या प्रकरणात त्या व्यक्तीची स्थानबद्धता शासन कायम करू शकते व ज्या प्रकरणी सल्लागार मंडळ स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण नाही असे मत देते तेव्हा शासन अशा व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेवे आदेश रद्द करून सदर व्यक्तीची स्थानबद्धतेतून त्वरित सुटका करण्याचे आदेश देते.

या अधिनियमाच्या कलम ११ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीस जास्तीत जास्त १२ महिने स्थानबद्धतेत ठेवता येते, तथापि, ज्या व्यक्तीच्या बाबत कलम १० (१) अन्वये घोषणापत्र जारी करण्यात येते त्या व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

(३) महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्येविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तीयांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१.

(१) महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्येविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्तीयांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९८१ यामध्ये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यामध्ये बाधक ठरतील अशा झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्येविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृक्श्राव्य कलाकृतीचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्यासाठी त्यांच्या प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.

(२) या अधिनियमाच्या कलम ३ (१) अन्वये “सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधक ठरेल अशा प्रकारचे कोणतोही कृत्य करण्यापासून एखाद्या व्यक्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी त्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करणे आवश्यक आहे. याबद्दल राज्य शासनाची खात्री झाल्यास; राज्य शासनास, त्या व्यक्तीस स्थानबद्ध करण्यात यावे असा निदेश देणारा आदेश काढता येईल” अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

(३) या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी याच अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये राज्य शासन आवश्यकतेनुसार एक किंवा अधिक सल्लागार मंडळे स्थापन करू शकेल.

(४) या प्रत्येक सल्लागार मंडळामध्ये जे सध्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील किंवा पूर्वी होते किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होण्यासाठी आवश्यक ती पात्रता धारण करीत असतील अशा तीन व्यक्तींची नियुक्ती संबंधित शासन करते. यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येते.

(५) सल्लागार मंडळाने ज्या प्रकरणात स्थानबद्ध व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण आहे असे मत दिले असेल, त्या प्रकरणात त्या व्यक्तीची स्थानबद्धता शासन कायम करू शकते व ज्या प्रकरणी सल्लागार मंडळ स्थानबद्धतेस पुरेसे कारण नाही, असे मत देते, तेव्हा शासन अशा व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेचे आदेश रद्द करून सदर व्यक्तीची स्थानबद्धतेतून त्वरित सुटका करण्याचे आदेश देते.

अधिनियमाच्या कलम १३ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही व्यक्तीस जास्तीत जास्त १२ महिने स्थानबद्धतेत ठेवता येते.

(६) राज्य शासनास स्थानबद्धतेचे प्रत्येक प्रकरण या अधिनियमाच्या कलम १० च्या तरतुदीनुसार संबंधित व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून तीन आठवड्यांच्या आत वरील सल्लागार मंडळपुढे ठेवावयाचे असते. सल्लागार मंडळ त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रत्येक प्रकरणाचा विचार करून जरूर वाटल्यास त्या त्या प्रकरणासंबंधी अधिक माहिती मिळवून सदर व्यक्तीच्या स्थानबद्धतेच्या दिनांकापासून सात आठवड्यांच्या आत त्या त्या प्रकरणासंबंधीचा अहवाल शासनास पाठविते.

सध्याचे सल्लागार मंडळ शासनाच्या गृह विभागाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण-०९२४/प्र. क्र.-१४७/विशा-३ (अ), दि. ३० सप्टेंबर २०२४ अन्वये पुढीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यात आले आहे.

| | | |
|--|----|---------|
| ०१. मा. न्यायमूर्ती, श्री. ए. एस. चांदूरकर | .. | अध्यक्ष |
| ०२. मा. न्यायमूर्ती, श्री. आर. एम. सावंत (सेवानिवृत्त) | .. | सदस्य |
| ०३. मा. न्यायमूर्ती, श्री. पी. व्ही. हरदास (सेवानिवृत्त) | .. | सदस्य |

(२) नियम आवश्यकता-
(ii) Financial Requirements

तालिका
TABLE

(रुपये हजार/Rs. in thousands)

| वर्गीकरण | प्रत्यक्ष एवं गा. Actual 2023-2024 | अर्थात् लग्ज अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | | अर्थात् लग्ज अंदाज Budget Estimate 2025-2026 | | अर्थात् लग्ज अंदाज Budget Estimate 2025-2026 | | |
|--|---------------------------------------|--|--------|---|--------|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| गांगणी इन. रुपये, २०२४ | .. | 58 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | Demand No. B4,2052 | 00,003 Training | .. | .. |
| ००,००३ प्रशिक्षण | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 90-Secretariat- | .. | .. |
| १०-शोधात्मक | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (००)(०१) गृह विभाग-आस्थापाना (२०५०५७) | 386224 | 431381 | 410606 | 462514 | 462514 | 462514 | (००)(०१) Home Department (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department (२०५०१७) |
| (००)(०२) विशेष चौके इनी आयोग .. (२०५०१७) | 11942 | 10000 | 25000 | 15000 | 15000 | 15000 | (००)(०२) Special Commission of Enquiry (२०५२०१८) |
| (००)(०३) सरकारी चालक (२०५०१७) | 1947 | 2340 | 3240 | 2960 | 2960 | 2960 | (००)(०३) Advisory Board (२०५२०१९) |
| (००)(०४) पारामर्श (२०५०४६) | 15697 | 22297 | 18565 | 22297 | 22297 | 22297 | (००)(०४) Passport (२०५०४६) | (००)(०४) Passport (२०५०४६) | (००)(०४) Passport (२०५०४६) | (००)(०४) Passport (२०५०४६) |
| (००)(०५) राज्य गान्धी हवड आयोग (२०५०५७) | 70200 | 106410 | 86410 | 102615 | 102615 | 102615 | (००)(०५) State Human Rights Commission (२०५२०५१७) |
| (००)(०६) गाहन्न्या प्रव तांची अमालवजाराणी-- (२०५०५२) | 24991 | 10000 | 7000 | 10000 | 10000 | 10000 | (००)(०६) Implement of E- Governor Project (२०५२५०९) |
| (००)(०७) शासविधि व मंचाचाना प्रशिक्षण (२०५०५२४) | 58 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | (००)(०७) Training to Govt. Employee (२०५२३२१४) |
| एक्स्ट्रा अ ^२ .. | 511059 | 583428 | 551521 | 615386 | 615386 | 615386 | Total- 'A' | Total- 'A' | Total- 'A' | Total- 'A' |
| गांगणी त्र गांव रुपये, २०२४ | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| ००,००३ प्रशिक्षण | .. | - | - | - | - | - | 00,003 Training | 00,003 Training | 00,003 Training | 00,003 Training |
| (००) | - | - | - | - | - | - | (००) | (००) | (००) | (००) |
| (००)(०७) शासविधि व मंचाचाना प्रशिक्षण दरमात (२०५०५२४) | - | - | - | - | - | - | (००)(०१) Training to Govt. Employee. Voted (२०५२५२१४) |
| ५० इच्छार याच. | 58 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 50 Other Charges | 50 Other Charges | 50 Other Charges | 50 Other Charges |
| (००)(०८) गृह विभाग-आस्थापाना (अधिकारी) (२०५०५७) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | (००)(०१) Home Department- (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department- (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department- (२०५०१७) | (००)(०१) Home Department- (२०५०१७) |
| ०१ देखान | .. | 332641 | 388500 | 371224 | 420000 | 420000 | 01 Salaries (Committed) | 01 Salaries (Committed) | 01 Salaries (Committed) | 01 Salaries (Committed) |
| ०३ अधिक लिव गरा .. | .. | 507 | 654 | 523 | 674 | 674 | 03 Overtime Allowance | 03 Overtime Allowance | 03 Overtime Allowance | 03 Overtime Allowance |
| ०६ दूरध्वनी दीज व पाणी कुल .. | .. | 133 | 2100 | 1680 | 800 | 800 | 06 Tel, Elect, Water Charges |
| १० चंगाती रोता .. | .. | 732 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 10 Contractual Services | 10 Contractual Services | 10 Contractual Services | 10 Contractual Services |
| ११ देशांतर घास याच .. | .. | 3162 | 4500 | 3150 | 4500 | 4500 | 11 Travel Expenses | 11 Travel Expenses | 11 Travel Expenses | 11 Travel Expenses |
| १२ विदेश प्रतास याच .. | .. | - | 809 | 809 | 809 | 809 | 12 Foreign Travel Exp. |

| | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | 43563 | 25844 | 25844 | 13 Office Expenses |
| १७ संगणक खर्च .. | 4266 | 4133 | 4770 | 17 Computer Expenses |
| २० इतर प्रशासकीय खर्च .. | 505 | 840 | 1200 | 20 Other Administrative Expenses |
| २४ पेट्रोल, तेल व तंगा .. | 700 | 1680 | 1680 | 24 P. O. L. |
| २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा | 15 | 500 | 500 | 28 Professional and Special Services. |
| ५० इतर खर्च .. | — | 1 | 1 | 50 Other Charges |
| ५१ मोटार वाहने .. | — | 1 | 1 | 51 Motor Vehicles |
| एकूण (००) (०१) भारित .. | — | — | — | Charged Total (००) (०१) |
| दरमत .. | 386224 | 431381 | 410606 | Voted |
| (००) (०२) विशेष चौकसी आयोग-- | | | | |
| (अनिवार्य) (२०५२०१८) | | | | |
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | 2025 | 2500 | 5000 | 13 Office Expenses |
| २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा .. | 9917 | 7500 | 20000 | 28 Professional & Special Services |
| एकूण (००) (०२) दरमत.. | 11942 | 10000 | 25000 | Total (००) (०२) Voted |
| (००) (०३) सल्लागार मंडळ-- | | | | |
| (अनिवार्य) (२०५२०१७) | | | | |
| ११ देशांतरगत प्रवास खर्च .. | 265 | 250 | 440 | 11 Travel Expenses |
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | 84 | 90 | 100 | 13 Office Expenses |
| २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा | 1598 | 2000 | 2700 | 28 Professional Special Service. |
| एकूण (००) (०३) दरमत .. | 1947 | 2340 | 3240 | 2960 |
| (००) (०४) पारपत्र-(अनिवार्य) | | | | |
| ०१ वेतन दरमत (२०५२०४६४) | 15697 | 22200 | 18491 | 22200 |
| ०३ अतिकालिक भत्ता .. | — | 1 | 1 | 01 Salaries Voted (20520464) |
| ०६ हृदरक्षनी, वीज व पाणी शुल्क | — | 1 | 1 | 03 Overtime Allowance |
| ११ प्रवास खर्च .. | — | 45 | 32 | 06 Tel., Elect., Water ch. |
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | — | 50 | 40 | 11 Travel Expenses |
| एकूण (००)(०४) .. | 15697 | 22297 | 18565 | 13 Office Expenses |
| | | | | Total (००) (४) |

(2) वित्तीय आवश्यकता--
(ii) Financial Requirements

तत्काल
TABLE

(रुपये हजारात/Rs. in thousands)

| कार्यक्रम | प्रत्यक्ष रकमा Actual 2023-2024 | अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अंदाज Budget Estimate 2025-2026 | अंदाज Programme 2025 |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---|---------------------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (००)(०५) राज्य मानवी हक्क आयोग-- | | | | | | |
| (अनिवार्य) (२०५२०५१) | | | | | | |
| ३१ सहायक अनुदान (वेतनतार) | 23100 | | 50000 | 30000 | 40000 | 31 |
| ३६ सहायक अनुदान (वेतन) .. | 47100 | | 56410 | 56410 | 62615 | 36 |
| एकूण (००) (०५) .. | 70200 | | 106410 | 86410 | 102615 | Total (००) (०५) |
| (००)(०६) गवर्नर्स प्रफल्पांची अंमलबजावणी-- | | | | | | |
| (२०५२०५१) | | | | | | |
| १७ संगणक खर्च .. | 24991 | | 10000 | 7000 | 10000 | |
| एकूण रक्तूल दत्तमत .. | 511059 | | 583428 | 551521 | 616386 | Total Gross Voted |
| एकूण वसुली .. | 19380 | | — | — | — | <i>Total-Recoveries</i> |
| एकूण (ब) निव्वळ .. | 491679 | | 583428 | 551521 | 616386 | Total Net |
| निव्वळ बेरीज २०५२ | | | | | | |
| सचिवालयातील सर्वसाधारण सेवा | | | | | | |
| भारित .. | — | | — | — | — | Charged |
| दत्तमत .. | 491679 | | 583428 | 551521 | 616386 | Voted |
| एकूण .. | 491679 | | 583428 | 551521 | 616386 | Total |

(००) (०५) State Human Rights
Commission
(Committed) (20520517)

2025-2026
Budget Estimate
2025-2026

२८

(००) (०६) Implement of E-
Governor Project (20525092)

17 Computer Expenses

New Total 2052
Secretary General Services

(3) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

(iii) Programme work-load summary and explanation of financial requirements

गृह विभागाचे प्रशासित मुख्य कार्य म्हणजे पोलीस, राज्य उत्पादन शुल्क, तुरंग, परिवहन, बंदरे व विदेशी नागरिक असे आहे.

या विभागाच्या अखत्यारीतील येणाऱ्या कार्यक्रमांचे कार्यान्वयन संबंधित विभाग प्रमुख किंवा कार्यालय प्रमुखाद्वारा केले जाते. कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश प्रत्येक कार्यक्रमाची कामगिरी व लक्ष्य दर्शवितो.

हे कार्यक्रम मंत्रालयीन स्तरावर घेतलेल्या धोरणविषयक निर्णयानुसार कार्यान्वित केले जातात. त्यामुळे मंत्रालयीन विभागांना कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा गोषवारा देण्यासाठी कोणतीही मोजमापे विहित करणे योग्य व सुसंबद्ध ठरणार नाही. ही मोजमापे फक्त प्रत्येक कार्यात्मक कार्यक्रमाच्या प्रगतीचा अंदाज घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत.

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा

(iv) Personnel Summary

तक्ता २

Table 2

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम Designation | वेतनमान Pay Scale | पदसंख्या No. of Posts | | Designation |
|--------------------------------|----------------------|---|--------------------------|-----------|--|
| | | | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| १ राजपत्रित-- | | | | | <i>I. Gazzeted—</i> |
| अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव | .. | 7 व्या वेतन आयोगानुसार मेट्रीक्स लेवल-17 : 2,25,000 | .. | 4 | 4 Additional Chief Secretary/ Principal Secretary |
| (प्रधान सचिव/सचिव) | .. | 7 व्या वेतन आयोगानुसार मेट्रीक्स लेवल-15 : 1,82,200 - 2,24,100 | | | (Principal Secretary) |
| सहसचिव | .. | S-27 : 1,18,500 - 2,14,100 | 4 | 4 | Joint Secretary |
| उपसचिव | .. | S-25 : 78,800 - 2,09,200 | 10 | 10 | Deputy Secretary |
| अवर सचिव | .. | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | 11 | 11 | Under Secretary |
| वरिष्ठ स्वीय सहायक | .. | S-24 : 71,100 - 2,11,900 | 4 | 4 | Senior Personnel Assistant |
| निवड श्रेणी लघुलेखक | .. | S-17 : 47,600 - 1,51,100 | 3 | 3 | Selection Grade Steno |
| सहायक संचालक | .. | S-20 : 56,100 - 1,77,500 | 1 | 1 | Accounts Officer |
| कक्ष अधिकारी | .. | S-17 : 47,600 - 1,51,100 | 43 | 43 | Section Officer |
| | | | एकूण | .. 80 | 80 Total |
| २ अराजपत्रित--गट-ब/गट-क | | | | | <i>II. Non-Gazetted—Class-III</i> |
| उच्च श्रेणी लघुलेखक | .. | S-16 : 44,900 - 1,42,900 | 16 | 16 | Higher Grade Steno |
| निम्न श्रेणी लघुलेखक | .. | S-15 : 40,800 - 1,32,300 | 10 | 06 | Lower Grade Steno |
| सहायक कक्ष अधिकारी | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | 121 | 121 | Assistant Section Officer |
| लघुटंकलेखक | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | 7 | 4 | Steno-typist |
| लिपिक व टंकलेखक | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | 159 | 159 | Clerks and Typists |
| वाहन चालक | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | 10 | 9 | Driver |
| | | | एकूण | .. 323 | 315 Total |
| ३ अराजपत्रित--गट-ड | | | | | <i>I. Non-Gazetted—Class-IV</i> |
| चोपदार | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | — | — | Chopadar |
| हवालदार | .. | S-3 : 16,600 - 52,400 | 1 | 1 | Havaldar |
| नाईक | .. | S-3 : 16,600 - 52,400 | 3 | 4 | Naik |
| झेरॉक्स चालक | .. | S-3 : 16,600 - 52,400 | 3 | 3 | Xerox Operator |
| शिपाई | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | 26 | 26 | Peon |
| | | | एकूण | .. 38 | 34 Total |
| | | | एकूण वेरीज | .. 443 | 429 Grand Total |

तक्ता २--चालू

Table 2—contd.

गृह विभागाच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांची स्थायी/अस्थायी पदे

Permanant/Temparary Post on Establishment of Home Department

| | स्थायी 1 | अस्थायी पदे 2 | एकूण 3 |
|---|-------------|------------------|-----------|
| १ राजपत्रित--(Gazetted) | | | |
| अपर मुख्य सचिव | .. | 3 | 0 |
| (Additional Chief Secretary) | | | 3 |
| प्रधान सचिव/सचिव | .. | 0 | 1 |
| (Principal Secretary/Secretary) | | | 1 |
| सहसचिव (Joint Secretary) | .. | 4 | 0 |
| उपसचिव (Deputy Secretary) | .. | 7 | 3 |
| अवर सचिव (Under Secretary) | .. | 9 | 2 |
| सहायक संचालक (गट-अ) | .. | 1 | 0 |
| (Assistant Director) | | | 1 |
| कक्ष अधिकारी (Section Officer) | .. | 34 | 9 |
| वरिष्ठ स्वीय सहायक | .. | 3 | 1 |
| (Senior Personnel Assistant) | | | 4 |
| निवड श्रेणी लघुलेखक | .. | 2 | 1 |
| (Selection Grade Steno) | | | 3 |
| | .. | 63 | 17 |
| | | | 80 |
| २ अराजपत्रित--गट-ब/गट-क (Non-Gazetted—Class-III) | | | |
| उच्च श्रेणी लघुलेखक (Higher Grade Steno) | 13 | 3 | 16 |
| निम्न श्रेणी लघुलेखक (Lower Grade Steno) | .. | 5 | 1 |
| सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer) | 95 | 26 | 121 |
| लिपिक व टंकलेखक (Clerks and Typists) | .. | 124 | 35 |
| लघुटंकलेखक (Steno-typist) | .. | 3 | 1 |
| वाहन चालक (Driver) | .. | 7 | 2 |
| | .. | 247 | 68 |
| | | | 315 |

तक्ता २--समाप्त

Table 2—conld.

गृह विभागाच्या आरथापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांची स्थायी/अस्थायी पदे

| | स्थायी पदे | अस्थायी पदे | एकूण |
|--|------------|-------------|------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 3 अराजपत्रित--गट-ड <i>(Non-Gazetted—Class-IV)</i> | | | |
| हवालदार (Havaldar) .. | 1 | — | 1 |
| झेरोक्स मशिन चालक (Xerox Operator) .. | 3 | 0 | 3 |
| नाईक (Naik) .. | 3 | 1 | 4 |
| शिपाई (Peon) .. | 26 | 0 | 26 |
| | .. 33 | 1 | 34 |
| एकूण स्थायी/अस्थायी पदे .. | 343 | 86 | 429 |
| (Total Permanent/Temporary Post) | | | |

कार्यक्रम-५

नागरी संरक्षण

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

नागरी संरक्षण

(१) नागरी संरक्षण हे राष्ट्राच्या संरक्षण योजनेमधील एक अविभाज्य अंग आहे. यामध्ये शांततेच्या काळात नागरी संरक्षणासाठी उभारलेली यंत्रणा सतत दक्षतेच्या अवस्थेत ठेवणे ही अत्यावश्यक बाब आहे. ह्यामुळे युद्ध परिस्थितीमध्ये ही यंत्रणा सहजगत्या व सुरक्षीतपणे नागरी संरक्षणाच्या कामाचे आव्हान पेलू शकते. शत्रूच्या हल्ल्याचे उद्देश चतुर्विध असतात. (१) युद्धासाठी आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनात खंड पाडणे, (२) समाजजीवन विस्कळीत करणे, (३) नागरिकांचे नीतिधैर्य खचविणे व (४) याद्वारे युद्ध क्षेत्राच्या मागील फलीमध्ये घबराट व गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून शत्रू सैन्याला आगेकूच करण्यास पोषक वातावरण तयार करणे असे चार उद्देश आहेत. नागरी संरक्षण हालचाली अंतर्गत शंत्रूंची ही चारही उद्दिष्टे सफल होऊ न देण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला जातो व त्यायोगे नागरी आघाडीवरील नीतिधैर्य खचविण्याच्या शत्रूच्या उद्दिष्टांना प्रतिबंध केला जातो. अशा रीतीने युद्धकाळात शत्रूच्या हल्ल्यांमध्ये नागरी जीवन विस्कळीत होऊ न देता जीवित हानी टाळणे व मालमत्तेची हानी कमीत कमी प्रमाणावर राहील यासाठी नागरी संरक्षण संघटना कार्यरत राहते. तसेच उत्पादनात खंड न पडू देण्यासाठीपण कार्यरत राहते. थोडक्यात युद्धकाळात नागरी जीवन सुरक्षीतपणे चालू ठेवणे हे नागरी संरक्षण दलाचे उद्दिष्ट आहे. ह्यासाठी शांततेच्या काळामध्ये निरनिराळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण नागरिकांना देण्याचे काम नागरी संरक्षण दलातर्फे केले जाते.

(२) नागरी संरक्षणविषयक कायदा--ऑक्टोबर १९६२ च्या चिनी आक्रमणानंतर नागरी संरक्षण दलाकडे पाहण्याच्या केंद्र शासनाच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला. तोपर्यंत नागरी संरक्षण दलाबाबत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना ह्याबाबत जाणीव देऊन नागरी संरक्षणाचे आराखडे कागदोपत्री तयार ठेवण्याबाबत सूचना देणे एवढाच भाग केंद्र शासनाकडून पार पाडला जात होता. परंतु चिनी आक्रमणानंतर मात्र ह्याबाबत व्यावहारिक व प्रत्यक्षरीत्या पावले उचलण्याची निकड केंद्र शासनाच्या स्तरावर भासली. यामध्ये सन १९६५ मधील पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धामुळे जास्त भर पडली व मोठ्या प्रमाणावर केंद्र शासनाने या विषयात लक्ष दिले. सन १९६८ मध्ये नागरी संरक्षण कायदा (सन १९६८ चा अधिनियम क्रमांक २७) लोकसभेने मंजूर केला व दिनांक १० जुलै १९६८ पासून सदर कायदा संपूर्ण भारतात लागू होऊन नागरी संरक्षण दल संपूर्ण भारतात कार्यान्वित झाले. ह्या कायदांतर्गत प्रामुख्याने कोणाही व्यक्तीला त्याच्या जीविताला वा मालमत्तेला शत्रूच्या हल्ल्यापासून संरक्षण देण्याबाबतचे तत्त्व अंतर्भूत करण्यात आले आहे. ह्या कायदान्वये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक दल निर्माण करण्याचा अधिकार शासनाला प्रदान झालेला आहे. नागरी संरक्षणाबाबतची जबाबदारी केंद्र शासन स्तरावर गृह मंत्रालयाकडे व राज्य शासन स्तरावर गृह विभागाकडे सोपविलेली आहे.

(३) नागरी संरक्षण दलांतर्गत घावयाच्या सेवा.--नागरी संरक्षण दलांतर्गत एकूण १२ निरनिराळ्या प्रकारच्या सेवा उभाराव्या लागतात. त्या पुढीलप्रमाणे-- (१) मुख्यालय सेवा, (२) नियंत्रण व दळणवळण सेवा, (३) रक्षक सेवा, (४) रुग्ण सेवा, (५) अग्रिशमन सेवा, (६) प्रशिक्षण सेवा, (७) विमोचन सेवा, (८) आगार व परिवहन सेवा, (९) पुरवठा सेवा, (१०) नष्ट शेष शोधन सेवा, (११) कल्याणकारी सेवा, (१२) शव विल्हेवाट सेवा व या निरनिराळ्या सेवांबाबतची जबाबदारी राज्य शासनाने निरनिराळे विभाग, स्थानिक नगरपरिषदा/महापालिका व केंद्र शासनाच्या काही विभागांवर सोपविलेली आहे. उदा.--राज्य शासनाच्या स्तरावर आरोग्य विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अन्न व नागरीपुरवठा विभाग, वाहतूक विभाग, पोलीस विभाग, होमगार्ड संघटना, राज्य विद्युत मंडळ व केंद्र शासनाच्या स्तरावरील टेलीफोन विभाग इत्यादी विभागांना आपत्कालीन/युद्धकाळात नागरी संरक्षणाची जबाबदारी सोपविलेली आहे.

(४) राज्यातील नागरी संरक्षण शहरे व परिक्षेत्रे--महाराष्ट्रात बृहन्मुंबई, उरण समूह व तारापूर ही नागरी संरक्षणाची १-अ दर्जाची शहरे व नवी मुंबई समूह ठाणे, पुणे-खडकी, नाशिक ही प्रवर्ग-१ या दर्जाची नागरी संरक्षण शहरे कार्यान्वित असून वेळोवेळी नागरी संरक्षण प्रशिक्षण, कवायती, प्रात्यक्षिके व इतर नागरी संरक्षणविषयक कामे या शहरामध्ये सुरु आहेत.

(५) नागरी संरक्षण दलाच्या स्वरूपात सुधारणा (Revamping of Civil Defence).--केंद्र शासनाने के. एम. सिंग समितीने केलेल्या शिफारशीच्या आधारावर नागरी संरक्षण संघटना नव्या स्वरूपात कार्यक्षम करण्याकरिता नागरी संरक्षण दलाच्या स्वरूपात सुधारणा करणे (Revamping of Civil Defence) ही योजना ११ व्या पंचवार्षिक योजना (सन २००७-२०१२) मध्ये राबविण्यात येत आहे. यामध्ये नागरी संरक्षण शहरे अतिमहत्त्वाच्या शहरांऐवजी प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करावयाचे धोरण केंद्र शासनाने निश्चित केले आहे. त्यानुसार

पहिल्या टप्प्यात भारतातील १०० जिल्हे आपत्तीप्रवण जिल्हे म्हणून घोषित करण्यात आले असून, त्यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा समावेश केलेला आहे. ११ व्या पंचवार्षिक योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयाचे नूतनीकरण, नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय व ५ घोषित नागरी संरक्षण जिल्ह्यांकरिता प्रशिक्षण साहित्य खरेदी, नागरी संरक्षण दलाची प्रसिद्धी व जनजागृती तसेच मुंबईमध्ये Intelligence Collection करिता राबविण्यात येणारा पायलट प्रोजेक्ट इत्यादीकरिता रुपये ४२२ लक्ष निधी महाराष्ट्रासाठी चिन्हांकित करण्यात आला असून त्यापैकी रुपये १३५.५३ लक्ष निधी सन २०११-२०१२ या वित्तीय वर्षांकरिता राज्य शासनास उपलब्ध करून दिलेला आहे.

तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०१० ("THE CIVIL DEFENCE [AMENDMENT] ACT 2009") सुधारित करण्यात आला आहे. नागरी संरक्षण कायदा, १९६८ मधील सेक्षन २ (d) मध्ये "Disaster" च्या व्याख्येचे आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील सेक्षन २ (d) प्रमाणे समावेश केलेला आहे.

नागरी संरक्षण दलाने केलेली उल्लेखनीय कामगिरी

सन २०१९

अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या पुरपरिस्थितीमध्ये नागरिकांना मदत व पुनर्वसन कर्तव्य करण्यासाठी राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, नागरी संरक्षण, बृहन्मुंबई व जिल्हा कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे ६१ जवानांचे पथक कोल्हापूर येथे जाऊन, स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने दिनांक ०९ ऑगस्ट २०२१ ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत आपती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन कर्तव्य पार पाडण्यात आले.

सन २०२०

नागरी संरक्षण विभागाच्या आंबिवली, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई येथील मोकळ्या मैदानात महाराष्ट्र व इतर राज्यातील लॉकडाऊनमुळे अडकलेले (बैघर, विस्थापित कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार) अशा ३०० नागरिकांसाठी दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मे २०२२ पर्यंत तात्पुरते निवारागृह मा. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्गदर्शन व नियंत्रणाखाली निर्माण करून, त्यांना (२४x७) चहा, नाष्टा, जेवण, वैद्यकीय सुविधा व इतर दैनंदिन सोयी-सुविधा मोफत पुरविण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी पाळी पद्धतीत (२४x७) कार्य करीत होते. त्यानंतर पावसाळा सुरुवात झाल्याने सदरचे निवारागृह मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, नारायणनगर, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई येथे स्थलांतरित करण्यात आले होते. सदर निवारा केंद्रामधील नागरिकांची त्यांच्या स्वग्रामी जाण्याची व्यवस्था करून, निवारांकेंद्र दिनांक ३० जून २०२१ रोजी बंद करण्यात आले आहे. तसेच बृहन्मुंबईमध्ये विविध ठिकाणी अन्नाची पाकिटे व रेशन वाटपाचे कार्य सदर कालावधीत करण्यात आले आहे.

सन २०२१

(अ) रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पूरसदृश्य रिथ्तीमध्ये पूरग्रस्तांच्या बचाव कार्यालयासाठी औषधे व जीवनावश्यक वस्तू पुरवठा करण्यासाठी नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुंबई कार्यालयातील ३ कर्मचाऱ्यांना पाठविण्यात आले होते.

(ब) दिनांक २१ जुलै २०२२ ते दिनांक २५ जुलै २०२२ या कालावधीत विपळूण, रायगड (महाड) व पोलादपूर येथे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत पूरग्रस्तांना बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी नागरी संरक्षण, ठाणे व नागरी संरक्षण उरण जिल्हा कार्यालयातील प्रशिक्षित स्वयंसेवकांसह शोध व बचाव कार्यासाठी एकूण ३२ अधिकारी/कर्मचारी पाठविण्यात आले होते.

सन २०२२

(अ) नाशिक येथील पूरपरिस्थितीत, राज्य शासनाकडून देण्यात आलेल्या रेड व ऑरेंज अलर्टमुळे नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवकांना पूरपरिस्थितीत नियंत्रण व आपत्कालीन कर्तव्यासाठी पाठविण्यात आले होते.

(ब) स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय किनारपट्टी स्वच्छता दिनाच्या निमित्ताने प्लास्टिकमुक्त महासागर योजना अन्वये स्वच्छता अभियान जुहू चौपाटी व गिरगाव चौपाटी करिता १५० नागरी संरक्षण स्वयंसेवक कर्तव्यासाठी पाठविण्यात आले होते.

सन २०२३

(अ) चिरनेर, उरण, जिल्हा रायगड येथे अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूर परिस्थितीत नागरिकांना मदत, शोध व बचाव करण्यासाठी नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक व फिरते दल, मुंबई कार्यालयातील चालनिक कर्मचाऱ्यांची (अग्निशामक/विमोचक तसेच अधिकारी/कर्मचारी) एक टीम तेथे पाठविण्यात आले होते.

(ब) ईशाळवाडी, रायगड जिल्ह्यातील ईशाळवाडीजवळ डोंगराचे भूस्खलन होऊन गावाचा मोठा भाग गाडला गेला, तेथे नागरी संरक्षण दलाचे स्वयंसेवक व फिरते दल, मुंबई कार्यालयातील चालनिक कर्मचाऱ्यांची एक टीम बाटलीबंद पाण्याचे बॉक्स व पॅकबंद खाद्यपदार्थाचे क्रेट घेऊन घटनास्थळी गेले. तसेच सर्व बचावकार्य करणाऱ्या टीमच्या बरोबरीने दुर्घटनास्थळी शोधकार्य करून मृतदेह बाहेर काढण्यास मदत केली.

(क) गोरी-गणपती व अनंत चतुर्दशी गणपती विसर्जन बंदोबस्तासाठी तसेच क्षेत्र २ येथे प्रथमोचार केंद्र स्थापन करून १४९ स्वयंसेवक तैनात करण्यात आले होते. माऊंट मेरी जत्रा, माहिम दर्गा उरुस, हरे राम हरे कृष्ण मंदिर, दुर्गाडी किल्ला, सप्तश्रृंगी, नाशिक या ठिकाणी प्रथमोपचार केंद्र प्रस्थापित करण्यात आले होते. बालेवाडी, पुणे येथे हिंदी भाषा दिन साजरा करण्यासाठी १५० स्वयंसेवक उपलब्ध करून दिले.

(ड) नागरी संरक्षण दलामध्ये आतापर्यंत ८१२२ स्वयंसेवकांची प्रशिक्षण नोंदणी करण्यात आली. १५८ नागरिकांना आपदा मित्र प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांसाठी अग्निशमन, प्रथमोपचार, आपत्ती व्यवस्थापनाचे जनजागृतीचे एकदिवसीय प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन केले.

नागरी संरक्षणमध्ये दुर्घटना झालेले ठिकाणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहेत

सन २०२४

दिनांक २४ जुलै २०२४ रोजी नागरी संरक्षण, उरण कार्यालय, जिल्हा रायगड मधील विरबीवाडी ही आदिवासी वस्ती आहे. त्याठिकाणी दरडी कोसळल्यामुळे सदर दुर्घटनेच्या ठिकाणी लोकल कर्मचारी घेऊन दरड काढण्यात कर्मचारी व स्वयंसेवकांनी मदतकार्य केले.

नागरी संरक्षण, ठाणे (कल्याण) दिनांक २३ मे २०२४ व दिनांक २४ मे २०२४ रोजी अमुदान केमिकल कंपनी, सोनपाडा, डोंबिवली (पूर्व), जिल्हा ठाणे येथील कंपनीमध्ये रिअँक्टरचा शक्तीशाली स्फोट होऊन कंपनीला लागलेल्या आगीमध्ये इतर कंपन्या व रहिवासी इमारत, हॉटेल, दुकाने यांचे नुकसान होऊन त्याठिकाणी झालेल्या दुर्घटनेतील ०९ मृत्यू व्यक्तींचे विमोचन करून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तींना हॉस्पिटलमध्ये पाठविण्यात आले. त्याठिकाणी विमोचन व गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ५८ स्वयंसेवक व कर्मचारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

(६) **संघटनात्मक चौकट.**— राज्यस्तरावर नागरी संरक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून संचालकाचे पद निर्माण केलेले असून ह्या पदावर पोलीस विभागाकडील पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. नागरी संरक्षण कायद्यान्वये प्रत्येक नागरी संरक्षण शहर व परिक्षेत्र यामध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक दल उभारण्याची तरतुद आहे. अशा शहरांसाठी/परिक्षेत्रांसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा दर्जाने कमी असणाऱ्या व्यक्तींची नेमणूक नियंत्रक म्हणून करण्याची तरतुद आहे. राज्यस्तरावरील संचालक राज्यातील नियंत्रकाच्या कामावर लक्ष ठेवून त्यामध्ये समन्वय साधतात. निरनिराळ्या स्तरावरील संघटनात्मक चौकटीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :—

(अ) **राज्यस्तरावरील मुख्यालयातील संघटनात्मक चौकट.**— राज्यस्तरावर नागरी संरक्षण संचालक यांना त्यांच्या कामात मदत करण्यासाठी म्हणून मुख्यालयात (१) प्रशासन व धोरण, (२) चालन व भांडार, (३) उद्योग, (४) प्रशिक्षण या निरनिराळ्या विषयांमध्ये मदत करण्यासाठी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची पदे निर्माण केलेली आहेत. या शिवाय इतर अत्यावश्यक कर्मचारीवृद्ध आहे. राज्य शासनाने स्वतःचे प्रशिक्षण महाविद्यालय उभारलेले असून सदर महाविद्यालयाचे समादेशक हे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी (प्रशिक्षण) हे प्रमुख असून ते प्रशिक्षणाबाबत संचालकांना मदत करतात.

(ब) **बृहन्मुंबई परिक्षेत्रातील संघटनात्मक चौकट.**— बृहन्मुंबईमध्ये अंदाजे ३० लाख लोकसंख्येसाठी एक परिक्षेत्र अशा रीतीने एकूण चार परिक्षेत्रांमध्ये बृहन्मुंबईची विभागणी करण्यात आली आहे. प्रत्येक परिक्षेत्रामध्ये उपनियंत्रक दर्जाचा अधिकारी नेमलेला असून ह्या उपनियंत्रकाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बृहन्मुंबईसाठी अतिरिक्त नियंत्रक असे पद आहे. राज्य स्तरावरील नागरी संरक्षण संचालक हे बृहन्मुंबईसाठी नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.

(क) **जिल्हा स्तरावरील संघटनात्मक चौकट.**— इतर नागरी संरक्षण शहरे/परिक्षेत्रे यामध्ये संबंधित जिल्हाधिकारी यांनाच नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या हाताखाली उपनियंत्रक दर्जाचे अधिकारी नेमलेले आहेत. उपनियंत्रक हे पद वर्ग-१ मधील दर्जाचे आहे.

तारापूर हे मूलत: भारत सरकारचे मर्मस्त प्रतिष्ठापन आहे. तेथे असलेल्या अणुभवीच्या १.६ किलोमीटर त्रिज्येतील परिक्षेत्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची लोकवस्ती नाही. त्यामुळे भारत सरकारने या प्रतिष्ठापनासंबंधी परस्परपणे नागरी संरक्षण उपाययोजना हाती घेतली आहे. परंतु १.६ किलोमीटर त्रिज्येपुढे, १६ किलोमीटर त्रिज्येच्या परिक्षेत्रात अंदाजे १.५ लाख इतकी लोकसंख्या आहे. शासनाने तारापूर येथे नवीन नागरी संरक्षण कार्यालय स्थापन करण्यासाठी १९९१-१९९२ मध्ये मंजुरी दिली असून ते कार्यालय फेब्रुवारी १९९२ पासून कार्यरत आहे.

(७) नागरी संरक्षण स्वयंसेवक दलाची संघटनात्मक चौकट.— नागरी संरक्षण शहर परिक्षेत्र सर्वसाधारणतः एक लाख लोकसंख्येसाठी एक विभाग ह्या परिमाणाने जरुर तितक्या विभागांमध्ये विभागले जाते. प्रत्येक विभागामध्ये विभागीय स्तरावर डिव्हिजनल वॉर्डनची नेमणूक केली जाते. डिव्हिजनल वॉर्डनच्या नियंत्रणाखाली डेप्युटी डिव्हिजनल वॉर्डन, स्टाफ ऑफिसर, पोस्ट वॉर्डन आणि वॉर्डन अशा मानसेवी नेमणुका आहेत. सर्वसाधारणतः १०,००० लोकसंख्येकरिता एक "वॉर्डन पोस्ट" निर्माण केली जाते. बृहन्मुंबईत मात्र हा मानदंड अंदाजे २०,००० लोकसंख्येसाठी एक "वॉर्डन पोस्ट" असा ठेवण्यात आलेला आहे. एका प्रथमोपचार केंद्रामागे तीन प्रथमोपचारक पार्टी व दर ५०० लोकसंख्येसाठी एक या हिशेबाने जरुर तेवढ्या "हाउस फायर पार्टीज" निर्माण केल्या जातात. "फर्स्ट एड पार्टीज" मध्ये एक प्रमुख व ३ प्रथमोपचारक अशा एकूण ४ व्यक्ती असतात. "हाउस फायर पार्टीज" मध्ये एक प्रमुख व ३ स्वयंसेवक अशा ४ व्यक्ती असतात. बृहन्मुंबईमध्ये संपूर्ण शहरासाठी म्हणून एका चीफ वॉर्डनची नेमणूक केलेली आहे. चीफ वॉर्डनला मदत करण्यासाठी परिक्षेत्रास एक याप्रमाणे ४ डेप्युटी चीफ वॉर्डनची नेमणूक केली आहे. स्वयंसेवक दलात रुजू होणाऱ्या स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी दलातील ह्या मानसेवी पदाधिकाऱ्यांना नागरी संरक्षण संघटनेकडील सहायक उपनियंत्रक संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून प्रथमतः प्रशिक्षण दिले जाते. स्वयंसेवक नोंदणी अव्याहतरीत्या चालू असते. विभाग स्तरावर, परिक्षेत्र स्तरावर व तसेच त्याहीवरील स्तरावर सतत डेमॉन्स्ट्रेशन्स् एकझरसाईजेस आणि रॅलीज घेतल्या जातात. सर्वसाधारणतः विभागामध्ये एका महिन्यातून एक डेमॉन्स्ट्रेशन व एका महिन्यातून एक रॅली घेतली जाते. नवीन स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी परेडस् घेतल्या जातात.

(८) प्रशिक्षण.— (स्वयंसेवकांचे) प्रशिक्षण ३ टप्प्यांमध्ये केले जाते. पहिल्या टप्प्यात स्थानिक स्तरावर अंदाजे १० दिवसांचा बेसिक कोर्स असतो. ज्यामध्ये स्वयंसेवकांना नागरी संरक्षणाची तत्त्वे व हालचाली अंतर्गत ज्या निरनिराळ्या १२ प्रकारांच्या सेवांची उभारणी केली जाते त्याबाबतची माहिती दिली जाते. प्रगत स्तरावरील प्रशिक्षण राज्य शासनाच्या नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयात अंदाजे १० ते १४ दिवसांच्या कालावधीच्या प्रशिक्षण कोर्सेसद्वारे दिले जाते. या व्यतिरिक्त तिसऱ्या टप्प्यावर केंद्र शासनाच्या नागापूर येथील राष्ट्रीय नागरी संरक्षण महाविद्यालयात पण या विषयाचे उच्च प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच नागरी संरक्षण संघटनेतील अधिकाऱ्यांसाठीसुद्धा विविध स्तरावर प्रशिक्षण कोर्सेस विहित केलेले आहेत.

(९) राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेना (स्तंभ).— अशा प्रकाराची दले देशामध्ये प्रादेशिक स्तरावर निर्माण करण्याचा विचार केंद्र शासनाने प्रथमतः ऑक्टोबर, १९६२ मध्ये केला. त्यावेळी असे एक युनिट मुंबई येथे स्थित करण्याचा विचार होता. परंतु पुढे केंद्र शासनाने हा विचार रद्द केला. राज्य शासनाने मात्र हा विचार पुढे चालू ठेवून सन १९६५ मध्ये २२९ इतकी गणसंख्या असलेले दल उभारले. हे दल राज्य शासनाने राज्यस्तरावर उभारले आहे. राज्यात कोठेही आणीबाणीची अथवा आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्या दलाचा वापर जरुर तेथे अशी आणीबाणी अथवा आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी केला जातो. अग्निशमन-विमोचन, पूर, नैसर्गिक आपत्ती, मानवनिर्मित आपत्ती अशा निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये ह्या दलाचा वापर राज्य शासनाने आतापर्यंत केलेला आहे. कोयना भूकंपामध्ये तसेच भिंवंडी येथील जातीय दंगलग्रस्त विभागामध्ये ह्या दलाने वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरी बजावलेली आहे. डिसेंबर १९९२ व जानेवारी १९९३ मध्ये मुंबईत उद्भवलेल्या जातीय दंगलींच्या वेळी लागलेल्या आगी विझविणे व विमोचन करणे या कार्यास मुंबई अग्निशमन दलास मोलाची मदत करण्यात आली. मार्च १९९३ च्या बॉम्ब विस्फोटाच्या वेळी तस्म कर्तव्ये पार पाडली व सप्टेंबर १९९३ मध्ये लातूर व उस्मानाबाद येथील भूकंपग्रस्तांचे विमोचन, पुनर्वसन करण्याकरिता सहभाग घेतला. ह्या व्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर बृहन्मुंबईमध्ये मुंबई अग्निशमन दलाच्या सहयोगाने अग्निशमन व विमोचन ही कामे हे दल करीत आले आहे. तसेच दिनांक १८ जुलै २००७ रोजी बोरिवली, मुंबई येथे ५ मजली लक्ष्मीछाया ही इमारत अचानक कोसळल्यामुळे सदर इमारतीचे पूर्ण ५ मजले जमीनदोरत होऊन जीवितहानी फार झाली होती. सदर घटनास्थळी फिरते दलाचे पथक ३ दिवस अहोरात्र कार्यरत राहून जीवित व वित्त हानी ह्या कामी मदतकार्य करत होते व दिनांक २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रसंगी ओबेरॉय व ताज हॉटेलला लागलेल्या आगी विझविण्याचे काम, हॉटेलमध्ये ऑलिस असलेल्या लोकांनी दहशतवाद्यांच्या तावडीतून सुटका केलेल्या व्यक्तींना सहीसलामत बाहेर काढण्याचे कार्य, जखमी व मृत व्यक्तींना रुग्णालयात नेण्याचे कार्यदेखील फिरते दलाच्या पथकांनी केले. सदर प्रसंगी १ अग्निशमन वाहन, १ विमोचन वाहन, २ रुग्णवाहिका वा लाईट फायर इंजिन (जीप) या वाहनांचा वापर करण्यात आला. या दलाचे सध्याचे मनुष्यबळ १०६ आहे तसेच या दलामध्ये त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता आवश्यक अशा वाहनांचा ताफा पण आहे. ह्या ताफ्यामध्ये ५ फायर इंजिन्स, ४ लाईट फायर इंजिन्स, ४ रुग्णवाहिका, १ ट्रूप कॅरिअर, १ विमोचन वाहन व इतर प्रकारची वाहने आहेत.

दिनांक ४ मार्च २०११ रोजी गरीबनगर, बांद्रा येथील झोपडपट्टी व दिनांक २३ नोव्हेंबर २०११ रोजी सारा व सहारा मार्केट येथे लागलेल्या मोठ्या आगी या दलाने यशस्वीरीत्या विझविण्यास मदत केली. तसेच दिनांक २१ जून २०१२ रोजी मंत्रालय इमारतीस लागलेली आग आटोक्यात आणण्यासाठी अहोरात्र पथकासह अधिकारी व २७ कर्मचारी कार्यरत होते. तसेच २१ जून २०१२ ते ६ जुलै २०१२ पर्यंत मंत्रालय येथे अग्निशमन व रुग्णवाहिका पथकासह कार्यरत होते. तसेच या व्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर बृहन्मुंबई येथे मुंबई अग्निशमन दलाच्या सहयोगाने अग्निशमन व विमोचन ही कामे हे दल करीत आहे. दिनांक १० जून २०१३ रोजी अल्ताफ मेन्शन, माहिम, दिनांक २२ जून २०१३ रोजी पियुष इमारत, दहिसर व दिनांक २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी महानगरपालिका कर्मचारी वसाहत, माझगाव येथील इमारत दुर्घटनेच्यावेळी फिरते दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी पथकासह बचाव व विमोचन कार्य केले.

रायगड (महाड) येथे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत तेथील नागरिकांना बचाव व मदतकार्य करण्यासाठी फिरते दल कार्यालयातील एकूण १८ अधिकारी/कर्मचारी यांना पाठविण्यात आले होते.

सन - २०२३

दिनांक १९ जुलै २०२३ ते २१ जुलै २०२३, उरण, जिल्हा रायगड येथे अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीत नागरिकांना मदत, शोध व बचाव कार्य करण्यासाठी राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, मुंबई कार्यालयातील एकूण ११ अधिकारी/कर्मचारी पाठविण्यात आले होते. तसेच ईशाळवाडी, ता. खालापूर येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमध्ये बचाव व विमोचनाचे कार्य केले.

(१०) **महिला सक्षमीकरण.**— नागरी संरक्षण दलात महिला स्वयंसेविकांना भरती करून त्यांना प्रथमोपचार, विमोचन, रुग्णसाहाय्य सेवा, दलवाडण, अग्निशमन, वॉर्डन सेवा, डिझास्टर मॅनेजमेंट, आणिवक, जैविक, रासायनिक युद्ध इत्यादींचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचा आत्मविश्वास, कार्यक्षमता वाढविण्यात येते. या महिला प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन प्रसंगी आयोजित होणाऱ्या संचलनात सहभागी होतात. अखिल भारतीय होमगार्ड व नागरी संरक्षण व्यावसायिक क्रीडा स्पर्धेत महिला स्वयंसेविका हिरिरीने भाग घेतात. त्यात त्यांना नेतृत्व करण्याची संधी देण्यात येते. शासनाने वेळोवेळी पुरस्कार/बक्षिसे देऊन त्यांना सन्मानित केले आहे.


नागरी संरक्षण दलातील प्रशिक्षित स्वयंसेविका प्रत्यक्ष दुर्घटनास्थळी आपदग्रस्तांना साहाय्य करीत असतात. त्यामुळे त्यांना नेतृत्व करण्याची संधी देण्यात येते. शासनाने वेळोवेळी पुरस्कार/बक्षिसे देऊन त्यांना सन्मानित केले आहे.

(११) दिनांक ३० ऑक्टोबर १९९९ रोजी ओरिसा येथील भीषण चक्रीवादळ व दिनांक २६ जानेवारी २००१ रोजी गुजरात येथील भीषण भूकंपात उद्घवस्त झालेले जनजीवन सुरक्षीत करण्यासाठी फिरते दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी व स्वयंसेवकांनी विमोचनाचे कार्य केले. तसेच नाशिक येथील कुंभमेळा प्रसंगी दिनांक ३० जुलै २००३ ते ११ सप्टेंबर २००३ पर्यंत बंदोबस्त व सुरक्षा व्यवस्थेचे कर्तव्य बजावले आहे.

नागरी संरक्षण दलातील स्वयंसेवक/मानसेवी अधिकारी यांनी लोकसभा/विधानसभा निवडणुकीत मदतकार्य, अंदमान-निकोबार येथील त्सुनामी आपत्त्रसंगी, घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यातील दुर्घटनेमध्ये, २६ जुलै, २००५ रोजी मुंबईतील जलप्रलय तसेच त्यावेळी कोसळलेल्या दरडीमधील आपदग्रस्तांचे प्राण वाचविलेले आहेत. तसेच दिनांक ११ जुलै, २००७ रोजी मुंबईत झालेल्या रेल्वे बॉम्ब स्फोट मालिका दुर्घटनाप्रसंगी नागरी संरक्षण स्वयंसेवक मदत कार्यात तत्परतेने सहभागी झाले. विविध रेल्वे स्थानकांवर कार्य करून जखर्मीना तात्काळ रुग्णालयात पाठविण्याची कामगिरी स्वयंसेवकांनी स्वयंप्रेरणेने केली.

नागरी संरक्षण संचालनालय
संचालक, नागरी संरक्षण (भाषेसे)

उपरंचालक, नागरी संरक्षण (आपोसे)



तक्ता

TABLE

(२) वित्तीय आवश्यकता
(ii) Financial Requirements

तथा TABLE

| कार्यक्रम | प्रत्यक्ष रकमा Actual 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimate 2024-2025 | | सुधारित अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimate 2025-2026 | Demand No. B-1, 2070 Activity Classification- 106 Civil Defence-- (20700236) |
|--|------------------------------------|--|--------|---|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| मागणी क्रमांक बी-१, २०७० | | | | | | Demand No. B-1, 2070 |
| अ- कार्यान्वय वर्गीकरण- | | | | | | A. Activity Classification- |
| १०६ नागरी संरक्षण (२०७००२३५) | | | | | | 106 Civil Defence-- (20700236) |
| (१) चैक्कीय सेवा .. | 1724 | 3762 | 1855 | 3762 | 3762 | (i) Medical Services |
| (२) भौत्यावाहकत्वा विद्युत संचय मांडण्या. (२०७००२४५) | 158 | 525 | 368 | 525 | 525 | (ii) Electrical Installation to Sirens.(20700254) |
| (३) राज्य नागरी संरक्षण संघटना (२०७००२६३) (दत्तमत) | 148785 | 210047 | 174224 | 225282 | 225282 | (iii) State Civil (Voted) Defence Organisation. (20700263) |
| (४) राज्य फिरते नागरी आमीवाणी सेवासंभ. (२०७००२७२) | 30270 | 66849 | 34772 | 68291 | 68291 | (iv) State Mobile Civil Emergency Column. (20700272) |
| (५) नागरी संरक्षण दलाची पुनर्गठना. (२०७०००८३५) | - | - | 6 | 6 | 6 | (v) Revamping of Civil Defence.(20700835) |
| भारित .. | - | - | - | - | - | Charged |
| एकूण "अ" दत्तमत .. | 180937 | 281189 | 211225 | 297866 | 297866 | Total "A" |
| ब-उद्दिष्टनिय वर्गीकरण- | | | | | | B. Objectwise Classification |
| (१) वैद्यकीय सेवा | | | | | | (1) Medical Services-- |
| (०१) (०१) आस्थगना (अनिवार्य) .. | | | | | | (01) (01) Establishment (Committed) (20700236) |
| २०७००२३६ | | | | | | |
| ०१ वेतन .. | 1708 | 3689 | 1800 | 3689 | 3689 | 01 Salaries |
| ०३ अतिकालिक भत्ता .. | - | - | - | -- | -- | 03 Overtime Allowance |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च .. | 6 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 Domestic Travel Expenses. |
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | - | - | 12 | 12 | 12 | 13 Office Expenses |
| १७ सारणक खर्च .. | - | - | 12 | 12 | 12 | 17 Computer Expenses |
| २४ पेट्रोल, तेल, इंधन .. | 10 | 21 | 17 | 21 | 21 | 24 P. O. L. |
| ५१ मोटर वाहने .. | - | 15 | 11 | 15 | 15 | 51 Motor Vehicles |
| एकूण (१) दत्तमत .. | 1724 | 3762 | 1855 | 3762 | 3762 | Voted Total (i) |

(02) नागरी संरक्षण बांधकामे-
(02) भौतिकावत्या विद्युत संच मांडण्या--

प० इतर खर्च (अनिवार्य)(२०७००२५४) 158 525 368 525 50 Other Charges (Committed)(20700254)

एकूण (०२) दत्तमत झूल .. . 158 525 368 525 Voted Total (02) Gross

(३) राज्य नागरी संरक्षण संघटना--
(०३)(०१) राज्य नागरी संरक्षण संघटना--
आख्यापाना (अनिवार्य) (२०७००२६३)

०१ वेतन 135852 200000 160000 212000 01 Salaries

०२ माझी 25 69 62 70 02 Wages

०३ अंतिकालिक भता .. - 11 11 03 Overtime Allowance

०५ वकिसे .. 3 5 5 5 Rewards

०६ दूरव्यवस्था, वीज व पाणी शुल्क... 1316 1510 1510 1510 Tel., Elect., Water charges

१० कंत्राई सेवा 1729 1390 1390 3000 Contractual Services

११ देशांतर्त प्रवासखर्च .. 266 747 523 769 Domestic Travel Expenses

१३ कार्यालयीन खर्च .. 5882 1221 977 1258 Office Expenses

१४ भाडे, पहुँची व कर .. 70 84 84 84 Rent, Rates and Taxes

१६ प्रकाशन .. - 5 4 5 Publications

१७ संगणकावरील खर्च .. 360 702 702 723 Computer Expenses

२० इतर प्रशासकीय रेवा .. - 5 4 5 Other Administrative Expenses

२४ पेट्रोल, तेल, इंधन 340 921 737 1013 P.O.L.

२६ जाहिराती, आणि प्रसिद्धी .. - 10 7 10 Advertising and Publicity

२७ लहान बांधकामे .. 1629 2768 2768 2906 Minor Works .

५० इतर खर्च .. 1191 200 200 1513 Other Charges

५१ मोटार वाहने .. 1122 375 263 375 Motor Vehicles

५२ यंत्रासामग्री व साधनसामग्री .. - 23 16 24 Machinery and Equipment

५३ मोर्ती बांधकाम .. - 1 1 1 Major Works

एकूण (०३)(०१) दत्तमत .. 148785 210047 174224 225282 Voted Total (03)(01)

(०३) (०२) नागरी संरक्षण दलाची पुनर्व्यवस्था-(अनिवार्य) (२०७००८३५)

१३ कार्यालयीन खर्च .. - 1 1 1 Office Expenses

२६ जाहिरात व प्रसिद्धी .. - 1 1 1 Advertising and Publicity

५० इतर खर्च .. - 1 1 1 Other Charges

५१ मोटार वाहन .. - 1 1 1 Motor Vehicles

५२ यंत्रासामग्री व साधनसामग्री .. - 1 1 1 Machinery and Equipments

५३ मोर्ती बांधकाम .. - 1 1 1 Major Works

एकूण (०३) (०२) झूल .. - 6 6 6 Voted Total (03) (02)

(02) Civil Defence Works--
(02) Electrical Installation to Sirens.

50 Other Charges (Committed)(20700254)

525 Voted Total (02) Gross

(3) State Civil Defence Organisation--

(03) (01) State Civil Defence Organisation--

Establishment (Committed) (20700263)

160000 212000 01 Salaries

62 70 02 Wages

9 11 03 Overtime Allowance

5 5 05 Rewards

1510 1510 06 Tel., Elect., Water charges

3000 3000 10 Contractual Services

769 769 11 Domestic Travel Expenses

1258 1258 13 Office Expenses

84 84 14 Rent, Rates and Taxes

5 5 16 Publications

723 723 17 Computer Expenses

5 5 20 Other Administrative Expenses

1013 1013 24 P.O.L.

24 24 26 Advertising and Publicity

27 27 27 Minor Works .

2906 2906 2906 2906

1513 1513 10 10

50 50 11 11

375 375 51 51

24 24 52 52

1 1 53 53

53 53 Major Works

6 6 Voted Total (03) (02)

- Charged

225288 Voted Total (03)

TABLE

(08) राज्य पि रते नामी आणीलाई
सोना संघ-
(08) (09) आरथाना (अनिवार्य)
(२०१००२७२)

| | | (04) State Mobile Civil Emergency Column (04) (01) Establishment Committed) (20700272) | | | | | |
|----------------------|----------------------------|---|--------|--------|--------|----------------------------|-----------------------------|
| ०१ | वेतन | .. | 29913 | 65960 | 34000 | 67385 | ०१ Salaries |
| ०३ | अधिकारी भता | .. | - | 5 | 4 | 5 | ०३ Overtime Allowance |
| ०६ | दूरध्वनी रीज वा पाणी शुल्व | 218 | 100 | 100 | 100 | 100 | ०६ Tel., Elect., Water ch. |
| ११ | देशांतरगत प्रशासनाचे .. | 48 | 59 | 59 | 59 | 61 | ११ Domestic Travel Expenses |
| १३ | चार्यालयीन खर्च .. | 40 | 88 | 88 | 88 | 91 | १३ Office Expenses |
| १७ | संगणक वर्गाला खर्च .. | 5 | 30 | 21 | 21 | 31 | १७ Computer Expenses |
| २४ | पेट्रोल, रेल, ईंधन .. | 3 | 442 | 354 | 450 | 24 P. O. L. | |
| २७ | तहान तांशव पांे .. | - | 5 | 4 | 5 | 27 Minor work .. | |
| ५० | इतर सर्व .. | - | 1 | 1 | 1 | ५० Other Charges | |
| ५१ | गोदार वाहने .. | 43 | 100 | 100 | 100 | ५१ Motor Vehicles | |
| ५२ | संवाधारी व राशनामार्गी .. | - | 59 | 41 | 62 | ५२ Machinery and Equipment | |
| एव्हण-(08) दरमगत .. | | 30270 | 66849 | 34772 | 68291 | Total-Voted (04) | |
| भारित .. | | - | - | - | - | Charged | |
| एव्हण रक्षण दरमगत .. | | 180937 | 281189 | 211225 | 297866 | Voted Total Gross | |

(३) कार्यक्रमाच्या कार्यभाराचा सारांश व वित्तीय आवश्यकतांचे स्पष्टीकरण

Summary of programme of charges and explanation of Financial Implications

नागरी संरक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय हे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र असून, येथे विविध प्रकारचे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करून, एकूण १२६ प्रशिक्षणार्थींना विशेषकृत प्रशिक्षण देण्यात आले.

Civil Defence Staff College is State level training centre, 15 different types of training programmes had been arranged and Advance Training to trainees has been imparted.

जिल्ह्यातील प्रशिक्षण.-- नागरी संरक्षण संघटना, बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, उरण, तारापूर या शहरात नागरिकांची नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून भरती करून विविध पाठ्यक्रमांद्वारे त्यांना नागरी संरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले जाते. कवायती, भोग्यांची चाचणी, स्पर्धा, प्रदर्शने आयोजित करून स्वयंसेवकांना सराव दिला जातो.

Training in Districts.--Civil Defence Organisation is established in Greater Mumbai, Thane, Pune, Nashik, Uran and Tarapur. Citizens are enrol as volunteers and trained in Civil Defence by conducting different type of 13 courses. Volunteers are practised by arranging demonstrations, siron tests, competitions and exhibitions.

तक्ता २

Table 2

राज्यामध्ये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक दल उभारण्याच्या कामाची प्रगती दर्शविणारा तक्ता

(दिनांक ३० एप्रिल २०२३ ते माहे मार्च २०२४ पर्यंत)

Progress of enrollment of Civil Defence Volunteers in the State (upto 30th June 2021)

| प्रवर्ग Category | नागरी संरक्षण शहर क्षेत्र/नाव Name of Civil Defence Town | स्वयंसेवक दल उभारणीचे लक्ष्य संख्या Target of enrollment of volunteer | भरती केलेले स्वयंसेवक संख्या No. of volunteer enrolled | प्रगत व प्रशिक्षित स्वयंसेवक संख्या No. of Civil Defence Volunteers trained |
|---------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | बृहन्मुंबई वर्ग-१-अ Brihan Mumbai Category-1-A | .. 75818 | 257 | 257 |
| 2. | उरण समूह वर्ग-१-अ Uran Complex Category-A | .. 28710 | 307 | 307 |
| 3. | तारापूर वर्ग-१-अ Tarapur Category-1-A | .. 2680 | 928 | 928 |
| 4. | नवी मुंबई वर्ग-१ New Mumbai Category-1 | .. 32942 | 759 | 759 |
| 5. | पुणे-खडकी वर्ग-१ Pune-Khadki Category-1 | .. 24234 | 1353 | 1353 |
| 6. | नाशिक - देवळाली Nashik-Deolali Category-1 | .. 7861 | 1371 | 1371 |
| 7. | रत्नागिरी Ratnagiri | .. 5000 | 388 | 388 |
| 8. | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | .. 5000 | 80 | 80 |
| एकूण संख्या | | .. 182245 | 5443 | 5443 |

तत्काल ३

Table ३

राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनासंभ पथकाने विविध अग्निशमन व विमोचन वर्दीवर उपस्थित राहून केलेल्या कामाचा तपशील
Detailed information of Fire and Rescue calls attended by State Mobile Civil Emergency Column, Mumbai

| वर्ष | प्रशिक्षण प्रात्यक्षिके | | | अग्निशमन | | | विमोचन | | | रुग्णवाहिका | | | सेवाभार | | | रकळाना क्रमांक संकीर्ण | | |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------|-------------------------------|--|--------|--|
| | नागरी संरक्षण व होमगार्ड | शैक्षणिक | शहरांतर्गत जहाजावरील | विमानतळावरील | इमारतीच्या | पूर्व | अपघात | दंगाल | वगैरे | सेवेच्या | वर्द्या | उपलब्ध | तत्कालवर | १२ नुसार हालचाली | आवाक | केलेली | सेवा | |
| प्रशिक्षणांतर्गत प्रथमोपचार | संस्थासाठी | वरील आणी-बाणीच्या | दुर्घटना | विमोचन | घटनांमध्ये | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | विमोचन कार्य | | |
| प्रात्यक्षिके | प्रशिक्षण | प्रात्यक्षिके | वर्द्या | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | विमोचन | |
| Year | Training | Demonstration | Fire | Airport Emergency Duties | Building Collapse | Flood Rescue | Accident | Mannmade Riots in | Ambulance Call | Rescue | Rescue | Rescue Call | Service Provide on charge | Service Charge | Other Miscellaneous in amount | Training and Exercises of Fireman Rescue | Rs. | |
| Civil Defence and Home Guards | Civil Demonstration for Education Institution | City Ship | Airport Emergency Duties | Building Collapse | Flood Rescue | Accident | Mannmade Riots in | Ambulance Call | Rescue | Rescue | Rescue | Rescue Call | Service Provide on charge | Service Charge | Other Miscellaneous in amount | Training and Exercises of Fireman Rescue | Rs. | |
| First Aid Training and Demonstrations | First Aid Training and Demonstrations | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | .. | .. | .. | .. | |
| 2023-2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rs. | |
| 2024-2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rs. | |
| 2025-2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Rs. | |

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा

(iv) Personnel Summary

तक्ता ४

Table 4

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम Pay Band (Grade Pay) | वेतनबँड (ग्रेड वेतन) Pay Band (Grade Pay) | पदांची संख्या | | Designation | |
|----------------------------------|---|---|---------------------|----|--|--|
| | | | 2023-2024 2024-2025 | | | |
| | | | 4 | 5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | |
| गट अ व ब (राजपत्रित) -- | | | | | | |
| 1 | संचालक, नागरी संरक्षण | .. Pay Matrix L-16 | .. | 1 | 1 Director of Civil Defence | |
| 2 | अतिरिक्त नियंत्रक, नागरी संरक्षण | S-25 : 78,800 - 2,09,200 | .. | 1 | 1 Additional Controller of Civil Defence. | |
| 3 | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | .. | 3 | 3 Senior Staff Officer | |
| 4 | समादेशक आणि वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (प्रशिक्षण) | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | .. | 1 | 1 Commandant and Senior Staff Officer (Trg.). | |
| 5 | उपनियंत्रक, नागरी संरक्षण | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | .. | 12 | 12 Deputy Controller of Civil Defence. | |
| 6 | वैद्यकीय अधिकारी | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | .. | 1 | 1 Medical Officer | |
| 7 | प्रशासकीय अधिकारी | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 1 | 1 Administrative Officer | |
| 8 | प्रशासिक अधिकारी | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 1 | 1 Staff Officer | |
| 9 | कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 2 | 2 Junior Staff Officer | |
| 10 | लेखा अधिकारी | S-16 : 44,900 - 1,42,400 | .. | 1 | 1 Accounts Officer | |
| 11 | वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 7 | 7 Senior Asstt. Deputy Controller of Civil Defence. | |
| 12 | वरिष्ठ सहायक उपनियंत्रक (आग्नि/विमोचन). | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 2 | 2 Senior Asstt. Deputy Controller of Civil Defence (Fire : Rescue) | |
| 13 | सहायक लेखा अधिकारी | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 2 | 2 Asstt. Accounts Officer | |
| | | | एकूण .. | 35 | 35 Total | |
| ब व क (अराजपत्रित) | | | | | | |
| <i>II. Non-Gazetted—Group -C</i> | | | | | | |
| 1 | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 2 | 2 Stenographer (Higher Grade) | |
| 2 | कार्यालय अधीक्षक | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 5 | 5 Office Superintendent | |
| 3 | डेपो अधीक्षक | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 2 | 2 Depot Superintendent | |
| 4 | तंत्र सहायक श्रेणी-१ | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 4 | 4 Technical Assistant (Grade-I) | |
| 5 | प्रमुख आरेखक | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 1 | 1 Head Draftsman | |
| 6 | लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 9 | 9 Stenographer (Lower Grade) | |
| 7 | सहायक अधीक्षक (भांडार) | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | .. | 1 | 1 Asstt. Superintendent (Stores) | |
| 8 | सहायक उपनियंत्रक | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | .. | 68 | 68 Asstt. Dy. Controller | |
| 9 | उपनियंत्रण अधिकारी (वर्ग-३) | S-10 : 29,200 - 92,300 | .. | 5 | 5 Sub-Control Officer | |
| 10 | तंत्र सहायक, श्रेणी-२ | S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 2 | 2 Technical Assistant (Grade-II) | |

तक्ता ४--चालू

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम 2 | वेतनबँड (ग्रेड वेतन) Pay Band (Grade Pay) 3 | पदांची संख्या | | |
|----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------------|
| | | | No. of Posts | | Designation 2 |
| | | | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| 1 | 4 | 5 | | | |

ब व क (अराजपत्रित)-चालू

Rs.

II. Non-Gazetted, Group-C contd.

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|-----|-------|-------------------------------|
| 12 | मुद्रण कार्यालयक व चालक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 1 | 1 | Printing Foreman-cum-Operator |
| 13 | रेडिओ वायरलेस मैक्निक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 1 | 1 | Radio Wireless Mechanic |
| 14 | प्रयोग निदेशक | .. S-10 : 29,200 - 92,300 | .. | 4 | 4 | Demonstrator |
| 15 | भांडार अधीक्षक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 6 | 6 | Store Superintendent |
| 16 | सहायक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 11 | 11 | Assistant |
| 17 | वरिष्ठ लिपिक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 5 | 5 | Senior Clerk |
| 18 | लेखा लिपिक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 2 | 2 | Accounts Clerk |
| 19 | बिनतारी यंत्रचालक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 8 | 8 | Radio Wireless Operator |
| 20 | जोडारी यांत्रिक | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 2 | 2 | Fitter Mechanic |
| 21 | स्वयंवीजतंत्री | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 1 | 1 | Auto Electrician |
| 22 | संधाता | .. S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 1 | 1 | Welder |
| 23 | चालक यंत्रचालक | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 12 | 12 | Driver Operator |
| 24 | दूरध्वनी चालक | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 1 | 1 | Telephone Operator |
| 25 | प्रमुख अग्निशामक/विमोचक | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 10 | 10 | Fire/Rescue Leader |
| 26 | वीजतंत्री (क. श्र.) | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 3 | 3 | Electrician (Junior Grade) |
| 27 | सहायक जोडारी यांत्रिक | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 2 | 2 | Assistant Fitter Mechanic |
| 28 | सहायक स्वयंवीजतंत्री | .. S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 1 | 1 | Assistant Auto Electrician |
| 29 | दूरध्वनी चालक | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 4 | 4 | Telephone Operator |
| 30 | भांडारपाल | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 9 | 9 | Storeman |
| 31 | लिपिक-टंकलेखक | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 44 | 44 | Clerk-Typist |
| 32 | चालक | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 30 | 30 | Driver |
| 33 | अग्निशामक/विमोचक | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 60 | 60 | Fireman/Rescuer |
| 34 | प्रथमोपचारक | .. S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 3 | 3 | First Aider |
| * + Rs. 80 Special Pay | | | | | | |
| | | एकूण .. | 320 | 320 | Total | |

क गट ड (अराजपत्रित)

III. Non-Gazetted Group-D

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|----|----|----|---------------------|
| 1 | डाक वाहक | .. S-5 : 18,000 - 56,900 | .. | 4 | 4 | Dispacth Rider |
| 2 | मदतनीस | .. S-3 : 16,600 - 52,400 | .. | 2 | 2 | Helper |
| 3 | फटिक पार्टीमन | .. S-3 : 16,600 - 52,400 | .. | 2 | 2 | Fatique Partyman |
| 4 | संदेश वाहक | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 14 | 14 | Messengers |
| 5 | शिपाई | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 27 | 27 | Peons |
| 6 | पहारेकरी/चौकीदार | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 9 | 9 | Wactchman/Chowkidar |
| 7 | सफाईगार | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 11 | 11 | Sweepers |
| 8 | माळी | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 2 | 2 | Mali |

तक्ता ४--चालू

| अनु- क्रमांक Sr. No. | पदनाम 2 | वेतनबँड (ग्रेड वेतन) Pay Band (Grade Pay) 3 | पदांची संख्या | | |
|---|------------------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|
| | | | No. of Posts | | Designation 2 |
| | | | 2023-2024 | 2024-2025 | |
| 1 | 4 | 5 | | | |
| क गट ड (अराजपत्रित)-चालू | | | | | |
| <i>II. Non-Gazetted, Group-C contd.</i> | | | | | |
| 9 | शिपाई संदेश वाहक | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 4 | 4 | Peon-cum-Messengers |
| 10 | तांत्रिक सहायक स्वच्छक | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 1 | 1 | Technical Assistant Cleaner |
| 11 | सहायक स्वयंपाकी | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 1 | 1 | Assistant Cooks |
| 12 | भोजनालय सेवक | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 1 | 1 | Mess Boys |
| 13 | चौकीदार/शिपाई | .. S-1 : 15,000 - 47,600 | .. 2 | 2 | Chowkidar/Peon |
| | | एकूण .. | 80 | 80 | Total |
| | | एकूण अ + ब + क .. | 435 | 435 | Total + |
| 14 | अर्धवेळ निदेशक | .. Rs. 100 Fixed Honorarium .. | 5 | 5 | Part-time Instructors |
| 15 | अंशकालीन सफाईगार | .. Rs. 600 - P. M. | .. 34 | 34 | Part-time Sweeper |
| | | एकूण .. | 39 | 39 | Total |
| | | एकूण बेरीज .. | 464 | 464 | Grand Total |

† शा. नि. गृ., वि. (विशेष) क्रमांक सीडीएम-2100/1372/प्र. क्र.-84/विशा-8, दि. 18 नोव्हेंबर 2003 अन्वये ना. सं. संचालनालयाच्या पदाचा आढावा पूर्ण झाला असून 12 पदे निरसित झाली असून 503 पदांना मंजुरी दिली आहे. तथापि, शासन निर्णय, गृह विभाग, पोल-3, क्र. ओपीओ-3616/प्र.क्र. 165/पोल-3, दि. 4/3/2017 महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर रक्तानांतरित केल्यामुळे, तसेच सहायक उपनियंत्रकांची 08 पदे व लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी) 02 पदे अशी एकूण 10 पदे पदांच्या आढाव्यामध्ये समाविष्ट असल्यामुळे एकूण 435 पदे आहेत.

टीप : कंत्राटी पद्धतीचे पदे :

- (1) लिपिक-टंकलेखक -- 4 (रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग)
- (2) चालक -- 4 (रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग)
- (3) चौकीदार / शिपाई -- 2 (रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग)

कार्यक्रम-६

होमगार्ड्स

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तेचे रक्षण करणे हे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे. आधुनिक काळमध्ये कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत राज्य शासनाची कर्तव्ये व त्यांची कार्यकक्षा यामध्ये सतत वाढ होत असतानाही शासनाच्या मूलभूत कर्तव्यात फरक झालेला नाही. हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी शासन आपले अधिकार काही अधिकृत विभागांना प्रदान करीत असते. परंतु ह्या जबाबदारीची व्याप्ती एवढी मोठी आहे की, हे कर्तव्य आपल्या निरनिराव्या विभागांमार्फत पार पाडीत असताना शासन नागरिकांकडूनही त्यांच्या समाजाबाबत असणाऱ्या जबाबदारीची जाणीव त्यांनी ठेवून शासनाला शासनाचे हे महत्त्वाचे कर्तव्य पार पाडण्यास हातभार लावावा, अशी अपेक्षा ठेवते. समाजातील घटकांकडून ह्या अपेक्षांची पूर्ती होण्यासाठी होमगार्ड संघटना ही सेवाभावी आणि मानसेवी संस्था शासनाने निर्माण केली आहे. समाजातील विविध स्तरांतील व्यक्ती ज्यामध्ये पुरुषांबरोबर महिलासुद्धा या दलामध्ये दाखल होऊन त्यांच्या दैनंदिन जीवनाच्या व व्यवसायाच्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन त्यांची सेवा समाजस्वारश्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी या उद्देशाने विशिष्ट प्रकारचे प्रशिक्षण घेतात व जरुरीच्या प्रसंगी कर्तव्यावर हजर होऊन आपली सामाजिक प्रतिष्ठा विसरून होमगार्ड या नात्याने कर्तव्ये पार पाडीत असतात. समाजाच्या स्वारश्यासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी नागरिकांना करणे आवश्यक आहे त्या त्या करण्यासाठी विशिष्ट प्रशिक्षण घेऊन जरुरीप्रमाणे कर्तव्यावर हजर होऊन कर्तव्य पार पाडणारी अशी "होमगार्ड" या संस्थेची व्याख्या आहे.

२. तत्कालीन मुंबई राज्यामध्ये सन १९४६ मध्ये होमगार्ड संघटनेची स्थापना केली गेली. हे दल पूर्णतः ऐच्छिक स्वरूपाचे आहे. सन १९४७ मध्ये मुंबई होमगार्ड अधिनियम (सन १९४७ चा अधिनियम क्रमांक ३) विधान मंडळाने मंजूर केला व या संघटनेला कायद्याने अधिष्ठान प्राप्त झाले. ज्या मानसेवी स्वरूपाची संघटना त्यावेळी उभारली गेली, त्या स्वरूपात ही संघटना आजही कार्यरत आहे.

३. होमगार्ड संघटनेचे नियंत्रण करण्यासाठी महासमादेशक हे पद शासनाने निर्माण केले आहे. होमगार्ड संघटनेच्या नियंत्रणासाठी व त्या दलाच्या एकूण कार्यकारणासाठी महासमादेशक शासनाला जबाबदार आहेत. जिल्हातील या दलाच्या कार्यकारणासाठी कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. तरी कार्यकारी विभागात निरनिराव्या प्रकारची मानसेवी पदे आहेत. तालुका स्तरावर होमगार्ड संघटनेची तालुका पथके कार्यरत आहेत. मुंबई व ३४ जिल्हे असे एकूण ३६९ तालुके पथके सध्या कार्यरत असून तालुका स्तरावर मोठ्या गावातून एकूण १३० पथके कार्यरत आहेत. होमगार्ड्सची लक्ष्य संख्या ठरविण्याचा अधिकार केंद्र शासनाने स्वतःकडे ठेवलेला आहे. कारण होमगार्ड संघटनेवर जो काही एकूण खर्च राज्य शासन करते त्याच्या २५ टक्के इतका खर्च केंद्र शासन करते. राज्यासाठीचे होमगार्ड संघटना उभारणीचे लक्ष्य आतापर्यंत ५३,८५६ इतके आहे. होमगार्ड संघटनेचे नागरी संरक्षण दृष्टिकोनातून फार महत्त्व आहे.

४. मानसेवी तत्त्वाच्या पायावर उभारलेल्या ह्या संघटनेचा आदर्श केंद्र शासनाने देशामधील इतर राज्यांपुढे ठेवला व सन १९५९ मध्ये केंद्र शासनाने तशा प्रकारची शिफारस इतर राज्यांना केली. होमगार्ड संघटनेच्या आरथापनेवरील जिल्हा समादेशक तथा कार्यालय प्रमुखांची मानसेवी स्वरूपाची ३५ पदे रद्द करून त्यावेळी ३४ वेतनी पदे नव्याने निर्माण करण्यास शासन निर्णय गृहिविभाग क्र. एचजीएस/२०२०/प्र.क्र.३८/विशा-८, दिनांक २०.०६.२०२० अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय गृहनिर्माण क्र. एचजीएस-२०२४/प्र.क्र.१२/विशा-८, दिनांक ०९.१०.२०२४ अन्वये होमगार्ड स्वयंसेवकांचा कर्तव्य भत्ता रुपये ५७० प्रतिदिन मध्ये वाढ करून तो रुपये १०८३ करण्यास शासन निर्णय क्रमांक एचजीएस २०२४/प्र.क्र.१२/विशा-८, दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२४ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. तसेच होमगार्डची कमाल वयोमर्यादा ५५ वर्षावरून ती ५८ वर्षे करण्यात आलेली आहे.

५. पोलीस दलाला अंतर्गत सुरक्षा राखणेकामी साहाय्यकारी दल म्हणून काम करणे हे होमगार्ड संघटनेचे प्रमुख कर्तव्य आहे. परंतु, शांतता व सुव्यवस्था कामी साहाय्यकारी दल म्हणून काम करण्याव्यतिरिक्त इतरही वरीचशी कर्तव्ये या दलाला पार पाडावी लागतात व त्याबाबतची तरतुद मुंबई होमगार्ड अधिनियम १९४७ मध्ये करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार अग्निशमन, विमोचन, पूरपरिस्थिती, भूकंप, वादळे वगैरे परिस्थितीमुळे निर्माण होणारी आपत्कालीन परिस्थिती अशा निरनिराव्या प्रकारच्या परिस्थितीच्यावेळी होमगार्ड संघटना कार्यरत केली जाते. आपत्कालीन अथवा संपकालीन परिस्थितीमध्ये समाजस्वारश्यासाठी जीवनावश्यक सेवा चालू ठेवणे व तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अबाधित ठेवणे याबाबत होमगार्ड संघटनेला जबाबदारी उचलावी लागते. नागरी संरक्षण संदर्भात होमगार्ड संघटना केंद्रक म्हणून काम करते. या व्यतिरिक्त समाजोपयोगी व कल्याणकारी योजना रावविण्यासाठी होमगार्ड संघटना सहभागी होते. वृक्षारोपण, रक्तदान, नेत्रशिंबिरे, शहर स्वच्छता मोहीम, इस्पितलातील रुग्णसेवा, अल्पवचत योजनेची अंमलबजावणी वगैरे कामांमध्येपण होमगार्डसचा हातभार आहे.

६. सतत प्रशिक्षणाधीन असणारे असे हे दल आहे. प्रशिक्षणामुळे हे दल सतत तयारीच्या अवस्थेत व कार्यक्रमतेने आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी सक्षम अशा अवश्येत असते. बृहन्मुंबई वगळता इतर सर्व जिल्हांतून जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रे स्थापण्यात आलेली आहेत. ह्या प्रशिक्षण केंद्रातून जिल्हास्तरावरील प्राथमिक व उजळणी अशा दोन स्वरूपांचे प्रशिक्षण दिले जाते. बृहन्मुंबईमधील होमगार्डसचा प्रशिक्षण देण्याचे काम बृहन्मुंबईमधील परिमळे पार पाडतात. जिल्हा स्तरावरील प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर राज्यस्तरावरील मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेमध्ये नेतृत्व प्रशिक्षण, होमगार्ड संघटनेच्या कार्यकारणासाठी संबंधित असणाऱ्या निरनिराव्या कलांच्या संबंधातील प्रगत प्रशिक्षण व तसेच नागरी संरक्षण संदर्भात होमगार्डसचा केंद्रक या स्वरूपात जी कर्तव्ये पार पाडावी लागतात त्या संबंधीचे प्रशिक्षण अशा निरनिराव्या प्रकारचे प्रशिक्षणे या संस्थेत दिली जातात.

७. लोकसभा निवडणुक मे २०२४ करिता पोलीस महासंचालकांनी मागणी केल्याप्रमाणे होमगार्ड्सना कायदा व सुव्यवस्थेकामी ५ टप्प्याकरिता खालीलप्रमाणे पुरविण्यात आले.

| अ.क्र. | लोकसभा निवडणूक बंदोबस्ताचे टप्पे २०२४ | होमगार्डची मागणी २०२४ | पुरविण्यात आलेल्या होमगार्डची संख्या २०२४ | टक्केवारी २०२४ |
|-------------|--|-----------------------|--|----------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | टप्पा १ | १०५७५ | ९४४८ | ८९.३४ |
| २ | टप्पा २ | १८६५० | १५९७४ | ८५.६५ |
| ३ | टप्पा ३ | २१२२९ | २०८४४ | ९८.९९ |
| ४ | टप्पा ४ | २०८३५ | २०८३५ | ९०० |
| ५ | टप्पा ५ | २००९० | २००९० | ९०० |
| एकूण | | ११२९९ | ८७९९९ | ९५.४९ |

विधानसभा निवडणूक सन २०२४ करिता कायदा व सुव्यवस्थेकामी ४८,७७७ होमगार्ड्सच्या मागणीपैकी ४६,४२६ होमगार्ड्स (९५.९८ टक्के) होमगार्ड पोलीस विभागास पुरविण्यात आले आहेत.

राज्यातील खाजगी संस्था, महामंडळ, कारागृहांना व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयाच्या मागणीप्रमाणे प्रसंगानुरूप मदतीसाठी व बंदोबस्तासाठी होमगार्ड कर्तव्यावर दिले जातात.

८. या होमगार्ड संघटनेतील सर्व होमगार्ड्सना आपली सेवा विविध क्षेत्रांना देण्याची संधी मिळावी, प्रामुख्याने या संघटनेत असलेल्या होमगार्ड्सना काही प्रमाणात आळीपाळीने आर्थिक लाभ मिळावा हा उद्देश समोर ठेवून होमगार्ड "सुरक्षा सेवा योजना" सन २००६ पासून शासन मान्यतेनुसार सर्व जिल्हा स्तरावर कार्यन्वित करण्यात आलेली आहे. या योजनेत माजी सैनिकांनाही प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. या योजनेअंतर्गत होमगार्ड्सना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. प्रशिक्षित होमगार्ड्सची सेवा शासकीय/निमशासकीय महामंडळ, कार्यालये, खाजगी कंपन्या/संस्था, बँका यांना त्यांचे मागणीनुसार पुरविण्यात येत आहेत. या योजनेअंतर्गत आता होमगार्ड्सना अत्यावश्यक सेवा अखंडित चालू ठेवण्याव्यतिरिक्त होमगार्ड सुरक्षा सेवा पुरविण्याची संधी आळीपाळीने मिळत असून या सेवेच्या मोबदल्यात त्यांना आर्थिक लाभ मिळत आहे. या सेवेस उत्तम प्रतिसाद मिळण्यासाठी या संघटनेचा सर्वतोपरी प्रयत्न आहे.

९. महाराष्ट्र होमगार्ड कल्याण व लोकहितेशी निधीची रथापना करण्यात आली असून राज्यातील होमगार्डची लक्ष्यसंख्या विचारात घेऊन निधीमध्ये प्रती होमगार्ड रूपये ४० प्रमाणे अंशदानाच्या स्वरूपात शासनाकडून अनुदानाच्या माध्यमातून निधी उभारणी करण्यात येते. विहित नियमानुसार कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच नैसर्गिक व मानव निर्मित आपत्तीच्या वेळी पोलिसांना होमगार्ड संघटनेतील स्वयंसेवकांकडून मोलाची मदत करण्यात येते. त्यानुसार कर्तव्यार्थ/प्रशिक्षणार्थ असताना मृत्यू पावलेल्या होमगार्डच्या वारसांना या निधीमधून रूपये २,००,०००, कायम विकलांगता आल्यास रूपये २,००,००० आणि तात्पुरती विकलांगता आल्यास रूपये ५०,००० इतके अर्थसाहाय्य देण्यात येते.

१०. होमगार्ड आधुनिकीकरणांतर्गत सन २००३ पासून होमगार्ड संघटनेस केंद्र शासनाकडून प्राप्त निधीमधून होमगार्ड प्रशिक्षण व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र इमारतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, अमरावती, धुळे, कोल्हापूर, नागपूर, उस्मानाबाद, रायगड, वर्धा, सोलापूर, बुलडाणा, चंद्रपूर, रत्नागिरी, नांदेड, पुणे, परभणी, यवतमाळ, जळगाव, सांगली, औरंगाबाद व सिंधुदुर्ग यांचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे, तसेच मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, घाटकोपर, औरंगाबाद, नागपूर येथे विविध उपयोगी सभागृह बांधण्यात आलेले आहेत.

११. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, सातारा, अहिल्यानगर व अकोला यांचे इमारत बांधकाम प्रस्तावित असून उर्वरित जिल्हा प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम पूर्ण करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रामधून होमगार्ड्सना विविध प्रकारचे प्रशिक्षण देण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यायोगे होमगार्ड्सच्या कार्यक्षमतेचा स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे.

१२. होमगार्ड आधुनिकीकरणांतर्गत सन २००३ पासून जिल्हा समादेशक कार्यालयांना/जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रांना मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, पेपर प्रेस्नेन्टर, डीच्हीडी प्लेअर, कलर टी. व्ही., व्हिडीओ कॅमेरा, डिजिटल कॅमेरा, संगणक/प्रिंटर, इमर्जन्सी लाईट अशी विविध साहित्य/उपकरणे पुरविण्यात आलेली आहेत. सदर साहित्य/उपकरणांच्या साहाय्याने होमगार्ड जिल्हा प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या विविध प्रशिक्षणांमध्ये होमगार्डना प्रगत करणे व प्रशिक्षणाचा स्तर उंचावणेकामी मदत होत आहे. सदर साहित्य/उपकरणांच्या साहाय्याने कार्यालयीन कामकाजामध्ये सुसूत्रता व दलणवळणाची सोय झाली आहे. त्याचाधारे होमगार्ड भरती प्रभावीपणे होत असून लक्ष्यसंख्येचे उद्दिष्ट गाठण्यास मदत होत आहे.

होमगार्ड मुख्यालय

महासमादेशक (D.G.)

उपमहासमादेशक (A.D.G.) ————— वरिष्ठ लघुलेखक-१

सहायक संचालक

(जिल्हा देयक
शाखा)
लेखापरीक्षण
अधिकारी-२

सहायक लेखा
अधिकारी-१
लेखापरीक्षण
अधिकारी-२

उपलेखापाल-१

कनिष्ठ लेखक

परीक्षक-२

लिपिक-
टंकलेखक-२

वरिष्ठ लेखक-१
लिपिक-१
लिपिक-
टंकलेखक-३

वरिष्ठ लेखक-१
लिपिक-१
लिपिक-१

वरिष्ठ लेखक-१
लिपिक-१

कनिष्ठ प्रशासिक
अधिकारी गट-ब
(प्रशासन)

भांडार शाखा
अधीक्षक-१ पद
(प्रशासन शाखा)
प्रमुख लिपिक-१
पद

सहायक सामग्री
प्रबंधक-१

वरिष्ठ लिपिक-१ पद
टंकलेखक-१

वरिष्ठ लिपिक-१ पद
टंकलेखक-३

वरिष्ठ लिपिक-१ पद
टंकलेखक-३

वरिष्ठ लिपिक-१ पद
टंकलेखक-३

कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-ब (आस्थापना)

वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी गट-अ
(आस्थापना, भांडार, अभिलेख, प्रशासन, महासमादेशकाचे रत्नीय सहायक)

वरिष्ठ लघुलेखक-१
सहायक-१

वरिष्ठ लिपिक-१
सहायक-१

वरिष्ठ लिपिक-१
सहायक-१

वरिष्ठ लिपिक-१
सहायक-१

वरिष्ठ लिपिक-१
सहायक-१

मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्था, होमगार्ड, घाटकोपर

समादेशक- गट अ

| | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| गट-'क' | प्रशासिक अधिकारी-१ | प्रशासिक अधिकारी-१ | गट-'छ' | वरिष्ठ निदेशक (अग्नि) गट ब-१ |
| वरिष्ठ लिपिक-१ | वरिष्ठ लिपिक-१ | शिपाई-२ | वरिष्ठ निदेशक-२ | वरिष्ठ निदेशक-२ |
| लिपिक टंकलेखक-२ | लिपिक टंकलेखक-२ | क्वार्टरगार्ड हवालदार-१ | क्वार्टरगार्ड नाईक-१ | क्वार्टरगार्ड हवालदार-१ |
| भांडारपाल-२ | भांडारपाल-२ | क्वार्टरगार्ड होमगार्ड-७ | माळी-२ | सफाईगार-२ |

बहन्नुवई

समादेशक- गट अ

प्रशासिक अधिकारी-१

अधीक्षक-१

वरिष्ठ लिपिक-२

लिपिक उक्तनेष्ठक-१०

जावक पत्रस्वार-१

कंगनी नायक-१

निरीक्षण अधिकारी-१

पलटन नायक-१

निरेशक-१२

शिपाई नाइक-१

शिपाई

हमाल-१

सफाईगार-१

जिल्हा कार्यालये-३३

जिल्हा समादेशक- गट आ (३३ पदे)

प्रशासिक अधिकारी-१

प्रमुख लिपिक-१

वरिष्ठ लिपिक-१

कनिष्ठ लिपिक-१

शिपाई-१

वाहनचालक-१

केंद्रनायक-१

पतेटन नायक-१

सामग्री प्रबंधक सुभेदार-१

हवालदार निदेशक-४

शिपाई-१

(२) वित्तीय आवश्यकता-**(ii)** Financial Requirements

तक्ता TABLE

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा Actuals 2023-2024 | अधिसंकरणीय अंदाज Budget Estimates 2024-2025 | सुधारलेले अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अर्थसंकल्पीय अंदाज 2024-2025 Budget Estimates 2025-2026 | परिवर्तन Particulars | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| मागणी क्रमांक वी-१, २०७० .. | | | | | Demand No. B-1, 2070 | |
| (००) १०७ होमगार्ड | | | | | (००) 107 Home Guards- | |
| (००) (००) (०१) | | | | | (००) (00) (01) | |
| होमगार्ड (अनिवार्य) | | | | | Home Guards--(Committed) | |
| भारित (२०७००२८२) | .. | — | 50 | 50 | Charged(20700282) | |
| 50 इतर खर्च | | | 35 | 35 | 50 Other Charges | |
| दरमात (२०७००२८१) | .. | | | | Voted (20700281) | |
| 01 वेतन | .. | 201664 | 391647 | 234349 | 01 Salaries | |
| 03 अतिकालिक भता | .. | 37 | 147 | 53 | 03 Overtime Allowance | |
| 05 बक्षिष्ठे | .. | 10 | 40 | 28 | 05 Cash Rewards | |
| 06 दूरध्यनी वीज व पाणी शुल्क .. | 3329 | 4274 | 3419 | 4274 | 06 Tel., Elect., Water Ch. | |
| 11 देशान्तरित प्रवास खर्च .. | 1345 | 4264 | 2011 | 4392 | 11 Domestic Travel Expenses | |
| 13 कार्यालयीन खर्च .. | 32262 | 3986 | 3587 | 4105 | 13 Office Expences | |
| 14 भाडेपट्टी व कर .. | 2027 | 3502 | 3152 | 2826 | 14 Rent, Rate and Taxes | |
| 17 संगणकावरील खर्च .. | 419 | 520 | 468 | 536 | 17 Computer Expences | |
| 21 पुरवठा व सामग्री .. | 22149 | 89454 | 62818 | 89454 | 21 Supplies and Material | |
| 22 शस्त्रे व दारुगोळा .. | .. | — | 13 | 13 | 22 Arms and Ammunition | |
| 24 पेट्रोल, तेल, इंयन .. | 592 | 1377 | 747 | 1515 | 24 P. O. L. | |
| 26 जाहिरती व प्रसिद्धी खर्च .. | 48 | 50 | 45 | 50 | 26 Advertising and Publicity Expense. | |
| 27 लहान बांधकामे .. | .. | 299 | 361 | 379 | 27 Minor Works | |
| | | 253 | | | | |

(रुपये हजारात/Rs. in thousands)

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|--|
| 28 व्यावसायिक व विशेष सेवा .. | 2548536 | | | | | | |
| 32 अंशदान | .. | 4374 | 2200 | 1540 | 2200 | 32 Contribution | |
| 41 गुप्तसेवा (नवीन बाब) | .. | — | 1 | 1 | 1 | 41 Secret Fund | |
| 50 इतर खर्च | .. | — | 50 | 22 | 50 | 50 Other Charges | |
| 51 मोटार वाहने | .. | 151 | 450 | 405 | 450 | 51 Motor Vehicles | |
| 52 यंत्रसमग्री व साधनसमग्री | .. | — | 1 | 1 | 1 | 52 Machinery and Equipments | |
| भारित | .. | — | 50 | 35 | 50 | Charged | |
| एकूण दरमत | .. | 2817242 | 4002337 | 5950609 | 4044754 | Voted Total Gross | |

TABLE

(२) वित्तीय आवश्यकता--(ii) Financial Requirements

(रुपये हजारों/Rs. in thousands)

| तपशील | प्रत्यक्ष रकमा Actuals 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimates 2024-2025 | | सुधारतेरो अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimates 2025-2026 | प्रतिवर्ष 2024-2025 Budget Estimates 2025-2026 |
|--|-------------------------------------|--|----|--|------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Demand No. B-10 |
| ड. माणणी क्र. बी-१० ४०७० इतर प्रशासनिक सेवावरील भाडवली खर्च. | | | | | | 4070 Capital outlay on Other Administrative Services | |
| (०८) (०८) पोलीस दलाचे आयुष्मानिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत होगमगाडीचे आधुनिकीकरण (केंद्र हिस्सा ६०%) (४०७००९९६). | | | | | | (00) (08) Modernisation of Home Guard under the Modernisation of Police Force Programme (Central Share 60%) (40700196) | |
| 17 संगणक खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | 17 Computer Expenses | |
| 31 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) .. | .. | .. | .. | .. | .. | 31 Grants in - aid (Non-Salary) | |
| 50 इतर खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | 50 Other Charges | |
| 51 मोटार वाहने | .. | .. | .. | .. | .. | 51 Motor Vehicles | |
| 52 यंत्रसामग्री व साधनसामग्री .. | .. | .. | .. | .. | .. | 52 Machinery and Equipment. | |
| 53 मोठी बांधकामे .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53 Major Works | |
| एकूण (००) (०८) | .. | .. | .. | 4200 | 4200 | Total (००) (०८) | |
| (००) (०१) पोलीस दलाचे आयुष्मानिकीकरण कार्यक्रमांतर्गत होगमगाडीचे आधुनिकीकरण (राज्य हिस्सा ४०%) (४०७००९९७). | | | | | | (00) (09) Modernisation of Home Guard under the Modernisation of Police Force Programme (State Share 40%) (40700187) | |
| 17 संगणक खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | 17 Computer Expenses | |
| 31 सहायक अनुदाने (वेतनेतर) .. | .. | .. | .. | 1800 | 1800 | 31 Grants in - aid (Non-Salary) | |
| 50 इतर खर्च | .. | .. | .. | .. | .. | 50 Other Charges | |
| 51 मोटार वाहने | .. | .. | .. | .. | .. | 51 Motor Vehicles | |
| 52 यंत्रसामग्री व साधनसामग्री .. | .. | .. | .. | .. | .. | 52 Machinery and Equipment. | |
| 53 मोठी बांधकामे .. | .. | .. | .. | .. | .. | 53 Major Works | |
| एकूण (००) (०१) | .. | .. | .. | 1801 | 1801 | Total (००) (०१) | |
| एकूण ४०७० इतर प्रशासनिक सेवा यावरील भाडवली खर्च | | | | | | 4070 Capital outlay on Other Administrative Services. | |
| भारित .. | .. | .. | .. | .. | .. | Charged | |
| दत्तमत .. | .. | .. | .. | .. | .. | Voted | |

तक्ता २ / Table २
प्रशिक्षण / Training

प्राथमिक / उजळणी प्रशिक्षण शिवीर.--मुख्यालयाचे आदेश क्र. मस/कार्या-३/२०२१/९०९, दिनांक ७ मार्च २०२१ अन्वये बदल करून या परिपत्रकातील अभ्यासक्रमानुसार पुरुष (शहरी व ग्रामीण एकत्रित प्रवर्ग) व महिला होमगार्डचे प्राथमिक प्रशिक्षण ३५ दिवसांचे असून कामाचे ३१ दिवस व ४ दिवस सुट्टीचे आहेत. प्रत्येक ४५ मिनिटांच्या एकूण २४८ तासिकांमध्ये प्राथमिक प्रशिक्षण पूर्ण केले जाते. तरेच पुरुष व महिला होमगार्डचे उजळणी प्रशिक्षण ०८ दिवसांचे प्रशिक्षण शिवीरातून दिले जाते. प्रत्येक ४५ मिनिटांच्या एकूण ६४ तासिकांमध्ये उजळणी प्रशिक्षण पूर्ण केले जाते. त्याचा सुधारित अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे :--

समारंभीय कवायतीकरिता ११ सलग सराव कवायती आयोजित करतात तसेच साप्ताहिक कवायत दर महिन्यातून पहिल्या व तिसऱ्या रविवारी आयोजित करतात.

Training

Basic / Refresher Training.--As mentioned in HQs Circular No. CG/DESK-3/2021/909, dated 7th March 2021 the basic men and women (Urban and Rural) Home Guards is completed in 35 working days which include 04 holidays. It means a camp has to be completed 31 days which consists of 248 total periods of 45 minutes each.

Refresher training is to be completed in 8 days training camp consisting 64 periods of 45 minutes each.

The amended syllabus is given below :--

Further it is directed to arrange 11 parade for practice purpose of ceremonial parade as well as weekly parade are arrange twice a month (First and Third Sunday of every month).

| शहरी / Urban | | | |
|---------------------------|---|--|-------------|
| विषय Subject | अ.क्र. | कालावधी ४५ मिनिटे Period 45 minutes | एकूण तासिका |
| १ | २ | ३ | |
| (अ) धोरणात्मक विषय | | | |
| १ | शारीरिक कवायत / Physical Training | .. | 24 |
| २ | पद कवायत / Foot Drill | .. | 30 |
| ३ | शस्त्र कवायत / Arm Drill | .. | 32 |
| ४ | शस्त्र प्रशिक्षण / Weapon Training | .. | 20 |
| ५ | लाठी कवायत / Lathi Drill | .. | 10 |
| ६ | गर्दी व जमाव नियंत्रण / Mob and Mob Control | .. | 4 |
| ७ | वाहतूक नियंत्रण / Traffic Control | .. | 4 |
| ८ | गार्ड (सन्तरी) व गार्डची कर्तव्य व जबाबदार्या / Guard and Guard Duty Responsibility | .. | 6 |
| ९ | गस्त / Patrolling | .. | 4 |
| १० | निःशस्त्र / Un Arms Combat | .. | 6 |
| ११ | युद्ध कौशल्य / Field Craft | .. | 4 |
| १२ | रेंज डिसिप्लीन / Range Discipline | .. | 2 |
| १३ | गोळीबार सराव / Firing Practice | .. | 8 |
| १४ | संचलन / Parade | .. | 7 |

| १ | २ | ३ |
|--|---|-------|
| (ब) होमगार्ड व नागरी संरक्षण आणि स्थानिक गरजेंचे विषय | | |
| १ | होमगार्ड संघटना / Home Guard Organisation | .. 7 |
| २ | नागरी संरक्षण / Civil Defence | .. 2 |
| ३ | अग्निशमन / Fire Fighting | .. 14 |
| ४ | विमोचन / Rescue | .. 22 |
| ५ | प्रथमोपचार / First-Aid | .. 10 |
| ६ | पूर विमोचन / Flood Rescue | .. 11 |
| ७ | आपात सहाय्यता / Disaster Relief | .. 3 |
| | | |
| (क) अत्यावश्यक सेवा व सामाजिक जनजागृती | | |
| १ | अत्यावश्यक सेवा / Emergency Services | .. 2 |
| २ | सामाजिक जनजागृती / Social Awareness | .. 6 |
| | | |
| (ड) सर्वसाधारण | | |
| १ | प्रशासकीय कामकाज / Administrative Work | .. 3 |
| २ | परीक्षा / Exam | .. 7 |

तक्ता २

TABLE II

तक्ता
TABLE

होमगार्डची जिल्हानिहाय नोंदणी व

Districtwise Table about Information

| जिल्हा | प्रकार | वर्ष | नोंदणीचे | वर्षाच्या | वर्षाच्या | प्रशिक्षणाचा तपशील | |
|----------|---------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | लक्ष्य | सुरुवातीची | अखेरची | प्राथमिक | उजळणी |
| | | | संख्या | संख्या | संख्या | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण |
| District | Category | Year | Target | Opening Figure | Closing Figure | Particulars of Training | |
| | Urban/Rural | | | | | No. of Primary Training | No. of Orientation Training |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अहिल्यानगर | शहरी | .. 2023-2024 | 2000 | — | — | 131 1869 |
| | Ahilyanager | Urban | .. 2024-2025 | 2000 | — | — | 168 1832 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 2 | अकोला | शहरी | .. 2023-2024 | 950 | 871 | 855 | 103 847 |
| | Akola | Urban | .. 2024-2025 | 950 | — | — | 95 855 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 3 | अमरावती | शहरी | .. 2023-2024 | 1450 | 1318 | 1376 | 134 — |
| | Amaravati | Urban | .. 2024-2025 | 1450 | — | — | 74 1376 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 4 | छ. संभाजीनगर | शहरी | .. 2023-2024 | 1650 | 1449 | 1424 | — — |
| | Chhatrapati | Urban | .. 2024-2025 | 1650 | — | — | 226 1424 |
| | Sambhajinagar | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 5 | भंडारा | शहरी | .. 2023-2024 | 825 | 766 | 805 | — — |
| | Bhandara | Urban | .. 2024-2025 | 825 | — | — | 20 805 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 6 | बुलढाणा | शहरी | .. 2023-2024 | 1600 | 1539 | 1504 | — — |
| | Buldhana | Urban | .. 2024-2025 | 1600 | — | — | 96 1504 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 7 | बीड | शहरी | .. 2023-2024 | 1250 | 1088 | 1083 | — — |
| | Beed | Urban | .. 2024-2025 | 1250 | — | — | 167 1083 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 8 | चंद्रपूर | शहरी | .. 2023-2024 | 1150 | 1014 | 1000 | — — |
| | Chandrapur | Urban | .. 2024-2025 | 1150 | — | — | 150 1000 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 9 | धुळे | शहरी | .. 2023-2024 | 950 | 931 | 0905 | — — |
| | Dhule | Urban | .. 2024-2025 | 950 | — | — | 45 905 |
| | | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |
| 10 | बृहन्मुंबई | शहरी | .. 2023-2024 | 5000 | 2048 | 2365 | — 2387 |
| | Greater | Urban | .. 2024-2025 | 5000 | — | — | 2635 2365 |
| | Mumbai | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — |

२

II

प्रशिक्षण यावाबत माहिती देणारा तक्ता

of Homeguard's Registration and Training

| प्रशिक्षणानुसार वर्गवारी | | | | खर्च | | | |
|--|------------------------------------|-------------|--|------------------|-----------------|-----------|---------|
| प्राथमिक व उजळणी पाठ्यक्रम | उजळणी पूर्ण केलेले | अप्रशिक्षित | गणवेश पुरवठा झालेल्या होमगार्डसची संख्या | साप्ताहिक कवायती | प्रशिक्षण शिविर | गणवेश | एकूण |
| Completed of basic and Orientation of Course | Completed of Orientation of Course | Untrainee | Supply of uniform No. of Homeguards | Weekly Parade | Training Camp | Uniform | Total |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| — | 187 | — | 0 | — | — | — | — |
| — | — | — | 1900 | — | — | — | 4750000 |
| — | — | — | 1900 | — | — | — | 4750000 |
| — | 70 | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | 2 | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 808 | — | — | — | 2020000 |
| — | — | — | 1213 | — | — | 3382500 | 3032500 |
| — | — | — | 237 | — | — | — | 592500 |
| — | — | — | 1450 | — | — | — | 3625000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 1650 | — | — | — | 4125000 |
| — | 136 | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 793 | — | — | — | 1982500 |
| — | — | — | 64 | — | — | — | 160000 |
| — | — | — | 1600 | — | — | — | 4000000 |
| — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 20 | — | — | — | 50000 |
| — | — | — | 996 | — | — | — | 2590000 |
| — | — | — | 1016 | — | — | 1246700 | 2540000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | 99 | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | 0 | 1068 | — | — | 156130.40 | 2670000 |
| — | — | 3 | 40 | — | — | — | 100000 |
| — | — | — | 100 | 914 | — | — | 2490000 |
| — | — | — | 850 | — | — | — | 2125000 |
| — | — | 7 | 258 | — | — | 0 | 745000 |
| — | — | — | 1597 | — | — | — | 6492500 |
| — | — | — | 2549 | — | — | — | 6372500 |

TABLE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|-----------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 11 गडचिरोली | शहरी Gadchiroli Urban | .. 2023-2024 | 800 | 779 | 759 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 800 | — | — | 41 | 759 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 12 जळगाव | शहरी Jalgaon Urban | .. 2023-2024 | 2200 | 2044 | 2043 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 2200 | — | — | 157 | 2048 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 13 जालना | शहरी Jalana Urban | .. 2023-2024 | 800 | 787 | 784 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 800 | — | — | 16 | 787 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 14 कोल्हापूर | शहरी Urban | .. 2023-2024 | 2000 | 2021 | 1852 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 2000 | — | — | 148 | 1852 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 15 लातूर | शहरी Latur Urban | .. 2023-2024 | 1200 | 1030 | 1008 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 1200 | — | — | 192 | 1008 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 16 नांदेड | शहरी Nanded Urban | .. 2023-2024 | 1700 | 1622 | 1613 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 1700 | — | — | 87 | 1613 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 17 नागपूर | शहरी Nagpur Urban | .. 2023-2024 | 3000 | 2595 | 2367 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 3000 | — | — | 633 | 2367 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 18 नाशिक | शहरी Nashik Urban | .. 2023-2024 | 3000 | 2014 | 2737 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 3000 | — | — | 263 | 2737 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 19 धाराशिव | शहरी Dharashiv Urban | .. 2023-2024 | 1000 | 944 | 927 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 1000 | — | — | 73 | 927 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 20 परभणी | शहरी Parabhani Urban | .. 2023-2024 | 900 | 874 | 866 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 900 | — | — | 34 | 866 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 21 पुणे | शहरी Pune Urban | .. 2023-2024 | 4000 | 2847 | 2593 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 4000 | — | — | 1407 | 2593 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 22 रायगड | शहरी Raigad Urban | .. 2023-2024 | 900 | 824 | 818 | — | 822 |
| | | .. 2024-2025 | 900 | — | — | 82 | 818 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |
| 23 रत्नागिरी | शहरी Ratnagiri Urban | .. 2023-2024 | 900 | 457 | 457 | — | — |
| | | .. 2024-2025 | 900 | — | — | 443 | 457 |
| | | .. 2025-2026 (Estimated) | — | — | — | — | — |

રંગાલ

II--contd.

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|----|----|------|----|----|------------|---------|
| — | — | — | 537 | — | — | 175000.00 | 1342500 |
| — | — | — | 182 | — | — | — | 455000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | 1447449.30 | 0 |
| — | — | — | 2000 | — | — | — | 5000000 |
| — | — | — | 2200 | — | — | — | 5500000 |
| — | — | — | 0 | — | — | 1182975 | 0 |
| — | — | — | 717 | — | — | — | 1792500 |
| — | — | — | 800 | — | — | — | 2000000 |
| — | — | — | 0 | — | — | 5760875.00 | 0 |
| — | — | — | 40 | — | — | — | 100000 |
| — | — | — | 1792 | — | — | — | 4480000 |
| — | — | — | 160 | — | — | — | 400000 |
| — | — | — | 1040 | — | — | — | 2600000 |
| — | — | — | 1200 | — | — | — | 3000000 |
| — | — | — | 950 | — | — | 2800000 | 2375000 |
| — | — | — | 750 | — | — | — | 1875000 |
| — | — | — | 1030 | — | — | — | 2575000 |
| — | — | — | 732 | — | — | 188370 | 1830000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 2142 | — | — | — | 5355000 |
| — | — | — | 2479 | — | — | 2734636 | 6197500 |
| — | — | — | 2500 | — | — | — | 6250000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 766 | — | — | 1000000 | 1915000 |
| — | — | — | 705 | — | — | — | 1912500 |
| — | — | — | 764 | — | — | — | 1910000 |
| — | — | 5 | 0 | — | — | 1500000 | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 2225000 |
| — | — | — | 500 | — | — | 4222170 | 1250000 |
| — | — | — | 1000 | — | — | — | 2500000 |
| — | — | — | 4000 | — | — | — | 1000000 |
| — | — | — | 84 | — | — | 1573001.65 | 210000 |
| — | — | — | 603 | — | — | — | 1507500 |
| — | — | — | 213 | — | — | — | 532500 |
| — | — | — | 155 | — | — | 3661836 | 987500 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 900 | — | — | — | 2250000 |

TABLE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|--------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 24 | सांगली Sangali | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 1550 1550 — | 1099 — — | 1015 — — | — 535 — |
| 25 | सातारा Satara | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 1550 1550 — | 1440 — — | 1441 — — | — 109 — |
| 26 | सिंधुदुर्ग Sindhudurg | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 700 700 — | 577 — — | 574 — — | — 126 — |
| 27 | सोलापूर Solapur | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 1900 1900 — | 1755 — — | 1834 — — | — 66 — |
| 28 | ठाणे Thane | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 3375 3375 — | 2975 — — | 2963 — — | — 412 — |
| 29 | वर्धा Wardha | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 1290 1290 — | 1070 — — | 1031 — — | — 259 — |
| 30 | यवतमाळ Yawatmal | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 1400 1400 — | 1240 — — | 1318 — — | — 82 — |
| 31 | वाशिम Washim | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 600 600 — | 583 — — | 564 — — | — 36 — |
| 32 | गोंडिया Gondia | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 700 700 — | 687 — — | 682 — — | — 18 — |
| 33 | नंदुरबार Nandurbar | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 916 916 — | 867 — — | 854 — — | — 62 — |
| 34 | हिंगोली Hingoli | शहरी Urban | .. 2023-2024 .. 2024-2025 .. 2025-2026 (Estimated) | 650 650 — | 659 — — | 640 — — | — 4 — |

ર--ચાલુ

II--contd.

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|----|----|------|------|----|----|----------|
| — | — | — | 904 | 53 | — | — | 2260000 |
| — | — | — | 0 | 1550 | — | — | 0 |
| — | — | — | 1550 | — | — | — | 3875000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 200 | — | — | — | 500000 |
| — | — | — | 1350 | — | — | — | 3375000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 700 | — | — | — | 1750000 |
| — | — | — | 157 | — | — | — | 392500 |
| — | — | — | 500 | — | — | — | 1250000 |
| — | — | — | 509 | — | — | — | 12726000 |
| — | — | — | 500 | — | — | — | 1250000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 1543 | — | — | — | 2857500 |
| — | — | — | 200 | — | — | — | 500000 |
| — | — | — | 1080 | — | — | — | 270000 |
| — | — | — | 200 | — | — | — | 500000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 1400 | — | — | — | 3500000 |
| — | — | — | 23 | — | — | — | 57500 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 568 | — | — | — | 1395000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 500 | — | — | — | 1250000 |
| — | — | — | 198 | — | — | — | 495000 |
| — | — | — | 0 | — | — | — | 0 |
| — | — | — | 838 | — | — | — | 2095000 |
| — | — | — | 916 | — | — | — | 2290000 |
| — | — | — | 574 | — | — | — | 1435000 |
| — | — | — | 600 | — | — | — | 1500000 |
| — | — | — | 600 | — | — | — | 1500000 |

उच्च पाठ्यक्रम---या पाठ्यक्रमात सुरक्षातीला शिकविलेल्या विषयांची उजळणी, शिवाय पाठ्यक्रमातील फिल्ड क्रापट सेवेशन व एलेटून टॅक्टिक्ज, वाहतूक नियंत्रण, मोक्याचे जागांचे रक्षण, प्रशिक्षण, प्रतिकार गट अग्निशमन, नागरी संरक्षण कर्तव्य आणि जबाबदार्या इत्यादीचाबाबत उच्च प्रशिक्षण दिले जाते. शहरी तसेच ग्रामीण होमगार्डच्याबाबतीत हे प्रशिक्षण संस्थेत (भुंडी) येथे दिले जाते. या प्रशिक्षणाचा कालावधी 10 ते 21 इतक्या दिवसांचा असतो.

Higher Courses.--In this courses, higher training is given regarding the revision of subjects taught in the beginning as well as Field Craft Section and Platoon Tactics, Traffic Control, Protection of Core Places, Training, Fire Fighting, Civil Defence duties and responsibilities, etc. Similar training is given to Rural Home Guard at Central Training Institute, Ghatkopar, Mumbai. The Training period is 10 to 21 days of duration.

नेतृत्वपादासाठी पाठ्यक्रम---अनायुक्त अधिकारी यांना हे प्रशिक्षण मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेत २१ दिवसांत दिले जाते. त्याच्यामाणे कंपनी कमांडर यांच्याकरिता ३० दिवसांचा पाठ्यक्रमसुद्धा मध्यवर्ती प्रशिक्षण केंद्रात शिकविला जातो.

Courses for Higher Officials.--This courses are given to honourary officers upto 21 days and upto 30 days to Company Commander at C. T. I., Mumbai.

तक्ता ४
मध्यवर्ती प्रशिक्षण संस्थेमध्ये चालविळ्या जाणाऱ्या उच्च नेतृत्वपदासाठीच्या पाठ्यक्रमांची माहिती देणारा तक्ता

TABLE IV

Table showing details regarding Leadership Training held at C. T. I

| पाठ्यक्रमाचा प्रकार Type of Course | वर्ष Year | होमगार्डसाठे प्रकार Home Guards | शिविराचे लक्ष्य Target of Camp | प्रशिक्षित करावाची संख्या Target of Training Camps | घेतलेली शिकिरे Camp | प्रशिक्षित करावाची संख्या No. of Trainees | झालेला खर्च Expenditure | शेरा Remarks | ₹ |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|--|----------------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| उच्च पाठ्यक्रम-- Higher Courses | | | | | | | | | |
| 2023-2024 | 2023-2024 | शहरी Urban | .. | 02 | 119 | 02 | 94 | 131600 | |
| 2024-2025 | 2024-2025 | शहरी Urban | .. | 04 | 204 | 01 | 28 | 63000 | |
| (अंदाजित) Estimated | 2025-2026 | शहरी Urban | .. | 04 | 204 | -- | -- | 714000 (अंदाजित) | |
| नेतृत्व पाठ्यक्रम-- Leadership Courses | | | | | | | | | |
| 2023-2024 | 2023-2024 | शहरी Urban | .. | 12 | 646 | 12 | 471 | 621100 | |
| 2024-2025 | 2024-2025 | शहरी Urban | .. | 10 | 510 | 03 | 82 | 89500 | |
| 2025-2026 | 2025-2026 | शहरी Urban | .. | 10 | 510 | -- | -- | 1785000 (अंदाजित) | |

कोंडिल 19 च्या महामारीमुळे इतर शिबिरे रद्द करण्यात आली. होमगार्ड सदस्य हे मानसेवी आहेत. होमगार्डच्या कर्तव्यावर व प्रशिक्षणासाठी हे सदस्य त्यांच्या फावल्या वेळात हजर होतात.

Homeguard members are honorary. They are attended duties and training in free of time.

प्रतिवर्षी प्रशिक्षित करावयाच्या होमगार्डसची लक्ष्य संख्या उपलब्ध साधन सामग्रीवर अवलंबून ठरविली जाते. प्रशिक्षित करावयाच्या लक्ष्य संख्येप्रमाणे होमगार्डसना प्रशिक्षणासाठी आयोजित केलेल्या निरनिराळ्या शिबिरांमध्ये वेळेवेळी बोलविण्यात येते; परंतु बोलविलेल्या संख्या ही लक्ष्य संख्येएवढी किंवा तिच्यापेक्षा जारत असते. तरी हे होमगार्डस संबंधित प्रशिक्षण शिबिरासाठी हजर राहतातच असे होत नाही. त्याची कारणे वेगवेगळी असतात. त्यामुळे हा फरक दिसून येतो.

Every year Target of Training of Homeguard is based on available resources. Homeguards are called for training in view of completion of Target of Training, but some time strength are more than the target but some time Homeguards are not attend to training their reasons are different.

सन १९४७ च्या मुंबई होमगार्डसू अधिनियमातील कलम ४ अन्वये कर्तव्य बजावण्यासाठी होमगार्डसना बोलाविल्यानंतर मुंबई होमगार्ड अधिनियम, १९५३ मधील वेळोवेळी सुधारित नियम, १६ अन्वये होमगार्डसना कर्तव्य नेमून दिली जातात ती खालीलप्रमाणे.--

Duties performed by Homeguard as per Mumbai Homegard Rule 1947, Rule 4 and Mumbai Homeguard Rules, 1953, Revised Rules 16.

तक्ता ५

Table 5

| अ. क्र. Sr. No. | जिल्हा District | अग्निशमन, विमोचन | | कायदा व सुव्यवस्था | | निवडणूक कर्तव्ये राज्यांतर्गत | | संकीर्ण कर्तव्ये राज्य शासनाच्या आदेशानुसार | |
|--|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------|--|---|
| | | व नैसर्गिक आपत्ती | संपकालीन कर्तव्य | कायदा व कर्तव्ये | Law and Order Duties | Election Duties State | Out of State | Miscellaneous Duties by Order of State Government | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 1 अहिल्यानगर Ahilyanagar | .. | 2023-2024 | — | — | 12852 | 0 | — | — | — |
| | .. | 2024-2025 | — | 0 | 6260 | 2197 | 500 | 40 | |
| | .. | 2025-2026 | 200 | 100 | 13500 | 3000 | 1000 | — | |
| 2 अकोला Akola | .. | 2023-2024 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | — | — |
| | .. | 2024-2025 | 0 | 0 | 6260 | 700 | 500 | — | |
| | .. | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | |
| 3 अम्रावती Amravati | .. | 2023-2024 | 12 | 300 | 10700 | 1350 | 900 | 0 | 0 |
| | .. | 2024-2025 | 12 | 0 | 12064 | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | .. | 2025-2026 | 12 | 350 | 13025 | 1350 | 1000 | 0 | |
| 4 छत्रपती संभाजीनगर Chhatrapati Sambhajinagar | .. | 2023-2024 | 0 | 0 | 9893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .. | 2024-2025 | 0 | 0 | 10868 | 4202 | 0 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 0 | 0 | 7540 | 8200 | 500 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 50 | 100 | 8460 | 500 | 0 | 0 | |
| 5 भंडारा Bhandara | .. | 2024-2025 | 55 | 0 | 7175 | 1500 | 500 | 0 | 0 |
| | .. | 2025-2026 | 50 | 100 | 8625 | 500 | 500 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 0 | 12 | 15119 | 0 | 900 | 0 | |
| 6 बुलढाणा Buldhana | .. | 2024-2025 | 100 | 0 | 15073 | 4221 | 0 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 0 | 0 | 16100 | 500 | 0 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 50 | — | 9000 | 300 | 300 | 0 | |
| 7 बीड Beed | .. | 2024-2025 | 50 | — | 5600 | 1300 | 0 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 50 | 100 | 5000 | 600 | 0 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 0 | 10 | 10270 | 0 | 985 | 0 | |
| 8 चंद्रपूर Chandrapur | .. | 2024-2025 | 0 | 10 | 8520 | 4150 | 0 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 0 | 20 | 12000 | 900 | 500 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 0 | 27 | 7342 | 0 | 600 | 0 | |
| 9 धुळे Dhule | .. | 2024-2025 | 0 | 0 | 7651 | 750 | 0 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 0 | 0 | 8000 | 875 | 600 | 0 | |
| | .. | 2023-2024 | 465 | 15 | 5250 | 350 | 300 | 0 | |
| 10 गडचिरोली Gadchiroli | .. | 2024-2025 | 300 | 15 | 5000 | 350 | 300 | 0 | |
| | .. | 2025-2026 | 300 | 15 | 6500 | 500 | 300 | 0 | |

तक्ता ५--चालू

Table No. 5--contd.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|---|
| 11 बृहन्मुंबई Gr. Mumbai | .. 2023-2024 | 0 | 50 | 24000 | 1500 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 23000 | 2020 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 100 | 30000 | 2000 | 0 | 0 |
| 12 जळगाव Jalgaon | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 18192 | 514 | 1000 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 19000 | 6030 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 50 | 20000 | 2200 | 1500 | 0 |
| 13 जालना Jalna | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 3232 | 0 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 25 | 0 | 5250 | 750 | 400 | 0 |
| 14 कोल्हापूर Kolhapur | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 15038 | 0 | 500 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 10563 | 3451 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 100 | 17000 | 1500 | 500 | 0 |
| 15 लातूर Latur | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 13330 | 2811 | 900 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 14745 | 1050 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 15000 | 1000 | 400 | 0 |
| 16 नांदेड Nanded | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 19441 | 0 | 1300 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 61010 | 8596 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 1000 | 1000 | 17000 | 3000 | 1000 | 0 |
| 17 नागपूर Nagpur | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 17374 | 2977 | 800 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 19446 | 2000 | 1000 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 1000 | 1000 | 17000 | 2000 | 1000 | 0 |
| 18 नाशिक Nashik | .. 2023-2024 | 0 | 16 | 30180 | 550 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | — | 0 | 13307 | 5494 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 100 | 32000 | 3000 | 500 | 0 |
| 19 धाराशिव Dharashiv | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 7878 | 0 | 200 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 7670 | 1779 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 8000 | 800 | 500 | 0 |
| 20 परभणी Parbhani | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 16769 | 0 | 400 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 12819 | 2534 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 50 | 50 | 15500 | 815 | 400 | 0 |
| 21 पुणे Pune | .. 2023-2024 | 150 | 210 | 16700 | 4310 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 155 | 0 | 15625 | 3500 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 150 | 250 | 16025 | 1825 | 800 | 0 |
| 22 रायगड Raigad | .. 2023-2024 | 38 | 0 | 4136 | 243 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 50 | 50 | 4250 | 2069 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 50 | 50 | 4350 | 600 | 0 | 0 |
| 23 रत्नागिरी Ratnagiri | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 3522 | 0 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 1930 | 700 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 2880 | 700 | 0 | 0 |
| 24 सांगली Sangli | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 5736 | 268 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 50 | 7004 | 2075 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 100 | 10000 | 2000 | 500 | 0 |

तक्ता ५--चालू

Table No. ५--contd.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------|--------------|------|------|--------|-------|-------|-----|
| 25 सातारा Satara | .. 2023-2024 | 200 | 10 | 15600 | 570 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 200 | 0 | 10200 | 4000 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 300 | 100 | 13000 | 1000 | 0 | 0 |
| 26 सिंधुदुर्ग Sindhudurg | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 16 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 2803 | 0 | 0 | 116 |
| | .. 2025-2026 | 400 | 0 | 4825 | 0 | 300 | 116 |
| 27 सोलापूर | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 13630 | 0 | 1000 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 1000 | 0 | 6520 | 3300 | 500 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 1000 | 1100 | 17000 | 3500 | 500 | 0 |
| 28 ठाणे Thane | .. 2023-2024 | 0 | 50 | 28000 | 1000 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 400 | 100 | 30000 | 4000 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 500 | 500 | 35000 | 1000 | 0 | 25 |
| 29 वर्धा Wardha | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 6501 | 499 | 1600 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 6050 | 2509 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 12426 | 800 | 0 | 0 |
| 30 येवतमाळ Yeotmal | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 12058 | 0 | 1000 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 12616 | 4175 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 18621 | 1200 | 1000 | 0 |
| 31 वाशिम Washim | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 5731 | 1533 | 0 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 7000 | 800 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 8000 | 750 | 400 | 0 |
| 32 गोंडिया Gondiya | .. 2023-2024 | 50 | 0 | 6000 | 0 | 500 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 50 | 0 | 5500 | 1600 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 50 | 100 | 5000 | 600 | 0 | 0 |
| 33 नंदुरबार Nandurbar | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 8215 | 0 | 500 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 8760 | 1150 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 0 | 0 | 9500 | 500 | 400 | 0 |
| 34 हिंगोली Hingoli | .. 2023-2024 | 0 | 0 | 9792 | 1440 | 310 | 0 |
| | .. 2024-2025 | 0 | 0 | 6089 | 0 | 0 | 0 |
| | .. 2025-2026 | 300 | 250 | 10000 | 700 | 500 | 0 |
| एकूण | .. 2023-2024 | 1015 | 800 | 407465 | 20715 | 13995 | 16 |
| | .. 2024-2025 | 2372 | 225 | 348550 | 83552 | 3300 | 156 |
| | .. 2025-2026 | 5537 | 5535 | 429227 | 48965 | 15500 | 141 |

(चार) कर्मचारीविषयक गोषवारा

(iv) Personnel Summary

तक्ता ६

TABLE VI

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम Designation | वेतनमान (सुधारित) Pay Scale (Revised) | ग्रेड पे Grade Pay | पदसंख्या No. of Posts | | Designation |
|--|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------|---|
| | | | | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 2 |
| राजपत्रित -- | | | | | | |
| | | Rs. | | | | <i>I. Gazetted—</i> |
| महासमादेशक (पदसिद्ध) | .. | HAG+(Level-16 in the pay matrix) | | 1 | 1 | Commandant General |
| उपमहासमादेशक | .. | HAG+(Level-15 in the pay matrix) | | 1 | 1 | Dy. Commandant General |
| वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी | .. | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | ... | 1 | 1 | Senior Staff Officer |
| समादेशक (म.प्र.सं.) | .. | S-23 : 67,700 - 2,08,700 | ... | 1 | 1 | Commandant (C. T. I.) |
| जिल्हा समादेशक | .. | S-20 : 56,100 - 1,77,500 | ... | 34 | 34 | Dist. Commandant |
| सहायक संचालक | .. | S-20 : 56,100 - 1,77,500 | ... | 1 | 1 | Assistant Director |
| वरिष्ठ निदेशक (अग्निशमन) | .. | S-16 : 44,900 - 1,42,400 | ... | 1 | 1 | Senior Instructor (Fire Fighting) |
| कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | ... | 2 | 2 | Junior Staff Officer |
| सहा. लेखा अधिकारी | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | ... | 1 | 1 | Asstt. Account Officer |
| सहायक लेखापरीक्षक अधिकारी | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | ... | 2 | 2 | Asstt. Audit Officer |
| | | एकूण | .. | 45 | 45 | Total |
| अराजपत्रित -- (गट क) | | | | | | |
| वरिष्ठ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) (मुख्यालय) | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | ... | 1 | 1 | Senior Stenographer Higher Grade (Head Office) |
| वरिष्ठ निदेशक (म.प्र.सं.) | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | ... | 2 | 2 | Senior Instructor (CTI) |
| प्रशासन अधिकारी (म.प्र.सं.) | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 1 | 1 | Administrative Officer (CTI) |
| प्रशासकीय अधिकारी (बृहन्मुंबई) | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 1 | 1 | Administrative Staff Officer (Gr. Mumbai) |
| प्रशासकीय अधिकारी (जिल्हे) | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 33 | 33 | Staff Officer (District) |
| केंद्र नायक | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 33 | 33 | Centre Commander |
| निरीक्षक अधिकारी (बृहन्मुंबई) | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 1 | 1 | Inspecting Officer (Gr. Mumbai) |
| कंपनी नायक (बृहन्मुंबई) | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 1 | 1 | Company Commander (Gr. Mumbai) |
| अधीक्षक | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 2 | 2 | Superintendent |
| महासमादेशकांचे स्वीय सहायक | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | ... | 1 | 1 | P. A. to Commandant General |
| प्रमुख लिपिक (मुख्यालय) | .. | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | ... | 3 | 3 | Head Clerk (Head Office) |
| कनिष्ठ लेखापरीक्षक | .. | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | ... | 2 | 2 | Junior Auditor |
| उपलेखापाल | .. | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | ... | 2 | 2 | Deputy Accountant |
| पलटन नायक | .. | S-13 : 35,400 - 1,12,400 | ... | 34 | 34 | Platoon Commander |
| सामुद्री प्रबंधक सुभेदार | .. | S-10 : 29,200 - 92,300 | ... | 29 | 29 | Quarter Master Subhedar |
| सहायक सामुद्री प्रबंधक | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | ... | 7 | 7 | Asstt. to Quarter Master |
| वरिष्ठ लिपिक/बृहन्मुंबई | | | | | | Senior Clerk/Gr. Mumbai |
| प्रमुख लिपिक (जिल्हे) | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | ... | 33 | 33 | Head Clerk (District) |
| वरिष्ठ लिपिक (जिल्हे) | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | ... | 29 | 29 | Senior Clerk (District) |

तक्ता ६

TABLE VI

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम Designation | वेतनमान (सुधारित) ग्रेड पे Pay Scale (Revised) Grade Pay | पदसंख्या No. of Posts | | Designation (as per corrected) |
|---|----------------------|--|--------------------------|-----------|--|
| | | | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| अराजपत्रित -- | | | | | |
| निदेशक/प्रदर्शक/कनिष्ठ | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | ... | 153 | 153 Instructor/Demonstrator/Jr. |
| निदेशक/हवालदार निदेशक | | | | | Instructor/Havaldar Instructor |
| लिपिक-टंकलेखक/भांडारपाल (बृहन्मुंबई) | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | ... | 32 | 32 Clerk-Typist/Storeman (Gr. Mumbai) |
| कनिष्ठ लिपिक/जिल्हे | .. | S-4 : 19,900 - 63,200 | ... | 35 | 35 Jr. Clerk (District) |
| चालक | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | ... | 34 | 34 Driver (C.T.I.) |
| चालक पोलीस शिपाई | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | ... | 1 | 1 Police Constable Driver |
| जावक पत्र स्वार (बृहन्मुंबई) | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 1 | 1 Dispatch Rider (Gr. Mumbai) |
| हवालदार आयुधिक | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 2 | 2 Head Constable Armourer |
| पोलीस शिपाई (आयुधिक) | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 1 | 1 Police Constable (Arms) |
| पोलीस शिपाई | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 8 | 8 Police Constable |
| हवालदार रक्षक | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 1 | 1 Quarter Guard Havildar |
| नाईक सामग्री रक्षक | .. | S-5 : 18,000 - 56,900 | ... | 1 | 1 Quarter Guard Naik |
| सामग्री रक्षक होमगार्ड | .. | S-3 : 16,600 - 52,400 | ... | 7 | 7 Sainik/Quarter Guard H. G |
| नाईक | .. | S-3 : 16,600 - 52,400 | ... | 2 | 2 Naik |
| शिपाई | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | ... | 82 | 82 Peon |
| हमाल (बृहन्मुंबई) | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | ... | 1 | 1 Hamal (Gr. Mumbai) |
| माळी (म.प्र.सं.) | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | ... | 2 | 2 Mali (C.T.I.) |
| सफाईगार | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | ... | 4 | 4 Sweeper |
| | | | एकूण .. | 627 | 627 Total |

- टीप :** (१) शासन निर्णय, गृह विभाग IPS/CR No. 102 Pol-1, Dt. 2.9.2022 and शासन निर्णय, गृह विभाग IPS/1520/CR No. 69 Pol-1, Dt. 18.9.2022 अन्वये HAG + (Level-16 in pay matrix) या संवर्गातील महासमादेशक, गृहरक्षक दल हे पोलीस महासंचालक दर्जाचे पद निर्माण करण्यात आलेले आहे.
- (२) 34 जिल्हा कार्यालयांना जिल्हा समादेशक, होमगार्ड हे पद शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक एचजीएस 2021/प्र.क्र.३८/विशा-८, दिनांक २०/६/२०२१ अन्वये निर्माण केले आहे.
- (३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक एचजीएस-२०१६/प्र.क्र.२२४/होम/विशा-८, दिनांक १४/२/२०२२ व शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक एचजीएस-२०१६/प्र.क्र.२२४/विशा-८, दिनांक २८/५/२०२४ अन्वये पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित केला आहे.

कार्यक्रम-७

इतर खर्च

प्रादेशिक सेनेतील सैनिकांना पुरस्कार

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

नागरी सेनेच्या स्वरूपात प्रादेशिक सेनेची स्थापना सन १९४९ मध्ये करण्यात आली आहे. स्थापना दिनाची स्मृती साजरी करण्यासाठी आणि प्रादेशिक सेनेत दाखल होण्यास आकृष्ट करण्यासाठी प्रादेशिक सेना दिन दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्याच्या ९ तारखेस साजरा करण्यात येतो. राज्यामध्ये प्रादेशिक सेनेची एकूण ६ युनिट्स आहेत. प्रादेशिक सेना दिन अनुरूपणे साजरा करणे शक्य व्हावे व नागरिकांना प्रादेशिक सेनेत दाखल होण्यासाठी सेनेचे कार्य महत्त्व व उद्दिष्ट नागरिकांपर्यंत प्रसिद्धिमाध्यमांद्वारे पोहोचविण्यासाठी अनुदान सुपूर्द करण्यात येते. तसेच प्रादेशिक सेनेतील सैनिक/अधिकारी यांना अनुक्रमे सेना पदक/प्रादेशिक सेना सन्मानचिन्ह मिळाल्यास त्यांना उत्तेजनार्थ अनुक्रमे रुपये १,५०० व रुपये २,५०० चे रोख पारितोषिक शासनातर्फे देण्यात येते.

बॉम्बशोधक पथकाची माहिती

शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष) क्रमांक एसएसए-०८८७/३४९२/विशा-४, दिनांक १२ जुलै १९८९ अन्वये आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवर प्रथम मुंबई शहराकरिता एक बॉम्बशोध व नाशक पथक निर्माण केले असून त्यात ४ पोलीस निरीक्षक, ८ पोलीस उपनिरीक्षक, ४ सशस्त्र पोलीस हवालदार, १२ सशस्त्र पोलीस शिपाई, ४ सशस्त्र पोलीस शिपाई (चालक), ४ सशस्त्र पोलीस शिपाई (श्वान हाताळणारे) ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

शासन निर्णय, गृह विभाग (विशेष) क्रमांक एसएसए-०८८९/२७८९/विशा-४, दिनांक २८ सप्टेंबर १९९० अन्वये आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवर नागपूर, औरंगाबाद परिक्षेत्राकरिता दुसरे स्वतंत्र बॉम्बशोध व नाशक पथक निर्माण करण्यात आले असून त्यात ४ पोलीस निरीक्षक, ४ सशस्त्र पोलीस हवालदार, १२ सशस्त्र पोलीस शिपाई, ३ सशस्त्र पोलीस शिपाई (चालक), ३ सशस्त्र पोलीस शिपाई (श्वान हाताळणारे) ही पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. सदर पथक सध्या नागपूर शहरामध्ये कार्यरत आहे.

आयुक्त व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवर बृहन्मुंबई आणि नागपूर-औरंगाबाद परिक्षेत्राकरिता अशी एकूण दोन बॉम्बशोध व नाशक पथके निर्माण करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी नागपूर-औरंगाबाद परिक्षेत्र, बॉम्ब पथकाचे कार्यपूर्ती व प्रशासकीय कारणास्तव नागपूर मुख्य पथक आणि औरंगाबाद उपपथक असे विभाजन केल्यामुळे अस्तित्वात आलेली ही ३ पथके कार्यपूर्तीसाठी अनुक्रमे पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, पोलीस आयुक्त, नागपूर शहर व विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद यांचे प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली संबंधित ठिकाणी कार्यरत आहेत. या दोन्ही मुख्य पथकांमधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी बॉम्बशोध व नाशकविषयक प्रशिक्षण घेतलेले आहे. त्यामुळे सुरक्षितरीत्या बॉम्ब/स्फोटक पदार्थ शोधण्याचे/हाताळण्याचे व मिळालेला बॉम्ब निकामी/नाश करण्याचे कार्य ते यशस्वीपणे पार पाडत आहेत. शिवाय महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या राज्यातील दोरा/कार्यक्रम/भेटीचे वेळी, त्यांचे सुरक्षिततेकरिता आवश्यक स्फोटक पदार्थ घातपात विरोधी तपासणी करण्याची कार्यवाही योग्य त्या पद्धतीने पार पाडत आहेत. या पथकांकरिता लागणारी सर्व आवश्यक उपकरणे आणि साधनसामग्री त्यांना उपलब्ध करून दिलेली आहेत. तसेच बृहन्मुंबई आणि नागपूर या दोन मुख्य बॉम्बपथकांकरिता "स्फोटक पदार्थ शोधण्याकरिता" प्रत्येकी दोन याप्रमाणे एकूण चार श्वान पिल्ले खरेदी केलेली आहेत. मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात २० ठिकाणी बॉम्बशोधक व नाशक पथकांची निर्मिती करण्यास दिनांक २२ जानेवारी २००९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. "शासन निर्णय क्र. एसएसए-१००९/प्र. क्र. ३२२/विशा-४, दिनांक १५ जुलै २०११ अन्वये राज्यातील बॉम्बशोधक व नाशक पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या विमा रकमेमध्ये वाढ करण्यात आली असून विमा योजना सर्व पथकातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे."

सुरक्षा रक्षक

केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या इमारतींच्या सुरक्षिततेसाठी सशस्त्र पहारेकरी पुरविले जातात. इतर संस्था, उदा. राष्ट्रीयीकृत बँका आपल्या शाखांच्या व चलन साठ्याच्या संरक्षणाकरिता सशस्त्र पहारेकच्यांची मागणी करतात. राज्य सरकारच्या बिनव्यापारी संस्था आणि इमारती याकरिता पुरविलेल्या सशस्त्र पहारेकच्यांचा खर्च सोडून इतर सशस्त्र पहारेकच्यांवर झालेला खर्च वसूल केला जातो.

दहशतवादविरोधी पथक

राज्यात दहशतवादी कारवायाना त्वरेने, वेगाने व परिणामकारकपणे आळा घालण्यासाठी दहशतवादविरोधी पथकाची रथापना शासन निर्णय क्रमांक एसएसए-१०/०३/५/विशा-४, दिनांक ८ जुलै २००४ अन्वये करण्यात आलेली आहे. सदर पथक अपर पोलीस महासंचालकांच्या

दहशतवादविरोधी पथकाचे कामकाजासाठी मुंबई व महाराष्ट्रमध्ये (१) काळा चौकी युनिट, (२) जुहू युनिट, (३) विक्रोळी युनिट, (४) नागपाडा युनिट, (५) चारकोप युनिट, (६) ठाणे युनिट, (७) नवी मुंबई युनिट आणि प्रशासन विभाग, माहिती विश्लेषण विभाग, सायबर विभाग, तांत्रिक विभाग व कोर्ट सेल तसेच उर्वरित महाराष्ट्रात (१) छत्रपती संभाजीनगर युनिट, (२) पुणे युनिट, (३) नागपूर युनिट, (४) नाशिक युनिट, (५) अकोला युनिट, (६) सोलापूर युनिट, (७) नांदेड युनिट निर्माण करण्यात आलेली आहेत.

दहशतवादविरोधी पथक, मुंबई व उर्वरित महाराष्ट्र यांचे लेखा व आस्थापनाविषयक कामकाज मुंबई येथील मुख्यालयातून एकत्रितरीत्या करण्यात येते.

दिनांक ५ मार्च २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दहशतवादविरोधी पथकातील भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे. तसेच, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दहशतवादविरोधी पथक येथे कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे.

सागरी सुरक्षा योजना

१. केंद्र शासनाने सागरी किनारा सुरक्षा योजना, फेज-२ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यासाठी एकूण ७ नवीन सागरी पोलीस ठाणे, १४ वेगवान बोटी, १४ जेटींवर ऑपरेशनल रूम, ७ जीप्स व १४ मोटारसायकलसह नवीन ७ सागरी पोलीस ठाण्यांना साहित्य खरेदीकरिता एकूण रुपये ६३,९२,९८,००० इतका निधी मंजूर केलेला आहे. त्यापैकी १४ वेगवान बोटी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार असल्याने सदर बोटींसाठीचा निधी (रुपये ५६ कोटी) वगळून एकूण रुपये ७,९२,९८,००० इतका निधी सन २०१२ ते २०१४ मध्ये केंद्र शासनाकडून प्राप्त झालेला आहे.

२. सदास्थितीत सर्व ७ सागरी पोलीस ठाणी कार्यरत करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी ५ सागरी पोलीस ठाण्यांचे व सर्व १४ ऑपरेशनल रुमचे बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. एकूण ७ जीप्स, १४ मोटारसायकली व पोलीस ठाण्यांकरिता साहित्याची खरेदी करून नवीन सागरी पोलीस ठाण्यांना त्याचे वाटप करण्यात आलेले आहे. १४ वेगवान बोटी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणे बाकी आहे.

३. तसेच सागरी सागरी सुरक्षेच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने सागरी सुरक्षा योजना, फेज-३ अंतर्गत केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावामध्ये राज्याची सागरी सुरक्षा बळकट करण्यासाठी लागणाऱ्या इतर पायाभूत सोयीसुविधांबरोबरच ३७ अत्याधिक गस्त नौकांची मागणी करण्यात आली आहे. सदरचा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे.

फोर्स वन

राष्ट्रीय सुरक्षा दलाच्या धर्तीवर राज्यात "फोर्स वन" ची स्थापना दिनांक २ एप्रिल २००९ च्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आली आहे. तसेच, दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये फोर्स वन पथकातील कृती विभाग, तांत्रिक व पूरक गट तसेच नागरी दहशतवादविरोधी प्रशिक्षण केंद्र विभाग येथे कार्यरत पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन (जोखीम) भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ

राज्य शासन व केंद्र शासनाची कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, प्रमुख प्रतिष्ठाने, वित्तीय संस्था, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, वैद्यकीय, संस्था, खाजगी बंदरे, धरणे, मॉल्स व मल्टीप्लेक्स व पंचतारांकित हॉटेल्स इत्यादीना सुसज्ज मनुष्यबळामार्फत संरक्षण सेवा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ अधिनियम, २०१० जारी करण्यात आला आहे.

जलद प्रतिसाद पथके

रस्थानिक पातळीवरील दहशतवादी कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी राज्यातील विविध शहरांमध्ये दिनांक ३१ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ५६ सदस्य असलेले एकूण ३८ जलद प्रतिसाद पथके रथापन करण्यात आली आहेत. तसेच दिनांक १९ ऑगस्ट २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जलद प्रतिसाद पथक येथे कार्यरत पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यात आलेला आहे.

(२) वित्तीय आवश्यकता--(ii) Financial Requirements

तब्ता TABLE

(रुपये हजारात/Rs. in thousands)

| तपशील | प्रतरक्ष Actuals 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज | | सुधारतेले अंदाज | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६ | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६ |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| | | Budget Estimates 2024-2025 | Revised Estimates 2024-2025 | | Budget Estimates 2025-2026 | Particulars |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मागणी क्रमांक बी-४, २०७५ | | | | | | |
| कार्यालये वर्गीकरण-- | | | | | | |
| (अनिवार्य) (२०७५०१८७) | | | | | | |
| ८००-इतर खर्च | | | | | | |
| (प्रादोशिक सेनेताल कर्मचार्याना .. | | | | | | |
| पुरस्कार (दरमात) | | | | | | |
| एकूण ... | | | | | | |
| 568 | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| - | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| 1 | | | | | | |

कार्यक्रम-८**धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणग्या****(संस्थांना देणग्या)****प्रस्तावनात्मक देणग्या**

महाराष्ट्र अश्वशर्यती परवाना कायदा, १९९२ अन्वये रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (मर्यादित) यांना देण्यात आलेल्या अनुज्ञाप्तीतील तरतुदीनुसार सदर क्लब प्रतिवर्षी त्यांच्या नेहमीच्या अश्वशर्यती व्यतिरिक्त १५ धर्मादाय अश्वशर्यती आयोजित करते. त्यावरील केंद्रीय वस्तू व सेवाकर आणि राज्य वस्तू व सेवाकर यांची रक्कम त्या त्या शीर्षखाली भरण्यात येते आणि यापैकी रूपये १.०० कोटी इतकी रक्कम प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पित करून नंतर शासनाच्या मान्यतेने धर्मादाय संस्थांना देणगी म्हणून देण्यात येते. या कारणास्तव गृह विभाग "मागांक क्रमांक बी-६, मुख्य शीर्ष-२२५० इतर सामाजिक सेवा-(००) (१०१) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-(००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या (अनिवार्य) ५०, इतर खर्च (२२५००२२८)" या खाली अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात येते.

गृह विभागाकडून स्वयंसेवी/सेवाभावी संस्थांना धर्मादाय देणगी/निधी मंजूर करून वाटप करण्यासाठीच्या सुरक्षित आणि सविस्तर तरतुदी गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक आरएसी-०९९३/प्र.क्र. १५०/विशा-९, दिनांक ३१ मार्च २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार विहित करण्यात आल्या आहेत.

कार्यक्रम-९

ठेव संलग्न विमा योजना

शासन भविष्यनिर्वाह निधी

भविष्यनिर्वाह निधी भरणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबांना अधिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त व्हावी आणि राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अधिक बचतीसाठी उत्तेजन मिळावे, या उद्देशाने शासनाने विमा योजनेशी संलग्न ठेव योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे बचतदारांना हप्ते न भरता विम्याचा लाभ होतो.

प्रस्तावना

भविष्यनिर्वाह निधीच्या वर्गणीदारांच्या कुटुंबीयांना अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा पुरविण्याच्या दृष्टीने आणि राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना बचतीचे प्रोत्साहन मिळावे, या दृष्टिकोनातून शासनाने "ठेव संलग्न विमा योजना" सुरु केली आहे. यामध्ये हप्ते न भरता विम्याचे संरक्षण मिळण्याची सोय आहे.

२. या योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत--

३०. ठेव संलग्न विमा योजना.--वर्गणीदाराच्या मृत्यूनंतर वर्गणीदाराच्या खाती जमा असलेली रक्कम मिळण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तीस लेखा अधिकारी, शा. नि. सा. प्र. वि. क्र. भनिनि-१०१२/२५/प्र. क्र. १३३/१२/१३ अ, दिनांक १५ जानेवारी २०१३ अन्वये पुढील शर्तीस अधीन राहुन अशा वर्गणीदाराच्या मृत्यूच्या लगतपूर्वीच्या तीन वर्षांमध्ये त्याच्या खाती शिल्लक असलेल्या सरासरी वर्गणीच्या रकमेएवढी अतिरिक्त रक्कम मिळण्यास प्राधिकृत करील. त्या शर्ती अशा :--

३(अ) अशा वर्गणीदाराच्या खाती जमा असलेली वर्गणीची रक्कम, त्याच्या मृत्यूच्या निकटपूर्वीच्या तीन वर्षांमध्ये कोणत्याही वेळी पुढील मर्यादेपेक्षा कमी असता कामा नये. त्या मर्यादा अशा.--

(एक) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ अन्वये पे-बॅड-२ (रुपये ९,३००-३४,८००) मधील किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतनश्रेणी असलेले पद धारण करणाऱ्या आणि प्रति महिना रुपये ४,८०० किंवा त्यापेक्षा अधिक श्रेणीवेतन आहरीत करणाऱ्या वर्गणीदाराच्या बाबतीत रुपये २५,०००;

(दोन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ अन्वये वेतनश्रेणी-२ (रुपये ९,३००-३४,८००) मधील पद धारण करणाऱ्या आणि प्रति महिना रुपये ४,२०० किंवा त्यापेक्षा अधिक, परंतु रुपये ४,८०० पेक्षा कमी श्रेणीवेतन आहरीत करणाऱ्या वर्गणीदाराच्या बाबतीत रुपये १५,०००;

(तीन) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ अन्वये, वेतनश्रेणी-२, वेतनश्रेणी-१, वेतनश्रेणी-१ एस (रुपये ४,४४०-७,४४०) मधील पद धारण करणाऱ्या आणि प्रति महिना रुपये १,४०० किंवा त्यापेक्षा अधिक, परंतु रुपये १,४०० पेक्षा कमी ग्रेड पे घेणाऱ्या वर्गणीदाराच्या प्रकरणी १०,०००.

(चार) महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २००९ अन्वये वेतनश्रेणी-१ एस मधील (रुपये ४,४४०-७,४४०) पद धारण करणाऱ्या आणि प्रति महिना रुपये १,३०० किंवा त्यापेक्षा अधिक, परंतु रुपये १,४०० पेक्षा कमी ग्रेड पे घेणाऱ्या वर्गणीदाराच्या बाबतीत रुपये ६,०००;

(ब) या नियमामध्ये देय असलेली अतिरिक्त रक्कम रुपये ६०,००० पेक्षा अधिक असणार नाही.

(क) वर्गणीदाराने मृत्यूच्या वेळेपर्यंत किमान पाच वर्षांची सेवा केलेली असली पाहिजे.

(२) शासकीय कर्मचारी, त्याच्या मृत्यूच्या वेळी, ज्याच्या अधिपत्याखाली नोकरी करीत होता त्या कार्यालयाचा प्रमुख, लेखा अधिकाऱ्यांकडून (वर्ग चारच्या प्रकरणात कार्यालय प्रमुखांकडून आणि अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या संबंधात विभाग प्रमुखांकडून) रकमेच्या अनुज्ञायतेची खात्री करून घेतल्यानंतर, पोट-कलम (१) अन्वये देय रकमेचे प्रदान करील.

(३) वर्गणीदाराने त्याच्या मृत्यूच्या लगतपूर्वीच्या ३६ महिन्यांच्या कालावधीत निरनिराळ्या वेतनश्रेणीची पदे धारण केली असतील तर मयत वर्गणीदाराने शेवटच्या तीन वर्षांत जास्तीत जास्त काळ जे पद धारण केले असेल त्या वेतनश्रेणीशी संबंधित किमान जमा रक्कम हीच याबाबतीत समुचित किमान अर्हताकारी जमा रक्कम होय.

(४) वर्गणीदाराच्या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा असलेली अंतिम शिल्लक आणि ठेव संलग्न विमा योजनेवी अनुज्ञेय रक्कम मिळण्यासाठी वर्गणीदाराने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीने किंवा वर्गणीदाराने नामनिर्देशित न केलेल्या अन्य मागणीदार व्यक्तीने, सादर करावयाचा अर्ज अनुसूची-एक मध्ये दिलेल्या नमुना "क"मध्ये भरून सादर करण्यात येईल.

टीप.--(१) ज्या महिन्यात मृत्यू झाला असेल त्या महिन्याच्या लगतपूर्व ३६ महिन्यांच्या शेवटी वर्गणीदाराच्या खात्यावर शिल्लक रकमेच्या आधारावर सरासरी शिल्लक रक्कम काढण्यात येईल. या प्रयोजनाकरिता तसेच उपरोक्त विहित किमान शिल्लक यांच्या तपासणीखाली.--

- (अ) मार्च अखेरच्या शिल्लक रकमेत, नियम १२ नुसार, जमा केलेले वार्षिक व्याज समाविष्ट असेल, आणि
- (ब) उपरोक्त ३६ महिन्यांतील शेवटचा महिना मार्च नसेल तर, अशा अंतिम महिन्याच्या शेवटी असलेल्या शिल्लक रकमेत ज्या वित्तीय वर्षात मृत्यू झाला असेल त्याच्या प्रारंभापासून उक्त अंतिम महिन्याच्या शेवटपर्यंतच्या मुदतीचे व्याज समाविष्ट करण्यात येईल.

टीप.--(२) या योजनेखाली घ्यावयाची रक्कम पूर्ण रुपयात असेल. देय रकमेमध्ये अपूर्ण रुपया असेल तर त्याचे नजीकच्या आकड्यापर्यंत पूर्ण रुपांतर करण्यात यावे (५० पैसे लगत पुढील रुपया इतके मानण्यात यावेत.)

टीप.--(३) या योजनेखाली देय असलेली कोणतीही रक्कम विभागाच्या पैशाच्या स्वरूपात असते आणि म्हणून भविष्यानिर्वाह निधी आणि संकीर्ण उपबंध अधिनियम, १९२५ (१९२५ चा १९) याच्या कलम ३ द्वारे देण्यात आलेले सांविधिक संरक्षण अशा रकमेस लागू होणार नाही.

टीप.--(४) एखाद्या शासकीय विभागाचे एखाद्या स्वायत्त संस्थेमध्ये रुपांतर झाल्यानंतर ज्या वर्गणीदारांची अशा स्वायत्त संघटनेकडे बदली झाली असेल आणि अशी बदली झाल्यानंतर त्यांना देण्यात आलेल्या पर्यायानुसार ज्यांनी या नियमानुसार या निधीमध्ये वर्गणी देण्याचा पर्याय स्वीकारला असेल, अशा वर्गणीदारांनासुद्धा ही योजना लागू होईल.

टीप.--(५) नियम ३२ किंवा ३३ अन्वये ज्याला या निधीचे लाभ मिळणार असतील, परंतु निधीमध्ये दाखल करून घेतल्याच्या तारखेपासून प्रकरणपरत्वे तीन वर्षांची किंवा पाच वर्षांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी जो मृत्यू पावला असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत, त्याने पूर्वीच्या मालकाकडे केलेला ज्या सेवेच्या संबंधातील त्यांच्या वर्गणीची रक्कम आणि मालकाचे अंशदान, कोणतेही असल्यास व्याजासह जमा केले असेल त्या सेवेचा असा कालावधी खंड (अ) आणि (क) यांच्या प्रयोजनाकरिता हिशोबात घेण्यात येईल.

टीप.--(६) पदावधीच्या (Tenure) तत्वावर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत आणि पुन्हा नोकरीत ठेवलेल्या निवृत्तीवेतनधारींच्या बाबतीत अशा नियुक्तीच्या किंवा प्रकरणपरत्वे पुनर्नियुक्तीच्या तारखेपासून केलेली सेवाच फक्त, या नियमाच्या प्रयोजनासाठी हिशोबात घेण्यात येईल. ही योजना करार तत्वावर नेमलेल्या व्यक्तींना लागू होणार नाही.

टीप.--(७) या योजनेच्या संबंधातील खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज खर्चाचा कल लक्षात घेऊन संबंधित विभाग प्रमुखांकडून तयार करण्यात येतात.

(२) वित्तीय आवश्यकता--
(ii) Financial Requirements

TABLE
तत्काता

(रुपये हजार/Rs. in thousands)

| | प्रत्यक्ष रकमा २०२३-२०२४ Actuals 2023-2024 | अनुसंक्षय २०२४-२०२५ Budget Estimates 2024-2025 | सुधारलेले अंदाज २०२४-२०२५ Revised Estimates 2024-2025 | अनुसंकटीय अंदाज २०२५-२०२६ Budget Estimates 2025-2026 | Classification |
|--|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| मागणी क्रमांक बी-६ | | | | | Pemand No. B-6 |
| २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण | | | | | 2235-Social Security & Welfare |
| १०४-विमा योजनेशी संलग्न ठेव- (२२३५६८) | - | - | - | - | 104-Deposit Linked Insurance Scheme (22351684) |
| (००)(०१) ठेव संलग्न विमायोजने- | | | | | (00)(01)Payment against Deposit Linked Insurance Scheme |
| तुसार पदान (अनिवार्य) (२२३५९६८) | 24600 | 36916 | 29533 | 36916 | (Committed) (22351684) |
| ५०-इतर खर्च .. | 24600 | 36916 | 29533 | 36916 | 50-Other Charges |
| एकूण खर्च .. | 24600 | 36916 | 29533 | 36916 | Total Gross |

कार्यक्रम-१०

घरबांधणी अग्रीम

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

जमीन घेऊन घरबांधणीसाठी किंवा तयार घर विकत घेण्यासाठी आर्थिक साहाय्याचा लाभ व्हावा या उद्देशाने शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरबांधणी अग्रिमे मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी घरबांधणी अग्रिम नियम, १९६२ तयार केले आहेत. या नियमानुसार शासकीय घरबांधणी अग्रिम उपलब्ध करून देता येते. दुसरे अग्रिम स्वीकारता येणार नाही आणि एकापेक्षा अधिक घरांसाठी अग्रिम मंजूर करण्यात येत नाही.

सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन बँडमधील वेतन विचारात घेऊन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेत तसेच घराच्या किंमत मर्यादित दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आलेली आहे. तथापि, घरांच्या किंमतीत विशेषत: शहरी भागात सातत्याने होणारी वाढ पाहता या अग्रिम रकमेत घर घेणे शक्य होत नसल्याचे निर्दर्शनास आले आहे. त्याचप्रमाणे "गट-ड" संवर्गातील किमान वेतनसंरचनेतील कर्मचाऱ्यांनाही पुरेसे घरबांधणी अग्रिम उपलब्ध व्हावे याकरिता दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने वित विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक घबांआ-२०२३/प्र. क्र. ३१/२०२३/विनिमय, दिनांक १ मार्च २०२४ अंमलात आला आहे. त्यातील तरतुदी खालीलप्रमाणे :--

१. घरबांधणी अग्रिमाची कमाल मर्यादा

घरबांधणीविषयक विविध प्रयोजनांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेले घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्याकरिता ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतन बँडमधील मूळ वेतन विचारात घ्यावे. अशा वेतनावर आधारित असलेले अग्रिम मंजूर करण्याकरिता सुधारित कमाल मर्यादा वित विभाग, शासन निर्णय क्र. घबांआ-२०२३/प्र.क्र.३१/२०२३/विनिमय, दिनांक १ मार्च २०२४ अन्वये खालीलप्रमाणे असतील.

| प्रयोजन | घरबांधणी अग्रिमाच्या रकमेची कमाल मर्यादा | | | |
|--|--|---|---|--|
| | वित विभाग क्रमांक घभाभ-१०१५/प्र.क्र.१४/सेवा-५, दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ मध्ये नमूद खालील वर्गीकरणाच्या शहरांमधील घर खरेदीकरिता | | | |
| | "एक्स" वर्गीकरण | "वाय" वर्गीकरण | उर्वरित वर्गीकरण | |
| १ | २ | ३ | ४ | |
| (अ) (१) जमीन खरेदी करून त्यावर विहित कालावधीत घर बांधणे किंवा | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये १ कोटी किंवा | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ७०.०० लक्ष | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ५५.०० लक्ष | |
| (२) स्वतःच्या मालकीच्या जागेवर नवीन घर बांधणे किंवा | घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी | किंवा घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता | किंवा घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता | |
| (३) स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरील मोडकळीस आलेले घर पाढून नवीन घर बांधणे किंवा | कमी असेल ती रक्कम. | यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | |
| (४) बांधकाम चालू असलेले नवीन घर किंवा तयार नवीन घर खरेदी करणे. | | | | |
| (ब) घर बांधण्यासाठी जमीन खरेदी करणे | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ३०.०० लक्ष किंवा जमिनीची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये २९.०० लक्ष किंवा जमिनीची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये १५.०० लक्ष किंवा जमिनीची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | |

| | "एकस" वर्गीकरण | "वाय" वर्गीकरण | उर्वरीत वर्गीकरण |
|--|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| (क) स्वतःच्या मालकीच्या राहत्या घराचे नवीन बांधकाम करून विस्तार करणे (अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी एकदाही अग्रिम घेतलेले नसल्यास). | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ३०.०० लक्ष किंवा बांधकामाची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये २९.०० लक्ष किंवा बांधकामाची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये १५.०० लक्ष किंवा बांधकामाची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. |
| (ड) सध्याचे राहते घर निवास योग्य करण्यासाठी असाधारण व विशेष स्वरूपाची दुरुस्ती करणे (नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान पोहोचलेले घर पुनःनिवासयोग्य करण्यासाठी आवश्यक असलेली दुरुस्ती) (राहत्या घरात नवीन सोयी किंवा अंतर्गत सजावट करणे यासाठी अनुज्ञेय नाही.) | मूळ वेतनाच्या ५० पट किंवा रुपये १५.०० लक्ष किंवा घर दुरुस्तीचा खर्च किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या ५० पट किंवा रुपये १०.५० लक्ष किंवा घर दुरुस्तीचा खर्च किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूळ वेतनाच्या ५० पट किंवा रुपये ८.२५ लक्ष किंवा घर दुरुस्तीचा खर्च किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. |
| (इ) हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (H.D.F.C.), राष्ट्रीयिकृत बँका/सहकारी बँका, महाराष्ट्र स्टेट हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन व तत्सम शासनमान्य वित्तीय संस्थांकडून घरबांधणीच्या प्रयोजनासाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी. | अग्रिम मंजूर करण्याच्या तारखेला शिल्लक असलेली कर्जाची रक्कम किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये १ कोटी किंवा घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | अग्रिम मंजूर करण्याच्या तारखेला शिल्लक असलेली कर्जाची रक्कम किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ७०.०० लक्ष किंवा घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | अग्रिम मंजूर करण्याच्या तारखेला शिल्लक असलेली कर्जाची रक्कम किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ५५.०० लक्ष किंवा घराची किंमत किंवा अग्रिम परतफेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. |
| (फ) जुने घर विकत घेण्यासाठी | मूल्यांकन करण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी (Authorised Valuers) दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेली जुन्या घराची किंमत किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये १ कोटी किंवा अग्रिम परत-फेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूल्यांकन करण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी (Authorised Valuers) दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेली जुन्या घराची किंमत किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ७०.०० लक्ष किंवा अग्रिम परत-फेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. | मूल्यांकन करण्यास प्राधिकृत करण्यात आलेल्या व्यक्तींनी (Authorised Valuers) दिलेल्या प्रमाणपत्रामध्ये नमूद केलेली जुन्या घराची किंमत किंवा मूळ वेतनाच्या १२५ पट किंवा रुपये ५५.०० लक्ष किंवा अग्रिम परत-फेडीची क्षमता यापैकी कमी असेल ती रक्कम. |

२. घरबांधणी अग्रिम मंजुरीसाठी घराची किंमत मर्यादा

वित्त विभागाच्या क्रमांक घभाआ-१०१५/प्र. क्र. १९/सेवा-५, दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आलेल्या "एक्स" व "वाय" या वर्गीकरणातील शहरांमध्ये नवीन बांधावयाच्या किंवा विकत घ्यावयाच्या तयार नवीन घराची/जुन्या घराची किंमत मर्यादा (जमिनीची किंमत वगळून) कमाल रुपये २.०० कोटी व त्याव्यतिरिक्त अन्य ठिकाणांकरिता कमाल रुपये १.०० कोटी अशी विहित करण्यात येत आहे. घरबांधणी अग्रिम मंजुरीसाठी सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांना सदर कमाल मर्यादा प्रकरणपरत्वे गुणवत्तेच्या आधारे २५ टक्केपर्यंत शिथिल करण्याचे पूर्ण अधिकार असतील. त्यावरील रकमेची प्रकरणे वित्त विभागाकडे सादर करण्यात यावीत.

३. घरबांधणी अग्रिमावरील वसूली

(अ) अग्रिमाची व्याजासह वसूली अग्रिमधारकाच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी पूर्ण होईल अशा रीतीने करण्यात यावी. उपरोक्त "अ", "इ" आणि "फ" येथील प्रयोजनाकरिता कमाल २० वर्षात, प्रथम १९२ मासिक हप्त्यात मूळ अग्रिम व नंतर ४८ मासिक हप्त्यात व्याज वसूल करण्यात यावे. "ब", "क" आणि "ड" येथील प्रयोजनासाठी घेतलेल्या अग्रिमाची वसूली व्याजासह कमाल ९६ मासिक हप्त्यात, प्रथम ७२ मासिक हप्त्यात मूळ अग्रिम व नंतर २४ मासिक हप्त्यात व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. अग्रिमधारक त्याच्या इच्छेनुसार कमी कालावधीत अग्रिम व व्याजाची रक्कम फेडण्यासाठी मासिक हप्त्याची रक्कम वाढवू शकेल.

अग्रिमधारकाचा सेवा कालावधी उपरोक्त नमूद कालमर्यादेपेक्षा कमी शिल्लक आहे अशा प्रकरणी उर्वरित सेवा कालावधी विचारात घेऊन मुद्दल व व्याज वसूली सेवानिवृत्तीपूर्वी पूर्ण होईल यादृच्छीने मुद्दल व व्याजाचा वसूली कालावधी निश्चित करण्यात यावा.

(ब) घरबांधणी अग्रिमाची रक्कम एकरकमी मंजूर केली असल्यास अग्रिमाच्या वसूलीची सुरुवात अग्रिमाची रक्कम वितरित केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.

घरबांधणी अग्रिमाची रक्कम एकापेक्षा अधिक हप्त्यात मंजूर केली असल्यास अग्रिमाच्या वसूलीची सुरुवात अग्रिमाचा प्रथम हप्ता वितरित केल्यानंतरच्या लगतच्या महिन्यापासून करण्यात यावी.

४. शासकीय कर्मचाऱ्यास घर खरेदी/बांधकाम करण्यास साहाय्यभूत व्हावे यासाठी शासन निर्णय क्रमांक एचबीए-१०८३/सीआर-४६५/जीईएन-५, दिनांक १३ जून १९८४ मधील परिशिष्ट-३ मधील घराचा द्वितीय प्रभार स्वीकारण्याबाबत सदर शासन निर्णयातील अन्य अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, सदर घर/सदनिका यावर वित्तीय संस्थेचे कर्ज व शासन अग्रिम यांच्या टक्केवारीच्या प्रमाणानुसार प्रभार निर्माण करून इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत शासन अग्रिम रक्कम मंजूर केलेल्या प्रमाणाच्या टक्केवारीपेक्षा कमी प्रभार स्वीकारणार नाही. शासन व वित्तीय संस्था या दोन्हींचा मिळून येणारा प्रभार घराच्या किमतीइतका असावा.

५. खाजगी बांधकाम व्यावसायिक (बिल्डर) ठेकेदार, कंपनी, सिडको, हुडको, म्हाडा, शासनाने मंजूर केलेल्या कोट्यातून इत्यादींकडून तयार सदनिका अथवा बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतीत सदनिका खरेदी करण्यासाठी मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील परिशिष्ट-२६ मधील तरतुदीनुसार प्रकरणपरत्वे एक किंवा एकापेक्षा जास्त हप्त्यात अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

६. शासन सेवेतील पुनर्नियुक्त माजी सैनिक असलेल्या कर्मचाऱ्याला संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम-१०९६/प्र. क्र. ४/९६/विनियम, दिनांक २३ जून १९९७ मधील तरतुदीनुसार अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

७. अग्रिम मंजुरीसाठी पुढीलप्रमाणे अटी लागू राहील :

१. ज्यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करावयाचे आहे, अशा अधिकारी/कर्मचाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेल्या नियुक्तीनंतर कमीत कमी ५ वर्षांची सेवा झाली असली पाहिजे. त्याचप्रमाणे अग्रिम मंजूर करतेवेळी अधिकारी/कर्मचाऱी यांची किमान ५ वर्षे सेवा शिल्लक असणे अनिवार्य आहे.

२. वरील सर्व प्रयोजनार्थ संपूर्ण शासकीय सेवेमध्ये फक्त एकदाच अग्रिम अनुज्ञेय होईल. मात्र, शासनाकडून अग्रिम घेऊन बांधलेल्या/खरेदी केलेल्या घराच्या नैसर्गिक आपत्तीतून उद्भवलेल्या दुरुस्तीकरिता पहिल्यांदा मंजूर झालेले अग्रिम व शासन निर्णयान्वये अनुज्ञेय होणारे घरबांधणी अग्रिम यामधील फरकाएवढी रक्कम घरबांधणी अग्रिम म्हणून दुसऱ्यांदा अनुज्ञेय करता होईल. सदर अग्रिमाची रक्कम उपरोल्लेखित फरकाइतकी किंवा घर दुरुस्तीचा खर्च किंवा रुपये ३०.०० लक्ष यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम घर दुरुस्तीकरिता या प्रयोजनाखाली अग्रिम म्हणून अनुज्ञेय राहील.

३. घरबांधणी नियम प्रयोजनातील कोणत्याही प्रयोजनासाठी अग्रिम घेण्याकरिता नोंदणीकृत गहाणाखत आवश्यक राहील. तसेच वैयक्तिक बंधपत्र/जामीनखत इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता राहील.

४. घराच्या किंमतीइतका घराचा विमा, शासकीय विमा संचालनालयाकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील यावी संबंधित अग्रिमधारकाने दक्षता घ्यावी.

५. पती, पत्नी दोघेही शासकीय कर्मचारी असतील त्या प्रकरणी दोघांपैकी एकालाच (विहित मर्यादेत) घरबांधणी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

६. अर्जदार शासकीय कर्मचाऱ्यास स्वतःच्या व प्रकरणपरत्वे त्याच्या/तिच्या, पत्नीच्या/पतीच्या संयुक्त नावावर भारतात कोठेही घर/जमीन खरेदी करावयाचे असल्यास संदर्भाधीन शासन अधिसूचना क्रमांक एचबीए-१०७१/२१४३/७१/फ-१, दिनांक १ जानेवारी १९७२ मधील तरतुदीनुसार त्यातील अटी व शर्तीच्या अधीन अग्रिम मंजूर करता येईल.

७. दिनांक १ मे २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही.

८. अग्रिम मंजूरीच्या आदेशाची त्याचप्रमाणे अग्रिमाची वसुली पूर्ण झाल्यानंतर या दोन्ही बाबींची नोंद सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी.

९. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्रिम मंजूर करताना, त्याच्याकडील शिल्लक घरबांधणी अग्रिम मुद्दल व व्याजाची वसुली, त्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या देय सेवानिवृत्ती उपदान अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या रकमेतून वसूल करण्यासंदर्भात संमतीपत्र देणे आवश्यक असेल. सदर संमतीपत्र घेण्याची जबाबदारी अग्रिम मंजूर करणाऱ्या प्राधिकाऱ्याची राहील.

१०. शासन सेवेत असताना अग्रिमधारकाचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या मृत्यूच्या दिनांकास शिल्लक असलेल्या व्याजाच्या रकमेची वसुली प्रशासकीय विभागाने सोडून द्यावी. मृत्यूच्या दिनांकाला शिल्लक असलेल्या मुद्दलाची पूर्ण रक्कम अग्रिमधारकाच्या मृत्यू-नि-सेवा उपदान/परिभाषीत अंशदायी निवृत्तीवेतन योजनेच्या रकमेतून समायोजित करण्यात यावी. समायोजनानंतरही मुद्दल शिल्लक राहिल्यास रूपये १.०० लक्षपर्यंतचीच रक्कम क्षमापित करण्यास संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम राहील. त्यानंतरही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घरबांधणी अग्रिम मुद्दलाची रक्कम वसूल करावयाची शिल्लक राहिल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वारसदाराकडून अथवा अनुकंपा तत्त्वावर शासन सेवेत नियुक्त केलेल्या वारसदाराकडून अशा शिल्लक रकमेची वसुली करावी. अन्यथा अशा कर्मचाऱ्याचे घर/सदनिका शासनाकडे गहाण असल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर घर/सदनिका लिलाव करून त्या रकमेतून शिल्लक मुद्दलाची वसुली करावी.

११. घरबांधणी अग्रिमधारकास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक ८ अंतर्गत शासन सेवेतून सक्तीने सेवानिवृत्त केल्यास/बडतर्फ केल्यास अथवा सेवेतून काढून टाकले असल्यास, सक्तीने सेवानिवृत्तीच्या/बडतर्फीच्या/सेवेतून काढून टाकल्याच्या दिनांकास त्यास देय असलेल्या शासकीय रकमांमधून वसूल करावयाची संपूर्ण शिल्लक घरबांधणी अग्रिमाची व शिल्लक व्याजाची रक्कम वसूल करण्यात यावी. यानंतरही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून घरबांधणी अग्रिम अथवा व्याजाची रक्कम वसूल करावयाची शिल्लक राहिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याने शिल्लक रक्कम शासनास त्वरित एकरकमी भरणा करावी अन्यथा अशा कर्मचाऱ्याचे घर/सदनिका शासनाकडे गहाण असल्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याने सदर घर/सदनिका लिलाव करून त्या रकमेतून उर्वरित मुद्दल/व्याजाची वसुली करावी.

१२. घरबांधणी अग्रिम रकमेच्या नियमित व योग्य वसुलीसाठी अर्जदार स्वतः जबाबदार राहील.

१३. अग्रिमधारक अनधिकृत रजेवर राहिल्यास अथवा इतर अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या कर्तव्यापासून दूर राहिला/अन्य विभाग/कार्यालयात बदली झाली तरीही घरबांधणी अग्रिम तसेच शासनाकडील इतर अन्य अग्रिमांची नियमित परतफेड करण्यास संबंधित अग्रिमधारक स्वतः जबाबदार राहील. याबाबत अग्रिम मंजूरीच्या आदेशात स्पष्ट उल्लेख करण्याची जबाबदारी अग्रिम मंजूरी प्राधिकाऱ्याची राहील.

१४. शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेले अग्रिम ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर केले आहे, त्या कारणाकरिता त्याचा विनियोग न केल्यास किंवा अग्रिम व व्याज परतफेडीच्या संदर्भातील अटी व शर्तीचे पालन न केल्यास किंवा त्यात कोणत्याही प्रकारची कसूर झाल्यास कसूरदाराकडून अग्रिमाची रक्कम, प्रचलित व्याजदर + २.७५ टक्के दंडनीय व्याजासह एकरकमी वसूल करण्यात यावी.

१५. संबंधित प्रशासकीय विभागाने निधी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र दिलेले असले पाहिजे.

१६. शासकीय कर्मचाऱ्यास मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्रिमाच्या प्रथम हप्त्याची रक्कम वितरित केल्यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने कोणत्याही कारणास्तव पुढील अग्रिम न घेता प्रथम हप्त्यात घेतलेल्या अग्रिमाची रक्कम परत करून अग्रिम रद्द करण्याची विनंती केल्यास अग्रिम मंजुरीच्या दिनांकास प्रचलित असलेल्या व्याजदराने गणना करून रक्कम परतीच्या दिनांकापर्यंतच्या व्याजाची वसुली करण्यात यावी. तसेच, सदर अधिकारी/कर्मचारी यांना पुन्हा घरबांधणी अग्रिम मंजूर करण्यात येऊ नये.

१७. प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना अग्रिम मंजुरीसंदर्भात वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक एफएनआर-१०७०/२०७६/एफ-१, दिनांक ९ मे १९७२ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

८. अग्रिम परतफेडीच्या क्षमतेची परिगणना पुढीलप्रमाणे करण्यात यावी.

| अ. क्र. | उर्वरित शासन सेवेचा कालावधी | अनुज्ञेय अग्रिम परिगणनेचे सूत्र |
|---------|---|--|
| १ | २० वर्षानंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत. | *मूळ मासिक वेतनाच्या १०० टक्के x उर्वरित मासिक सेवा कालावधी. |
| २ | १० वर्षानंतर परंतु २० वर्षाची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत. | *मूळ मासिक वेतनाच्या ९० टक्के x उर्वरित मासिक सेवा कालावधी. |
| ३ | १० वर्षाच्या आत सेवानिवृत्त होणाऱ्या तथापि, सेवानिवृत्तीसाठी किमान ५ वर्षे सेवा कालावधी शिल्लक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत. | *मूळ मासिक वेतनाच्या ८० टक्के x उर्वरित मासिक सेवा कालावधी. |

*मूळ वेतनामध्ये "विशेष वेतन" इत्यादीसारख्या वेतनांचा समावेश नसेल.

९. व्याजदराबाबत अन्य आदेश निर्गमित होईपर्यंत या आदेशान्वये रुपये २४.९९ लक्षपर्यंतच्या घरबांधणी अग्रिम प्रकरणी व्याजाची परिगणना ७.९ टक्के या दराने करावी व रुपये २५.०० लक्ष ते ६१.९९ लक्ष मंजूर अग्रिमाच्या बाबतीत मात्र संपूर्ण मंजूर अग्रिम रकमेवर व्याजाची परिगणना ८.९० टक्के या दराने करण्यात यावी व ७०.०० लक्ष ते १.०० कोटी पर्यंतच्या मंजूर अग्रिमाबाबत संपूर्ण अग्रिम रकमेवर व्याजाची परिगणना ९.९० टक्के या दराने करण्यात यावी. ज्या आर्थिक वर्षात घरबांधणी अग्रिम मंजूर केले आहे त्या वर्षासाठी जो व्याजदर लागू करण्यात आला असेल त्याच दराने संपूर्ण अग्रिम कालावधीत व्याजाची परिगणना करण्यात यावी. व्याजाची परिगणना वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अग्रिम-१०९९/प्र. क्र. ४४/९९/विनियम, दिनांक ५ मे २००० मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने करण्यात यावी.

१०. या शासन निर्णयातील सुधारित मर्यादा सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. तथापि, ज्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना संदर्भीय दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये घर बांधणी अग्रिमाची रक्कम एकापेक्षा अधिक हप्त्यात मंजूर केली असेल व अग्रिमधारकास या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत अग्रिमाचे सर्व हप्ते वितरित केले नसतील अशा प्रकरणी संबंधित अग्रिमधारकास सदर शासन निर्णयानुसार विहित सर्व अटी/शर्तीच्या अधीन अग्रिम अनुज्ञेय करता येईल. याव्यतिरिक्त यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेली अग्रिमाची प्रकरणे पुन्हा नव्याने उघडण्यात येऊ नयेत.

११. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ च्या परिशिष्ट-२६ मधील घरबांधणी अग्रिम विषयक नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा यथावकाश करण्यात येईल. तसेच यापूर्वीच्या शासन निर्णयातील ज्या तरतुदींमध्ये या शासन निर्णयान्वये स्पष्टपणे सुधारणा करण्यात आलेल्या नाहीत त्या अबाधित राहतील.

कार्यक्रम - ११

मोटार वाहनांच्या खरेदीसाठी/इतर वाहनांसाठी आगाऊ रकमा

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक वेपूर-२२०९/प्र. क्र. २७/सेवा-९, दिनांक २२ एप्रिल २००९ अन्वये राज्य शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी दिनांक १ जानेवारी २००६ पासून सुधारित करण्यात आल्या आहेत. या सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन बँडमधील वेतन (Pay in the Pay-Band) विचारात घेऊन, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना नवीन मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड/सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलित सायकल किंवा मनुष्यबळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीकरिता अग्रिम मंजूर करताना, शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अग्रीम-२०१०/प्र. क्र. १६/१०/विनियम, दिनांक १० जून २०१० अन्वये विहीत केलेल्या वेतन मर्यादा सुधारित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या संदर्भात शासन निर्णय, वित्त विभाग - अग्रिम २०२२/प्र. क्र. ३३/२०२२/विनियम, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे.

नवीन मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड/सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी तीन चाकी स्वयंचलित सायकल किंवा मनुष्यबळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १३६ व १३९ च्या अधीन राहून खाली नमूद केलेल्या वेतन मर्यादेनुसार अग्रिम मंजूर करण्यात यावा, तसेच शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक अग्रीम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/विनियम, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये नवीन मोटार कार खरेदीसाठी अग्रिमाची रक्कम राजपत्रित अधिकाऱ्याच्या वेतन बँडमधील मासिक वेतनाच्या १८ पट किंवा रुपये १५,००,००० (रुपये पंधरा लक्ष फक्त) किंवा नवीन मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढी अनुज्ञेय आहे.

(अ) नवीन मोटारसायकल, अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलीत किंवा मनुष्यबळाने चालणारी तीन चाकी सायकल खरेदीसाठी अग्रिम :

(१) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँडमधील मासिक वेतन रुपये ८,५६० (ग्रेड वेतन वगळून) किंवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(२) रुपये १,६५,००० किंवा मोटारसायकलची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(३) अग्रिमाची वसुली व्याजासह ६० समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ४८ हप्ते अग्रिम व नंतर १२ हप्ते व्याज वसूल करण्यात यावे.

(ब) नवीन स्कूटर खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :

(१) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँडमधील मासिक वेतन रुपये ८,५६० (ग्रेड वेतन वगळून) किंवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(२) रुपये १,४५,००० किंवा स्कूटरची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(३) अग्रिमाची वसुली व्याजासह ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम ३६ हप्ते अग्रिम व नंतर १२ हप्ते व्याज वसूल करण्यात यावे.

(क) नवीन मोपेड खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :

(१) ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँडमधील मासिक वेतन रुपये ८,५६० (ग्रेड वेतन वगळून) किंवा अधिक आहे अशा कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(२) रुपये ६५,००० किंवा मोपेडची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(३) अग्रिमाची वसुली व्याजासह ३६ समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. प्रथम २४ मासिक हप्ते अग्रिम व नंतर १२ मासिक हप्ते व्याज वसूल करण्यात यावे.

(ड) नवीन सायकल खरेदी करण्यासाठी अग्रिम :

(१) ज्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रेड वेतन रुपये २,८०० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा अराजपत्रित कर्मचाऱ्यांना या प्रयोजनासाठी अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(२) रुपये १५,००० किंवा सायकलची प्रत्यक्ष किंमत (विक्रीकर धरून) यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा अग्रिम अनुज्ञेय राहील.

(३) अग्रिमाची वसुली व्याजासह १० समान मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी.

उपरोक्त अग्रिम खालील अटींच्या अधीन अनुज्ञेय राहील :

(१) अग्रिमासाठी अर्ज करण्या अधिकाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्ती संबंधित पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे करण्यात आलेले नियुक्तीनंतर कमीतकमी ३ वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहिजे. तथापि, असिथव्यंग अपंग कर्मचाऱ्यास Scooter with adaption हे उपकरण पुरविण्याबाबत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या क्रमांक दिव्यांग-२०१२/प्र. क्र. ३२/दि. क.२, दिनांक १ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या उपकरणासाठी रुपये १,००,००० मंजूर करण्यात येतात. त्यावरील येणारा खर्च वाहन अग्रिम म्हणून मंजूर करण्याकरिता खालील अटी शिथिल करण्यात येत आहेत :

| | | | |
|---|---------------------|--|------------------------|
| (अ) नियुक्तीनंतर कमीत कमी ३ वर्षांची सलग सेवा झाली असली पाहिजे. | | | |
| (आ) कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँडमधील मासिक वेतन रुपये ८,५६० (ग्रेड वेतन वगळून) असणे आवश्यक आहे. | | | |
| (२) मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड वाहन चालविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून, कुटुंबातील एका व्यक्तीला मिळालेल्या अनुज्ञापतीची (Licence) छायाप्रत सादर करावी लागेल. | | | |
| (३) वाहनाच्या मॉडेलचे नाव, उत्पादनाचे वर्ष, खरेदीची तारीख व त्यासंदर्भाचे नोंदणीचे कागदपत्र सादर करावे लागतील. | | | |
| (४) मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, स्कूटर विथ अडॅण्शन व मोपेडचा विमा शासकीय विमा निधीकडे उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू राहील याची दक्षता घेणे आवश्यक राहील. | | | |
| (५) मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड, सायकल व अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वयंचलित तीन चाकी सायकल, स्कूटर विथ अडॅण्शन व मोपेड शासनाकडे तारण ठेवावी लागेल. | | | |
| (६) दुचाकी/तीन चाकीसाठी एकदा अग्रिम दिल्यानंतर पुन्हा अग्रिम अनुज्ञेय राहणार नाही. तसेच सदर शासन निर्णय निर्गमित होण्यापूर्वी, शासकीय अग्रिम घेऊन खरेदी केलेल्या जुन्या वाहनाऐवजी पुन्हा नवीन वाहन खरेदीसाठी अग्रिम अनुज्ञेय असणार नाही. तथापि, अपंग राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तीन चाकी सायकल खरेदीकरिता ही अट शिथिल करण्यात येत आहे. | | | |
| (७) दिनांक १ मे २००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास (दुसऱ्या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा लाभ घेता येणार नाही. | | | |
| (८) शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनातून होणारी एकूण वजाती त्याच्या मासिक वित्तलब्धीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये. | | | |
| (९) सदर अग्रिम मंजुरीच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत अग्रिमधारकाने वाहन खरेदी करून त्यासंबंधीची कागदपत्रे शासनास सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच न केल्यास अग्रिमधारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्कम १ महिन्यानंतर दंडनीय व्याजासह एकरकमी वसूल करण्यात येईल. अग्रिम मंजूर करताना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम २४ (ब) व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अग्रिम १०९५/प्र. क्र. ७०/१५/विनियम, दिनांक २६ सप्टेंबर १९९७ मध्ये नमूद तसेच, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख मंजुरीच्या आदेशात करण्यात यावा. | | | |
| (१०) अग्रिमाची रक्कम ज्या महिन्यात वितरित केली असेल त्याच्या पुढील महिन्यापासून अग्रिमाच्या वसुलीस सुरुवात करण्यात यावी. | | | |
| (११) वाहन अग्रिम रक्मेच्या नियमित वसुलीसाठी तसेच मंजूर अग्रिम रक्मेपेक्षा जादा वसुली होत असल्यास त्यास अर्जदार स्वतःही जबाबदार राहील. | | | |
| (१२) अग्रिमधारक अनधिकृत रजेवर राहिल्यास अथवा इतर अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्याच्या कर्तव्यापासून दूर राहिला तरीही वाहन अग्रिम तसेच शासनाकडील इतर अन्य अग्रिमांची नियमित परतफेड करण्यास संबंधित अग्रिमधारक स्वतः जबाबदार राहील. | | | |
| (१३) वित्त विभागाने आदेशाद्वारे वेळोवेळी विहित केल्यानुसार व्याजाचे दर राहतील. | | | |
| (१४) तसेच, जुनी मोटारसायकल/स्कूटर/मोपेड/सायकल व अपंग-राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी तीन चाकी सायकल खरेदीकरिता अग्रिम मंजूर करण्यात येणार नाही. | | | |
| शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक (१) अग्रिम-२०२२/प्र. क्र. ३२/२०२२ विनियम, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०२३ व (२) अग्रिम-२०२२/प्र. क्र. ३३/२०२२ विनियम, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये सन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षापासून पुढील आदेश होईपर्यंत सायकल, तीन चाकी स्वयंचलित सायकल, मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड, मोटारकार, नव्याने खरेदी करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अग्रिमावर आकारावयाच्या व्याजाचे दर खाली दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहेत. सन २०२३-२०२४ या वर्षापासून हेच व्याजदर पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील. | | | |
| वर्ष | नवीन मोटारकार करिता | मोटारसायकल, स्कूटर, मोपेड, तीन चाकी स्वयंचलित सायकल नव्याने खरेदीकरिता | नवीन दुचाकी सायकलकरिता |
| दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते पुढील आदेश होईपर्यंत. | १० टक्के | ९ टक्के | व्याजरहित |

वैयक्तिक संगणकासाठी आगाऊ रकमा

शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना वैयक्तिक संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट संगणक खरेदीसाठी, शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रिम-१०११/प्र. क्र. ५०/२०११/विनियम, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पूर्वीचे सर्व आदेश निष्प्रभावित करून शासकीय वर्ग-४ व त्यावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक व्याजरहित अग्रिम मंजूर करण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला आहे. वैयक्तिक अग्रिमाची मर्यादा अधिकतम २०,००० इतकी आहे किंवा संगणकाची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी कमी असेल, तेवढी रकम देय आहे. अग्रिमाची वसुली एकूण ४० हप्त्यांत करण्यात येते.

शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना वैयक्तिक संगणक खरेदी करण्यासाठी अग्रिम

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना वैयक्तिक संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट संगणक खरेदी करण्याकरिता शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक अग्रिम-१०११/प्र. क्र. ५०/२०११/विनियम, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१२ अन्वये विहित अर्टीच्या अधीन राहून वैयक्तिक संगणक अग्रिम मंजूर करण्यात येतो. यापूर्वीचे शासन निर्णय निष्प्रभावित करून पुढील अर्टीच्या अधीन राहून शासकीय अधिकाऱ्यांना/कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट संगणक खरेदी करण्यासाठी अग्रिम मंजूर करण्यात यावा.

- (१) वर्ग-१ ते वर्ग-४ पर्यंतच्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना ते धारण करत असलेल्या पदांच्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदीनुसार संगणकाचे ज्ञान आवश्यक असल्याने व्याजरहित संगणक अग्रिम अनुज्ञेय राहील.
- (२) अग्रिमाची रकम जास्तीत जास्त रुपये २०,००० (रुपये वीस हजार फक्त) किंवा संगणकाची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जे कमी असेल तेवढी असावी.
- (३) अग्रिमाची वसुली अग्रिम मंजुरीच्या पुढील लगतच्या महिन्यापासून जास्तीत जास्त ४० (चाळीस) कमाल मासिक हप्त्यांमध्ये करण्यात यावी. मात्र एखादा कर्मचारी/अधिकारी नियत वयोमानानुसार उपरोक्त ४० मासिक हप्ते पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होणार असेल, तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच संपूर्ण अग्रिमाची वसुली होईल अशा प्रकारे वसुलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावेत.
- (४) अग्रिम प्रत्यक्ष अदा केल्यानंतर एक महिन्याच्या आत वैयक्तिक संगणक/लॅपटॉप/टॅबलेट संगणक खरेदी करण्यात यावा व त्याबाबतची कागदपत्रे साक्षांकित प्रतींसह अग्रिम मंजूर करण्याचा प्राधिकाऱ्यास सादर करावीत. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना अग्रिमाची रकम अदा करण्यापूर्वी नमुना क्रमांक 20-Financial Rules, Form No. 20 मधील करारपत्र आणि संगणकाच्या खरेदीनंतर तात्काळ नमुना 21 (Financial Rules, Form No. 21) मधील नमुन्यात गहाणेखत द्यावे लागेल.
- (५) अग्रिम अदा केल्यानंतर १ महिन्याच्या आत संबंधित अधिकाऱ्याने/कर्मचाऱ्याने संगणक खरेदी केला नाही, तर किंवा अग्रिमाचा गैरवापर केल्यास त्याच्याकडून संपूर्ण अग्रिम १७.७५ टक्के व्याजदराने एकरकमी वसूल करण्यात यावा.
- (६) वैयक्तिक संगणकासाठी सीमा शुल्क आकार, व्हॅट इत्यादी आकार भरावयाची आवश्यकता निर्माण झाल्यास त्यासाठी वेगळा अग्रिम मंजूर करता येणार नाही.
- (७) वैयक्तिक संगणक अग्रिम हे स्थायी/अस्थायी अधिकारी/कर्मचारी यांना अनुज्ञेय असेल. अस्थायी कर्मचारी/अधिकारी यांना स्थायी कर्मचारी/अधिकारी यांच्याकडून प्रतिभूती बंधपत्र (Surety Bond) सादर करणे आवश्यक राहील.
- (८) वैयक्तिक संगणक अग्रिम हा शासकीय सेवेतील कालावधीत एकदाच अनुज्ञेय राहील. दुसऱ्यांदा वैयक्तिक संगणक अग्रिम अनुज्ञेय करता येणार नाही.
- (९) भविष्यनिर्वाह निधीमधून वैयक्तिक संगणकासाठी ना-परतावा रकम (रुपये ५०,०००) काढली असल्यास, वैयक्तिक संगणकासाठी अग्रिम मंजूर करता येणार नाही व तसे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक राहील.

कार्यक्रम - १३

राज्यातील पोलीस दलातील कर्मचारी यांना घरबांधणीसाठी बँकांमार्फत कर्ज व्यवस्था करणे

राज्यातील पोलीस दलाचे संख्याबळ सुमारे २,२०,००० इतके असून यामध्ये वाढ होत आहे. या दलापैकी पोलीस शिपाई व पोलीस यांपैकी कार्यरत सहायक पोलीस निरीक्षक / पोलीस हवालदार, पोलीस नाईक, पोलीस शिपाई यांची एकूण संख्या ही सुमारे १,९९,०२६ इतकी आहे व त्याचे एकूण दलातील कर्मचारी यांची तुलना करता ते ९२ टक्के इतके प्रमाण आहे. तसेच पोलीस उपनिरीक्षक यांची संख्या सुमारे ७,७६७ इतकी असून पोलीस निरीक्षक यांची एकूण संख्या जवळपास ३,००० इतकी आहे. राज्यातील पोलिसांची निवासस्थानांची मागणी स्वतःचे निवासस्थानाबाबत मागील ३ वर्षात प्राप्त झालेले अर्ज व उपलब्ध झालेला निधी इत्यादी विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण महामंडळास पोलिसांसाठी घरबांधणीकरिता कर्ज घेण्याची व कर्मचारी यांना वितरीत करण्यासाठी परवानगी देण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २३ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

राज्यातील पोलीस दलातील विविध संवर्गातील कर्मचारी यांच्यासाठी घरबांधणी अग्रीमाकरिता बँकांकडून कर्ज घेऊन महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत पोलीस कर्मचारी यांना उपलब्ध करून देण्यास क्रमांक बीयुडी-०१७०/प्र.क्र. २/आस्था-१ च्या दिनांक १० एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

तदनंतर सदर योजना खंडीत करून आगामी काळात इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांना शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रिम योजना दिनांक ७ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली.

तथापि, घरबांधणी अग्रिमासाठी सन २०२५-२६ पर्यंत अपेक्षित सुमारे ४०९८ अर्जासाठी किमान रुपये १२९० कोटींची गरज भासणार असून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात शासनाकडून एकरकमी किंवा दोन वर्षात तेवढी मोठी तरतुद होणे संभवत नाही. यास्तव दिनांक १० एप्रिल २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत बँक/वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उभारणी करून प्रलंबित अर्ज, नव्याने प्राप्त झालेले अर्ज व भविष्यात येणारे अर्ज विचारात घेता पोलीस अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणी अग्रिम योजनेचा लाभ देणे योग्य होईल. ही बाब विचारात घेऊन बँका/वित्तीय संस्थांमार्फत कर्ज व्यवस्था करण्यासाठी दिनांक ७ जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना पूर्वप्रमाणे शासकीय घरबांधणी अग्रिम योजनेअंतर्गत शासनाकडून अग्रिम देण्यासंदर्भातील निर्णय मागे घेऊन राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी/अंमलदार यांना घरबांधणी अग्रिमाकरीता बँकांकडून कर्ज घेऊन, घरबांधणी अग्रिम योजना, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ यांच्यामार्फत राबविण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १० एप्रिल २०१७ अन्वये लागू केलेली अग्रिम योजना पुन्हा सुरु करण्यासाठी दिनांक ४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. या अनुषंगाने क्रमांक बीयुडी-०९२२/प्र.क्र. १९६/आस्था.-१, दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

(ii) वित्तीय आवश्यकता
(ii) Financial Requirements

तब्कता
TABLE

(रुपये हजारस्त /Rs. in thousands)

| | वर्गीकरण Actuals 2023-2024 | अर्थसंकल्पीय अंदाज Budget Estimates 2024-2025 | सुधारलेले अंदाज Revised Estimates 2024-2025 | अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२५-२०२६ Budget Estimates 2025-2026 | Particulars |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| मागणी क्र. बी-११ | | | | | Demand No. B-11 |
| ७६१० शासकीय कर्मचाऱ्यांना कर्जे | | | | | 7610 Government Servant Loans |
| (२०१) घराबाधीसाठी आगाऊ रकमा | 651366 | 882625 | 882625 | 982625 | (201) House Building Advances. |
| (२०२) मोठार वाहानाच्या खरेदीसाठी | | | | | (202) Advances for purchase |
| आगाऊ रकमा .. | 31066 | 36300 | 36300 | 36300 | of Motor Conveyances. |
| (२०३) इतर वाहानाच्या खरेदीसाठी | | | | | (203) Advances for purchase |
| आगाऊ रकमा .. | - | 1 | 1 | 1 | of Other Conveyances. |
| (२०४) संगणक खरेदी अंशिम .. | 5720 | 14292 | 14292 | 14292 | (204) Advances for purchase |
| | | | | | of Computer. |
| एकूण .. | 688152 | 933218 | 933218 | 1033218 | Total |

कार्यक्रम-१४

नागरिकत्व प्रमाणपत्रे प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

नागरिकत्व

नागरिकत्व अधिनियम, १९५५ व नागरिकत्व नियम, २००९ नुसार परकीय नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याबाबतची प्रकरणे या विभागातर्फे हाताळली जातात.

केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाच्या दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ तसेच दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१८ च्या अधिसूचनेअन्वये पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगाणिस्तान मधील अल्पसंख्याक समुदाय अर्थात हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी व ख्रिश्चन या नागरिकांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासंबंधातील अधिकार राज्यातील मुंबई (उपनगरसह), ठाणे, नागपूर व पुणे या जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांचे अधिकार राज्याचे गृह सचिव यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.

तत्त्वा ३

TABLE III

(दोन) वित्तीय आवश्यकता

(ii) Financial Requirements

तक्ता १

| तपशील | प्रत्यक्ष खर्च २०२३-२०२४ Actuals 2023-2024 | आर्थसंकल्प २०२४-२०२५ Budget Estimates 2024-2025 |
|---|---|--|
| १ | २ | ३ |
| केंद्रीय अधिनियम व विनियम यांच्या अंमलबजावणी- | | |
| करिता संघराज्य यांना प्रदाने. | | |
| विदेशी व्यक्तींच्या नोंदणीबाबत अधिनियम, १९३९. (२०७००६५७) | | |
| ०१ वेतन .. | 334761 | 555000 |
| ०५ बळिसे .. | 70 | 100 |
| ०६ दूरध्यनी, वीज व पाणीशुल्क .. | 356 | 750 |
| ११ देशांतर्गत प्रवास खर्च .. | 42 | 76 |
| १३ कार्यालयीन खर्च .. | 190 | 333 |
| १७ संगणकावरील खर्च .. | 107 | 158 |
| एकूण .. | 335526 | 556417 |
| ८००-इतर खर्च .. | — | — |
| युरोपियन भटके लोक इत्यादीमुळे होणारा खर्च तडीपार करण्याचा खर्च (२०७००३०७) | | |
| ५०-इतर खर्च .. | 226 | 1600 |
| भारित .. | — | — |
| दत्तमत .. | — | 558017 |
| एकूण .. | 335752 | 558017 |

TABLE I

(રૂપયે હજારાતા/Rs. in thousands)

| સુધારિત અંદાજ ૨૦૨૪-૨૦૨૫ Revised Estimates 2024-2025 | અર્થસંકલ્પીય અંદાજ ૨૦૨૫-૨૦૨૬ Budget Estimates 2025-2026 | Particulars |
|--|--|---|
| 4 | 5 | 1 |
| 416250 | 568546 | Payment to State / Union Territories of Administration of Central Act and Regulation. Registration of Foreigners Act, 1939. (20700657) |
| 70 | 100 | 01 Salaries |
| 600 | 750 | 05 Reward |
| 53 | 78 | 06 Tel., Elect water charges |
| 266 | 343 | 11 Domestic Travel Expenses |
| 111 | 160 | 13 Office Expenses |
| 417350 | 569977 | 17 Computer Expenses |
| — | — | Total |
| 489 | — | 800-Other Expenditure |
| — | — | 2070--Other Adm. Service (20700307) |
| — | — | 50-Other Charges |
| — | — | Charged |
| — | — | Voted |
| 417839 | 569977 | Total |

केंद्रीय अधिनियम व विनियम यांचे प्रशासन

Administration of Central Acts and Regulations

तपता २ TABLE II

(अ) पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे कार्यालय (पोलीस उपआयुक्त, विशेष शाखा एक आणि दोन गुन्हा अन्वेषण विभाग, मुंबई)

(A) Office of the Commissioner of Police, Mumbai (D.C.P., SB-I, D. C. P., S. B.-II, C. I. D., Mumbai)

| अ. क्र. Sr. No. | पदनाम Pay Scale | वेतनमान Pay Scale | पदसंख्या No. of Posts | | Designation |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|--|
| | | | 2024-2025 | 2025-2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
| १ राजपत्रित— | | Rs. Pay Band Grade Pay | | | I. Gazetted— |
| सहायक पोलीस आयुक्त | .. | S-20 : 56,100 - 1,77,500 | .. | 2 | Assistant Commissioner of Police. |
| पोलीस निरीक्षक | .. | S-18 : 49,100 - 1,55,800 | .. | 27 | Police Inspector |
| | | एकूण .. | 29 | 29 | Total |
| २ अराजपत्रित, वर्ग-३ | | | | | II. Non-Gazetted—Class-III |
| सहायक पोलीस निरीक्षक | .. | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | .. | 26 | Assistant Police Inspector |
| फौजदार | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 93 | Police Sub-Inspector |
| फौजदार (महिला) } अधीक्षक | .. | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | .. | 1 | Police Sub-Inspector (Women) Superintendent |
| प्रमुख लिपिक | .. | S-13 : 35,400 - 1,22,400 | .. | 2 | Head Clerk |
| हवालदार (लेखनिक) | .. | S-9 : 26,400 - 83,600 | .. | 20 | Head Constable (Writer) |
| हवालदार | .. | S-9 : 26,400 - 83,600 | .. | 26 | Head Constable |
| वरिष्ठ श्रेणी लिपिक | .. | S-8 : 25,500 - 81,100 | .. | 3 | Senior Grade Clerk |
| कनिष्ठ श्रेणी लिपिक | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 19 | Junior Grade Clerk |
| टंकलेखक | .. | S-6 : 19,900 - 63,200 | .. | 7 | Typist |
| पोलीस शिपाई (लेखनिक) | .. | S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 69 | Police Constable (Writer) |
| पोलीस शिपाई | .. | S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 148 | Police Constable |
| पोलीस शिपाई (वाहन चालक) | .. | S-7 : 21,700 - 69,100 | .. | 8 | Police Constable Driver |
| | | एकूण .. | 422 | 422 | Total |
| ३ अराजपत्रित, वर्ग-४ | | | | | Non-Gazetted—Class-IV |
| मजूर | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 5 | Mazdoor |
| सफाई कामगार | .. | S-1 : 15,000 - 47,600 | .. | 1 | Sweeper |
| | | एकूण .. | 6 | 6 | Total |
| | | एकूण बेरीज .. | 457 | 457 | Grand Total |

राज्य व विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक ३१०/१९९६ मध्ये दिनांक २२ सप्टेंबर २००६ रोजी दिलेल्या निदेशाची तरतुद महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मध्ये करण्याकरिता मंत्रिमंडळ उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार मंत्रिमंडळाने दिनांक १५ जानेवारी २०१४ रोजी निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना तसेच इतर निदेशांची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा आणि पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०१४, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१४ पासून अंमलात आला आहे.

२. सदर अधिनियमातील कलम २२ (प) व २२ (स) अन्वये अनुक्रमे राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभाग स्तरीय पोलीस प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. तदनंतर राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण व विभागीय तक्रार प्राधिकरण अनुक्रमे प्रकरण क्र. २२ प व २२ स अन्वये स्थापन करण्यात आले.

३. उक्त नियमातील कलम २२ प राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणामध्ये खालील सदस्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.

- (१) उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश - अध्यक्ष
- (२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेला पोलीस अधिकारी - सदस्य
- (३) नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती - सदस्य
- (४) राज्य शासनाच्या सचिव दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला एक सेवानिवृत्त अधिकारी - सदस्य
- (५) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसलेला अधिकारी - सदस्य सचिव

४. सदरहू राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य यांचे अधिकार व कार्य तसेच सादर करावयाचे अहवाल इत्यादीबाबत हे महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा आणि पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम, २०१४ मधील कलम २२ क्यू आणि २२ र मधील तरतुदीनुसार विहित करण्यात आले आहे.

५. सदरहू राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरण, ४ था मजला, कुपरेज टेलिफोन एकरचेंज, महर्षि कर्वे रोड, नरीमन पॉईट, मुंबई ४०० ०२१ येथील जागेत प्रस्थापित झालेले आहे.

६. राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अधिकार व कर्तव्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :--

कलम २२-क्यू (१) (अ) मधील एक ते तीन येथील नमूद केलेल्या यांच्याकडून एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खालील बाबींसंदर्भात दाखल तक्रारीवर चौकशी करणे :

- (१) पोलीस कोठडीतील मृत्यू
- (२) भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३२० खाली व्याख्या केल्याप्रमाणे गंभीर दुखापत
- (३) बलात्कार किंवा बलात्कार करण्याचा प्रयत्न
- (४) विहित केलेली कार्यपद्धती न अनुसरता केलेली अटक किंवा स्थानबद्धता
- (५) भ्रष्टाचार
- (६) बलाद ग्रहण (खंडणी उकळणी)
- (७) जमीन अथवा घर बळकावणी
- (८) ज्यामध्ये कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन कायदेशीर प्राधिकरणाचा दुरुपयोग याचा अंतर्भाव असे अशी इतर कोणतीही बाब.

७. कलम २२ क्यू उपविभाग ४ अन्वये राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणास दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ खाली एखाद्या दिवाणी दाव्याची न्याय चौकशी करतेवेळी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत :--

- (अ) साक्षीदारांना समन्स पाठविणे व त्यांना हजर राहण्यास भाग पाडणे
- (ब) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्यास फर्माविणे
- (क) शपथ पत्रावर पुरावा स्वीकारणे
- (ड) कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून मागविणे

(इ) साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढणे इत्यादी संबंधात दिवाणी न्यायालयाला जे अधिकार आहेत ते सर्व अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

(फ) राज्य शासनाकडून विहीत करण्यात येतील अशा कोणत्याही बाबी.

८. दिनांक २ जानेवारी २०१७ ते ३० सप्टेंबर २०२३ ह्या कालावधीत एकूण साधारणपणे ६२३४ तक्रार अर्जापैकी प्राधिकरणाकडून ६१५० तक्रार अर्ज निकाली व ८४ तक्रार अर्जावर कार्यवाही चालू आहे.

९. उपरोक्त कार्यवाहीसाठी, शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक एमआयएस-३६१४/प्र. क्र. १३/पोल-१४, दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ अन्वये राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाकरिता मुख्य प्रशासकीय अधिकारी १, प्रशासकीय अधिकारी १, तपास अधिकारी ६, अधीक्षक १, उच्च श्रेणी लघुलेखक १, निम्न श्रेणी लघुलेखक १, वरिष्ठ लिपिक ६, लिपिक टंकलेखक ३, वाहन चालक १, शिपाई ४ असा अधिकारी/कर्मचारी वर्ग मंजूर असून सहा विभागीय कार्यालयांकरिता एकूण प्रशासकीय अधिकारी ६, तपास अधिकारी ३५, अधीक्षक ६, उच्चश्रेणी लघुलेखक ६, निम्नश्रेणी लघुलेखक ६, वरिष्ठ लिपिक ६, लिपिक टंकलेखक १२, वाहनचालक ६, शिपाई १८ असा अधिकारी/कर्मचारी वर्ग मंजूर आहे.

१०. सन २०१४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ मधील २२ (स) नुसार विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणामध्ये खालील सदस्याची सुनिश्चिती करण्यात आली आहे.

| | |
|---|---------------|
| (१) निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश | .. अध्यक्ष |
| (२) पोलीस अधीक्षकाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झालेला एखादा अधिकारी.. सदस्य | |
| (३) पोलीस उप आयुक्त | .. सदस्य |
| (४) नागरी समाजातील मान्यवर व्यक्ती | .. सदस्य |
| (५) पोलीस उपअधीक्षकाच्या दर्जाचा किंवा त्याच्या समतुल्य दर्जाचा अधिकारी | .. सदस्य सचिव |

राज्यात नाशिक, पुणे, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर तसेच नवी मुंबई (कोकण) येथे विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणे मंजूर झालेली आहेत. तक्रारी किंवा चौकशी आणि शिफारशी, अध्यक्षांची नेमणूक, राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे अधिकार व कार्ये आणि त्यांनी राज्य शासनाला अहवाल सादर करणे यासंबंधातील अनुक्रमे कलमे २२-प, २२-क्यू व २२-र यांच्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारासह, विभागीय स्तरीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणास लागू केल्या आहेत.

नवी मुंबई (कोकण विभाग), औरंगाबाद, पुणे व नाशिक येथील विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरण कार्यालय कार्यान्वित झाले.

आता नागपूर व अमरावती विभागीय कार्यालयांची पायाभूत सुविधा अंतिम टप्प्यात आहे. मा. उच्च न्यायालयाने उपलब्ध करून दिलेल्या इच्छुक उमेदवारांच्या नावांपैकी नागपूर व अमरावती येथे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेले सेवानिवृत्त जिल्हा/सत्र न्यायाधीश रुजू झालेले नाहीत, त्यामुळे नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. सद्यास्थितीत सर्व विभागीय प्राधिकरण स्तरावरील अध्यक्ष व सदस्यांचे नियुक्तीसह विभागीय प्राधिकरण कार्यान्वित होत आहेत.

सन २०२५-२०२६ च्या अंदाजपत्रकाकरिता राज्य विभागीय पोलीस तकार प्राधिकरणाची माहिती

(ब) वित्तीय आवश्यकता

रुपये हजारांत

| | लेखाशीर्ष | प्रत्यक्ष रक्कम सन २०२३-२०२४ | अर्थसंकल्पीय अंदाज सन २०२४-२०२५ | सुधारलेले अंदाजपत्रक सन २०२४-२०२५ | अर्थसंकल्प सन २०२५-२०२६ |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ |
| गृह विभाग मागाणी क्र. B-1 | | | | | |
| २०५५ (००) (०४) २०५५ ०६९६ | | | | | |
| राज्य विभागीय | | | | | |
| तकार प्राधिकरण | | | | | |
| ०१ वेतन | 1663 | 20922 | 4531 | 10000 | |
| ०६ दूरध्वनी/विद्युत | 544 | 400 | 892 | 400 | |
| १० कंत्राटी सेवा | 34404 | 41767 | 56767 | 70000 | |
| ११ देशांतर्गत प्रवास | 58 | 232 | 20 | 239 | |
| १३ कार्यालयीन खर्च | 3668 | 16300 | 2468 | 16789 | |
| १४ भाडेपट्टी | 6451 | 34075 | 27260 | 34075 | |
| १६ प्रकाशने | -- | 80 | 5 | 80 | |
| १७ संगणक खर्च | 588 | 1665 | 304 | 1715 | |
| २७ लहान बांधकामे | -- | 1 | 1 | 1 | |
| २८ व्यावसायिक सेवा | -- | 50 | 1 | 50 | |
| ५० इतर खर्च | -- | 20 | 1 | 20 | |
| एकूण | 47376 | 115512 | 92250 | 133369 | |

सन २०२५-२०२६ च्या अंदाजपत्रकाकरिता राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची माहिती

(इ) कर्मचारी विषयक गोषवारा

गृह विभागाकडील एमआयएस-३६१४-पोल-३, दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ अन्वये मंजूर पदे

| पदनाम 1 | ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनस्तर 2 | राज्य पोलीस तक्रार प्राधिकरणासाठी मंजूर पदे 3 | विभागीय पोलीस तक्रार प्राधिकरणासाठी मंजूर पदे 4 |
|--|--|--|--|
| मुख्य प्रशासकीय अधिकारी | S-20 : 56,100 - 1,77,500 | १ | ० |
| प्रशासकीय अधिकारी | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | १ | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक) |
| तपास अधिकारी (सेवानिवृत्त राजपत्रित पोलीस अधिकारी) | अंतिम वेतन/पेन्शन सूत्र | ६ | ३५ (प्रत्येक जिल्हासाठी एक) |
| अधीक्षक | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | १ | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक) |
| उच्चश्रेणी लघुलेखक | S-15 : 41,800 - 1,32,300 | १ | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक) |
| निम्नश्रेणी लघुलेखक | S-14 : 38,600 - 1,22,800 | १ | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक) |
| वरिष्ठश्रेणी लिपिक | S-8 : 25,500 - 81,100 | ६ | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक) |
| लिपिक टंकलेखक | S-6 : 19,900 - 63,200 | ३ | १२ (प्रत्येक विभागासाठी दोन) |
| वाहनचालक | S-6 : 19,900 - 63,200 | १ (बाह्य यंत्रणेद्वारे) | ६ (प्रत्येक विभागासाठी एक बाह्य यंत्रणेद्वारे) |
| शिपाई | S-1 : 15,000 - 47,600 | ४ (बाह्य यंत्रणेद्वारे) | १८ (प्रत्येक विभागासाठी तीन बाह्य यंत्रणेद्वारे) |
| एकूण संख्या | | २५ | १०१ (७७ नियमित + २४ बाह्य यंत्रणेद्वारे) |

येरवडा कारागृह मुद्रणालय, पुणे-४११ ००६